राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का चौथा दिवस [संख्या ४

गुरुवार दिनांक, ६ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, गृह, पशुपालन, राजस्व, सिंचाई, स्वायत्त शासन, खाद्य, राजस्थान कैनाल, कृषि, जन-स्वास्थ्य-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लिए रकम का वितरण

६०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६३-६४ में ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत सरकार से कितनी रकम पीने के पानी के कुओं व वॉटर वर्क्स के लिए राज्य सरकार को दी गई है तथा यह रकम किस किस जिले में कितनी कितनी दी गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि १९६३-६४ में भीलवाड़ा जिले में यह रकम बिलकुल नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उपमंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(१) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं, ०.३५ लाख भीलवाड़ा जिले में पुर ग्रामीण जल प्रदाय योजना (पाइप स्कीम) के लिए स्वीकृत किए गए थे।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो आपने फरमाया कि ग्रामीण योजना के लिये आपने जो स्वीकृति दी है, क्या इसका यूटीलाइजेशन हो गया?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : टु सम एक्सटेंट।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : न मालूम आपने क्या फरमाया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सुनाई नहीं दिया आपने क्या फरमाया ?

श्री उमरावसिंह ढावरिया : आपने फरमाया कि ,जो रकम ग्रामीण योजना के लिए स्वीकृत की है क्या उसका यूटीलाइजेशन हो गया, क्या उसे काम में ले लिया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कुछ अंश तक ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : जहां तक मैं समझता हूं और मेरी नॉलेज में है वहां अब तक एक पैसा भी इस योजना पर खर्च नहीं किया गया है और जो पंचायत समितियां हैं वे कुये खुदवाने के लिए पैसा हर साल उधार लेती हैं । बनेड़ा में दो साल में एक पैसा नहीं दिया गया है और उसके लिए हमने पंचायत समिति की तरफ से काफी तौर पर लिखा पढ़ी की पानी पीने के कुये यदि नहीं खुदवाये जायेंगे तो इस साल पहले ही अकाल की स्थिति है और फिर पीने का पानी नहीं मिलेगा तो स्थिति खराब होगी । उस क्षेत्र के लोगों को छानकर पानी पीना पड़ेगा । फिर भी पैसा नहीं दिया जाता है । आप एलोकेशन करते हैं और देते नहीं हैं । जैसा भारत की स्वास्थ्य मन्त्राणी, श्रीमती सुशीला नायर, ने कहा है कि राजस्थान को हमने पैसा दिया, उसको अलॉट किया परन्तु राजस्थान ने उस को काम में नहीं लिया । आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेंटल वर्क होता है। पंचायत समिति को पैसा देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : पंचायत समितियों को इसमें से पैसा दिया जाता है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : डिपार्टमेंट की तरफ से जो वर्क होता है क्या पंचायत समितियां वह वर्क नहीं कर सकती ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ५ प्रतिशत पंचायत समितियों की तरफ से जमा होता है । इसलिए पंचायत समितियां पूरा पैसा....

श्री उमरावसिंह ढावरिया : बनेड़ा की पंचायत समितियों और पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ और फिर कलेक्टर की सिफारिश के आधार पर आपके चीफ इन्जीनियर को लिखा गया कि पंचायत समिति ५ परसेंट तक एक मुश्त में जमा करने को तैयार है और बनेड़ा के अन्दर वाटर वर्क्स का काम शुरू हो जाय, वहां ७ हजार की पाप्यूलेशन है ।

स्वास्थ्य मन्त्री, (श्री बरकतुल्ला खां) : दो चीजों के अन्दर कन्फ्यूजन हो रहा है। एक पाइप वाटर सप्लाई और....

श्री उमरावसिंह ढावरिया : सुनाई नहीं देता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माइक खराब दिखाई देता है ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी गलतफहमी हो रही है । दो तरह की योजनायें चल रही हैं । एक तो पाइप

Page No. 3

(श्री बरकतुल्ला खां)

योजना (Piped Water Scheme) जो गांवों से सम्बन्धित है। वह काम डिपार्टमेंटली किये जाते हैं और पंचायत समितियों को ५ प्रतिशत उसके अन्दर देना पड़ता हैं। दूसरे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वह कुए खुदवाने के लिये किये जा रहे हैं। दो चीजों के अन्दर कन्फ्यू-जन हो रहा था।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : भीलवाड़ा जिले के डेवलपमेंट वर्क्स किस किस स्थान पर करवाये गये और पांच परसेंट देने की व्यवस्था....

प्रश्न संख्या ६१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गोविंदसिंह।

मालवी नस्ल की गायें व बैल

६२. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मालवी नस्ल की गायें व बैल कौन कौन सी तहसीलों में होते हैं ?

(२) राज्य सरकार ने इस नस्ल को सुधारने के लिये अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ में केटिल ब्रीडिंग फार्म के नाम से जमीन ली गई है ? यदि हां, तो कब ?

(४) राज्य सरकार उपरोक्त फार्म को कब से चालू करने का विचार रखती है ?

(५) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ में भी मालवी नस्ल की गायें व बैल हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पंचायत समिति मे भी निकट भविष्य में केटिल ब्रीडिंग फार्म खोलने का विचार रखती है ?

(६) क्या यह सही है कि मालवी नस्ल वाले इलाके में मवेशियों के शफाखाने नहीं हैं और यदि कहीं हैं तो उनमें डाक्टर नहीं हैं और सिर्फ कम्पाउण्डर ही नयुक्त हैं ?

उप मन्त्री, पशुपालन (श्री भीमसिंह): (१) सूची संलग्न है।

(२) इस क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के सांड नस्ल सुधार हेतु रखे गए हैं। तथा पंचायतों के द्वारा उत्तम नस्ल के सांडों का वितरण किया गया। कृत्रिम गर्भा-धान केन्द्र भी खोले गए, झालावाड़ में दो पशु मेले हैं, जिनके द्वारा जनता को प्रोत्साहन मिलता है।

(३) जी हां, सन् १९६० में जमीन ली गई है।

(४) कार्यवाही जारी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भवन निर्माण की रकम

(श्री भीमसिंह)

स्वीकृत कर दी गई है। भवन बनाए जाने पर ही कार्य चालू हो सकेगा।

(५) जी हां। किन्तु पंचायत समिति पिड़ावा में केटिल ब्रीडिंग फार्म खोलने की अभी कोई योजना नहीं है।

(६) मालवी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय है तथा उनमें डाक्टर नियुक्त है कुछ छोटे शफाखानों में जो पंचायतों के अधीन हैं कम्पाउन्डर भी काम कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गोविन्दसिंह : आपने जो सूची दी है उस बारे में मुझे निवेदन करना है कि जहां तक गायों का प्रश्न है सिवाय तहसील गंगधार पंचपहाड़ और पिड़ावा के, और जगह नहीं मिलती हैं। यह सारा एरिया लालवा के एड्जाइनिंग है, उसमें मालवी नस्ल की गाएं मिलती हैं, यह सारी लोकेलिटी मालवा ब्रीडिंग नस्ल की लोकेलिटी है। इस इलाके से बैल दूसरी जगह जाते हैं। आपने पंचायत समिति डग में केटिल ब्रीडिंग फार्म के नाम जमीन मन्जूर की थी। आपने बताया कि झालावाड़ में दो पशु मेले होते हैं लेकिन वहां कोई मालवी नस्ल नहीं पैदा होती है। जहां नस्ल पैदा होती हैं वहां मेले नहीं लगते हैं और जहां कोई नस्ल नहीं पैदा होती, वहां मेले लगते हैं। जहां गाय की नस्ल होती हे वहां ब्रीडिंग फार्म नहीं खोलते हैं। अब जहां आपने मन्जूरी दी है कि केटिल ब्रीडिंग फार्म खोला जायगा १६६० में वहां तो आपने आज तक कुछ काम नहीं किया और जहां पर मालवी नस्ल कोई नहीं होती है वहां पर नगरपालिका के मेले आपने मालवी नस्ल सुधार के नाम से ले लिए, जो अनुचित है आप आमदनी चाहते हैं नस्ल की कोई चिन्ता नहीं। इसलिए जहां पर प्रोत्साहन देना चाहिए था वहां नहीं दिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) खाद्यमंत्री के द्वारा गायों और बैलों की जन संख्या दी गई है ५०:५० प्रतिशत जहां गायें होंगी वहां बैल भी होगें।

श्री भीमसिंह : वह संख्या जन नहीं है।

म्युटेशन के मामले-तहसील सांचोर।

६३. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांचोर में पिछले पांच सालों में कितने म्युटेशन मन्जूर किये गये? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि अभी तक बहुत से म्युटेशन्स केसेज मन्जूरी के लिये पेन्डिंग हैं? अगर हां, तो वे कितने हैं और आज तक मन्जूर न किये जाने के क्या कारण हैं?

(३) तहसील सांचोर में पेन्डिंग म्युटेशन केसेज कब तक फाइनेलाइज किये जाकर मन्जूर कर दिये जावेंगे और कब तक रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावेगा?

(४) इतने केसेज आज दिन पेन्डिंग रखने की किसकी जिम्मेदारी है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

Page No. 5

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। गत माह के ११ केसेज पैन्डिंग हैं।

(३) पुराने केसेज पैन्डिंग नहीं हैं तो अमल दरामद का प्रश्न नहीं उठता है।

(४) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष, महोदय माननीय मंत्री महोदय क्या एस० डी० ओ० भीनमाल द्वारा सेटलमेन्ट के डिक्लेरेटरी स्यूटस् का फैसला करके आदेश जारी किये गये हैं? हजारों केसेज म्यूटेशन्स के पेन्डिंग है। मैं आपको स्पष्टतया बता देना चाहता हूं, बहुत से केसेज पैन्डिंग है। म्यूटेशन्स फाइल किये हैं। दो तीन साल के केसेज पैन्डिंग पड़े हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने तहसील सांचोर के बारे में पूछा था इस सिलसिले में एस० डी० ओ० की अदालत में म्यूटेशन्स के संबन्ध में फाइनल फैसले होने के बाद अमल दरामद बाकी रह गया है, इस प्रकार के अगर केसेज होंगे, जो मेरी जानकारी के अनुसार हैं नहीं और न होना पाया जाता है, फिर भी आप कहते हैं, अगर हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी डिसपोज आफ कराया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डेथ्स हो जाने के बाद डिक्लेरेटरी स्यूट्स द्वारा एस० डी० ओ० ने आदेश जारी किये हैं फिर भी आपके पास म्यूटेशन्स के फिगर्स नहीं आये हैं। आप इस बारे में पूरी जानकारी करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के केसेज इसमें इन्क्लूडेड नहीं हैं, यह मैं तहकीक नहीं कह सकता। ऐसी बात है तो उनको जल्दी से जल्दी डिसपोज ऑफ कराने का प्रयास किया जायगा।

प्रश्न संख्या-६४

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हीराभाई

अणास बांध जिला बांसवाड़ा

६५. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बांसवाड़ा के अणास बांध के संबंध में क्या कोई निश्चित निर्णय हो चुका है? यदि हां, तो इस बांध में कितने ग्राम और कितनी जमीन डूब में आने की सम्भावना है?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जिला बांसवाड़ा के अणास बांध में अभी तक सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान का कार्य चल रहा है और अभी तक कोई अन्तिम योजना बनकर तैयार नहीं हुई है। इस बांध के जलाशय में डूबने वाले ग्राम और उनकी भूमि का विवरण इस योजना के तैयार होने पर ही दिया जा सकता है, अन्तिम योजना

Page No. 6

(श्री दौलतराम सारण)

बनने में अभी १ से २ वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

श्री हीराभाई : यह बांध कहां बनाया जायगा ? अणास के ऊपर बनाया जायगा या उसके आसपास बनाया जायगा क्योंकि जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक उस पर पुल नहीं बंध सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : सर्वे होने के बाद ही निर्णय हो सकता है, सर्वे के बाद ही पता चल सकता है कि फाउन्डेशन लगाना कहां पर ठीक है, वहीं पर बान्ध बनाया जायेगा।

श्री हीराभाई : अब तक कितनी सर्वे हो चुकी है और कितनी बाकी है ?

श्री दौलतराम सारण : एक दो वर्ष में कम्प्लीट हो जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : एक दो वर्ष में कम्प्लीट हो जायगा क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें एक वर्ष लगेगा या दो वर्ष लगेगा ?

श्री दौलतराम सारण : लगभग दो वर्ष।

श्री हीराभाई : तब तक पुल निर्माण का कार्य नहीं हो सकेगा ?

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

सरकारी धन के गबन के आरोपों की जांच

६६. **श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा) :** क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि डी० एस० पी० श्री लक्ष्मणसिंह वायरलैस पुलिस विभाग, जयपुर सरकारी धन के गबन के आरोप में सरकारी सेवा से पृथक किए गए थे ?

(ख) यदि हां, तो उक्त डी० एस०पी० ने कुल कितने सरकारी धन का गबन किया है ? उसकी सूची मय आंकड़ों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त डी० एस० पी० के गबन कांड के बाद भी वायरलैस शाखा, राजस्थान, जयपुर में लाखों रुपयों का गबन हुआ है और कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मुअत्तिल कर रखा है ?

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी सरकारी रकम का गबन हुआ है और किस किस पुलिस कर्मचारी ने कब कब और कितने-कितने सरकारी रुपये का गबन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ङ) क्या यह सही है कि उपरोक्त (ग) में वर्णित गबन कांड में आज तक कोई खास दिलचस्पी लेकर कार्यवाही नहीं की गई है और मामलों को उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है ?

(च) यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही

Page No. 7

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

करेगी जिन अधिकारियों ने उक्त गबन कांड दबाने की कोशिश की है ? यदि नहीं, तो किन किन कारणों से उक्त गबन कांड में ढिलाई बरती गई है ? सरकार उक्त गबन कांड से सम्बन्धित मुलजिमान का कब तक चालान अदालत में पेश करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां। सरकारी धन का गबन करने के अतिरिक्त सामान की खरीद में अनियमिततायें तथा बोगस कार्यवाही करने के भी आरोप थे।

(२) गबन रु० ३९००) का किया।

(३) जी नहीं। ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है और न किसी को निलम्बित ही कर रखा है।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं दी गई, है दी जाती तो मालूम पड़जाता।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : ३९००) रुपये का गबन बताया। क्या उसके बाद और कोई गबन नहीं हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : और नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और हुआ हो तो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एम्बेजलमेन्ट नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो सामान की चोरी बंगलिंग होगा, गड़बड़ घोटाला होगा क्या ३९००) रुपये के बाद कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गड़बड़ियें हो सकती हैं, अनियमितायें हो सकती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने ऑडिट रिपोर्ट ६२-६३, ६३-६४ को देखा है उसमें यह हवाला नहीं है कि हजारों लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनियमिततायें हुई हैं। एम्बेजलमेन्ट उसको माना नहीं गया है। अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही की गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६३-६४ की ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपये के मिस एप्रोप्रियेशन का जिक्र है उसको चाहे आप गबन न कहें। वायरलैस विभाग में जो सामान आया है वह गायब है किसकी गलती से गया है। ऑडिट रिपोर्ट में कितने लाख का हवाला है उसको आपने पढ़ा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिनमें रुपया आया है उनसे रिकवरी की जा रही है

Page No. 8

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जिन-जिन अधिकारियों द्वारा रुपया लेने की शिकायत हुई उनके खिलाफ रिकवरी के आदेश हो चुके हैं, डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' इसमें कारण यह है कि इन घोटालों में आई० जी० पी. और डी. वाई. एस. पी. सन्तसिंह का हाथ है इसलिये इस मामले को दबाया जा रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी बात नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी ही बात है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट लक्ष्मणसिंह के खिलाफ एम्बेजलमेन्ट के प्रमाण मिले हैं। उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन केस चालान हो चुका है उससे पहले उनका डिसमिसल हो चुका ।

दूसरे व्यक्ति श्री एम. सी. शर्मा, बी० डी० शर्मा, कंवरभ्रौर रघुनाथसिंह, इनके खिलाफ डी० ई० की कार्यवाही सम्पूर्ण हो, चुकी है । इनका ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोका जा चुका है, डिपार्टमेन्टल पनिशमेन्ट दिया गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय-उपमन्त्री महोदय ने जो प्रश्न का उत्तर दिया उससे केवल यही प्रतीत होता है कि ३६००) रुपये का ही गबन हुआ है इसके अलावा और कोई गड़बड़ नहीं है । इसके अलावा आपने यह भी कहा कि ६३--६४ की ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपये के घोटाले का जिक्र है लेकिन जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह नितान्त गलत है । तथ्य छिपाने की कोशिश की गई है । जहां लाखों रुपये के गबन की बात है वहां केवल ३६००) रुपये के गबन की बात मानी है जबकि वायरलैस विभाग में लाखों का गबन है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं इस लाखों रुपये के गबन में हैं आई० जी० जैसे उच्च अधिकारियों के हाथ के बिना यह संभव नहीं हो सकता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तथ्यों को छिपा नहीं रहा हूं। जहां तक एम्बेजलमेन्ट का सवाल है यह ओफेन्स सिर्फ लक्ष्मणसिंह के खिलाफ साबित हुआ है उनका केस चालान कर दिया है।

दूसरे ऑफिसर्स जिनके खिलाफ ये आरोप हैं उनमें स्टोर कीपर थे, कुछ सामान था, उनके सम्बन्ध में उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है कि वह सामान गायब कैसे हुआ। उनका कहना है कि उनको अच्छी तरह से चार्ज नहीं दिया गया। चार्ज देने में गलती हुई है । वाउचर्स में गलती हुई। सी० आई० डी०, क्राइम्स ने जांच की है। तीन ऑफिसर्स के खिलाफ जांच करके वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इसमें एम्बेजलमेन्ट साबित नहीं होता । चूंकि पुलिस ऑफिसर्स स्वयं इसमें सम्मिलित हैं इसलिए उनके खिलाफ रकम बकाया रहती है तो उसको पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूल कर रहे हैं। डी, ई. करके उनको

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पनिशमेंन्ट आदि दिया जा चुका है । रकम जो बकाया रहती है। वह वसूल हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :-लाखों रुपयों की रकम इन अफसरों की जेत्रों में चली गई और हम यहां कहते हैं कि गबन नहीं हुआ, एम्बेजलमेन्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या चीज हुई ? मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि राजस्थान के आई. जी. पी. और डी. आई. जी. का इसमें पूरा पूरा हाथ है, इसकी जूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। तब मालूम होगा कि गोवर्द्धनसिंह आई. जी. पी. इसके लिये जिम्मेदार निकलेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिकवरी हो रही है। आपके ये आरोप निराधार हैं कि आई. जी. पी. की जेब में रकम गई है। जो स्टोर इन्चार्ज था, उसके लिये अनियमितताएं करने के प्रमाण मिले हैं । उसके खिलाफ डिपार्टमेन्टल डी. ई. चली । स्टोर इन्चार्ज जिम्मेदार है। डी. ई. को एन्टी करप्शन ने भी प्रमाणित किया है। दो दो बार जांच हुई है, फिर हो रही है । आप खामखां कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने खुद ने स्वीकार किया कि जवाब नहीं आ रहा है, कागज दबाये जा रहे हैं तो ऐसी हालत में यह साफ है कि आई. जी. पी. और डी. आई. जी. निश्चत रूप से कसूरवारों को इमदाद कर रहे हैं। उनको पूरी सहूलियतें दी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : जो अफसर हैं उनके खिलाफ किस तरह के चार्जेज हैं ? क्या सामान खरीदा वह ठीक तरह का नहीं है, कम है या क्या है या खरीद में अनियमितताएं हुई हैं या व्यक्तिगत तौर से चार्ज इत्यादि के सम्बन्ध में हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जैसे निवेदन कर चुका हूं। अफसर इनमें लक्ष्मणसिंह था और उसका कसूर था। उसको हमने सर्विस से डिसमिस कर दिया है। इसके अतिरिक्त एम. पी. शर्मा, वी. डी. शर्मा, कुंवर और रघुनाथसिंह हैं।इनके खिलाफ डी. ई. की गई और एन्टी करप्शन विभाग के द्वारा भी जांच की गई। उनका कसूर साबित हुआ है और उनको सज़ा मिल चुकी है। उनके ग्रेड इन्क्रीमेंट्स रोके गये है और इसके बाद जो बकाया है उसकी रिकवरी भी उनसे की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : उनके विरुद्ध चार्ज किस प्रकार के थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसे एम. पी. शर्मा हैं उनके विरुद्ध 1841. L/sets costing 22 thousand and 833 were shown as fictitiously issued. इश्यू उनके बतलाये। अब जब कि वे लीगली प्रमाणित नही होते। डी. आई. जी. क्राइम ने भी जांच की और इसके डाक्यूमेण्ट्स इस हद तक नही मिले। गिल्टी इन्टेन्शन

Page No. 10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

था। चार्ज देने लेने की बात थी, इसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं इसलिये डी. ई. के आधार पर उससे रुपया वसूल किया जा रहा है ?

दूसरा अध्यक्ष महोदय, कंवर इन्चार्ज ऑफ दी स्टोर, Mr. Kanwar was Incharge of the Stores in 1954.

श्री अध्यक्ष : उनसे कितना रुपया वसूल किया जा रहा है ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : २२,०००) ।

श्री अध्यक्ष : २२,०००) ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : जी हां ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या अध्यक्ष महोदय, यह गबन नहीं है । क्या इसके लिए फिर कोई नया शब्द ईजाद करना पड़ेगा डिक्शनरी में ? २२ हजार का मामला है और आप कहते हैं गबन नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक एम्बेजलमेंट का सवाल है इन्डूसमेंट प्रमाणित नहीं। पूरा मिस एप्रोप्रियेशन साबित नहीं हुआ । इसलिए सेफर कोर्स यह लिया गया कि डी० ई० करके इस रकम को रिकवर कर लिया जावे । बाकी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि केस प्रमाणित हो सके ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष : २२,०००) कैसे रिकवर कर सकते हैं ? या तो इससे उसको कोई ऐसा नाजायज फायदा पहुंचा हो, जो इल्लीगल हो और वह पैसा उसके पास हो, नहीं तो फिर रिकवरी वह देगा कैसे ? तनखा में से देगा ? कहां से देगा ? तनखा इतनी कहां होगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक एम० पी० शर्मा का सम्बन्ध है डिसमिसल उसका अलग हुआ है। अब उसकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया जाकर जो वसूल होगा, किया जावेगा । That is the position.

श्री अध्यक्ष : डिसमिस करने के बाद कैसे वसूल करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो रिकवरी एक्ट मे बकाया निकलता है तो वसूल किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : This is not the Government dues.

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो बकाया निकला है। उस लिहाज से कुछ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : खैर, जो भी हो । जिसमें उच्च सरकारी अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट हो, इतनी बड़ी-बड़ी रकम हो तो इसकी जांच आप जल्दी करें ताकि सदन को और सदन के

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को सन्तोष हो सके। और इस पर भी सोचें कि इतने बड़े अफसरों की जांच कोई बड़ा अफसर करें या नई एजेन्सी करे। फाइनेन्स के अफसर हों, अकॉउन्ट्स ऑफीसर हों उनको दें तो ज्यादा न्याय होने की सम्भावना प्रतीत होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; मैं नम्र निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जूडीशियल इन्क्वायरी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न बहुत हो चुके हैं इसके लिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह हमारे देश की सुरक्षा का भी प्रश्न है। इस तरह से वायरलैस सेट चले जावें और सरकार इसकी निगरानी नहीं कर सके तो यह गम्भीर प्रश्न है। इन सेटों का दुरुपयोग हो सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरहसे होनी चाहिये। न मालूम ये सैट पाक एजेन्टों के पास चले गये डाकुओं के पास चले गये तो हमारी सिक्योरिटी का इसमें अधिक सवाल है, पैसे का उतना नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये तो वायरलेस सैटों के एक्सेसरीज हैं केवल। पूरे के पूरे वायरलेस सैट चले गये हों, ऐसी बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सामान ही सही, यह भी कम बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या--६७

श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या--६८

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या--६९

श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या--७०

श्री उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

अधिक पानी छोड़ने से फसलों को नुकसान—कोटा बांध

Page No. 12

७१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक १६-३-६४ को कोटा बांध पर अधिक पानी एकत्रित हो जाने से राइट मेन कैनाल में पानी अधिक मात्रा में छोड़ा गया, जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा है ?

(२) अगर हां, तो कितने खातेदारों की कुल कितनी भूमि की फसलों को नुकसान हुआ ?

(३) कुल मुआवजा कितना आंका गया है तथा कितना चुकाया जा चुका है ?

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री दोलत राम सारण): (१) जी हां।

(२) कुल २२ खातेदारों की ६० बीघा १२ बिस्वा भूमि में फसल को नुकसान हुआ था।

(३) कुल मुआवजा ६५६१) रुपये २० पैसे का आंका गया और ३१८६) रु० ६० नये पैसे का मुआवजा चुकाया जा चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह बकाया मुआवजा नहीं चुकाये जाने का अब तक क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी सेंक्शन लेनी जरूरी थी। यह हमारे पास आया हुआ है। सेंक्शन देकर दे दिया जावेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने इकजाई जमीन और मुआवजा बताया है। पार्ट पेमेन्ट भी कर दिया तो क्या अलग अलग सेंक्शन दे रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां। अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग जमीन है, अलग अलग अलग उनका मुआवजा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार ने यह ठीक नहीं समझा कि जिनको नुकसान हुआ है पिछले तीन वर्षों में उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाता ?

श्री दौलतराम सारण : एस्टीमेट हो चुका है, स्वीकृति के लिये कागज हमारे पास आये हुए हैं। उनको जल्दी स्वीकृति देकर चुका दिया जावेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कब तक इसके बारे में स्वीकृति देकर फाइनेलाइज कर देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : अति शीघ्र।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अति शीघ्र का मतलब क्या है ? मार्च में नुकसान हुआ। उनकी सारी फसल खराब हो जाने के कारण वे मोहताज हैं। छोटे छोटे खातेदारों का नुकसान हुआ है। अति शीघ्र आपका कब होगा ?

श्री दौलतराम सारण : जो नुकसान हुआ है उससे आपको जितना दुख है उतना

(दौलतराम सारण)

हमको भी है, उनके मुआवजे के लिये शीघ्रता की जा रही है और ताकीद करके चुका दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह हर साल देना पड़ेगा मुआवजा ?

श्री दौलतराम सारण : जिसके हर साल डूब में आने की सम्भावना है उस जमीन को एक्वायर ही कर लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह जमीन डूब में तीन साल से आ रही है ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो जिस तरह से प्रश्न पूछा गया उसका जवाब उसी तरह से मैंने दिया है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : यह तो पिछले साल का प्रश्न है । उनको कम्पेन्सेशन देना तो दूर रहा, उल्टे उनसे तकावी लोन्स, और लगान वसूल किया जा रहा है । और कई दूसरी तरह की दिक्कतें भी उनको हैं । तो यह जो मुआवजा दिया जा रहा है वह पिछले सालों का भी है या एक ही साल का है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न न दोहरावें । आपको इस सप्लीमेन्टरी के बारे में जानकारी हो तो वह दे दें कि पिछले साल का भी बकाया है कि नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : पिछले साल का तो मैं क्या कह सकता हूं । पर इन्होंने प्रश्न यह पूछा कि ...

श्री अध्यक्ष : आप यह मना कर दीजिये अगर इसका उत्तर नहीं है आपके पास तो । आपको यह देखना चाहिये कि यह पूरक प्रश्न तो नहीं है कि जो निकलता हो ।

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न पूछा गया उसमें यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : है या नहीं है, आप यह निर्धारित नहीं कर सकते, इसमें से यह पूरक प्रश्न भी निकलता है और इसीलिये इसे पूछे जाने की स्वीकृति दी गई है । आपके पास सूचना हो तो बता दीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न में तारीख दी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई है । आपके पास इसका उत्तर नहीं है तो शान्तिपूर्वक तरीके से कह दीजिये कि नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इस जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाही इसलिये की जा रही है कि हमेशा यह पानी के डूब में आती रही है ।

श्री दौलतराम सारण : कुछ जमीनों के सदा डूबने की सम्भावना है और उन्हीं को

(श्री दौलतराम सारण)

एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : वैसी जमीन कितनी है ?

श्री दौलतराम सारण : ३४०) २ विस्वा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि ३४०) २ विस्वा हर साल जब कभी नहर में पानी आता है डूब जाती है।

श्री दौलतराम सारण : यह भी हर साल नहीं। जितनी इस साल डूब में आई वह केवल ६०) १२ विस्वा है। इसी तरह जिस साल जितनी डूब में आजाती है, उस सबको मिला कर जितनी के डूब में आने की सम्भावना है वह मैने कुल बताई। उस जमीन का बार बार मुआवजा देने से बचा सकें इसलिये सब उसको एक्वायर किया जा रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही नहीं है कि गत तीन वर्षों में यह ६०) १२ बिस्वा ज़मीन निरन्तर डूब में आती रही है ?

श्री दौलतराम सारण ; एक वर्ष के लिए तो निवेदन किया, तीन वर्षों की जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि इसके सम्बन्ध में पूरी जांच करके बकाया सालों में भी नुकसान हुआ यह बताएगी और इसका फिर मुआवजा भी उसी तरह से देगी ?

श्री दौलतराम सारण : जब जब जमीन डूब में आती है तब तब असेसमेन्ट उसका करके मुआवजा दिया जाता है।

श्री जुझारसिंह : तीन साल से उनको मुआवजा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष (दो माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर) : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है। मेरे ख्याल से सरकार को चाहिये कि जो जमीनें डूब में आती हों, अथवा जिनकी डूब में आने की सम्भावना हो उनको पहले ही एक्वायर कर लिया जाय ताकि शिकायत न हो। बार बार यह प्रश्न आता है। ३-४ बार मैं भी इस पर प्रकाश डाल चुका हूं। सरकार के कान बिलकुल बहरे हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है और बार बार यह कहा जाता है कि मुआवजे का प्रश्न विचाराधीन है, शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा चुका दिया जायगा लेकिन इस तरह के प्रश्नों का यह कोई हल नहीं हो सकता इसलिए यह तो नीति का प्रश्न है और सरकार को नीति निर्धारित करके ही तय करना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : सरकार की नीति बिलकुल स्पष्ट है। ६४ की रबी की फसल को नुकसान हुआ उसका मुआवजा काफी

Page No. 15

(श्री दौलतराम सारण)

चुकाया जा चुका है और बाकी जल्दी ही दिया जायेगा। इस तरह की जहां जहां स्थिति आती है वहां मुआवजा दिया जाता है। सरकार के कान बहरे नहीं हैं, सरकार के कान खुले हुए हैं और सरकार नीति के मुताबिक ही काम करती है।

प्रश्न संख्या--७२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री जुझारसिंह।

कृषि सहकारी समिति को भूमि का अलाटमेंट, मानपुरा

७३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Ravenue please reply:—

(1) How many bighas of land have been allotted to the Jagjeevan Ram Krishi Co-operative Society in village Manpura or other villages in Tehsil Ram Ganj Mandi and has the allotted area been demarcated ?

(2) Is it a fact that there is a dispute over some area between the Forest and Revenue Departments and because of the state of uncertainty the society has intruded and exploited the forest trees inside the Forest Beed ?

(3) What steps are being taken to clarify the position by either departments ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील रामगंज मण्डी में दिनांक २८-१२-५६ को ग्राम मानपुरा में जगजीवनराम कृषि सहकारी समिति को २६६ बीघा जमीन अलॉट हुई है। जमीन आवंटन शुदा का सीमांकन किये जाने के आदेश हो चुके हैं परन्तु मौके पर निशानात कायम नहीं हुए हैं जिसकी कार्यवाही जारी है।

(२) आदर्श जगजीवनराम समिति को कुल भूमि मानपुरा में बंजड़ अलॉट हुई है। पटवारी रेकार्ड के आधार पर कुल भूमि राजस्व विभाग की है। इस भूमि में से कुछ नम्बरान को जंगलात भी बीड़ घास की बजह से ठेका देता है, समिति ने इस बीड़ के भी वृक्ष काट कर काश्त कर ली है यह बीड़ समिति को अलॉटशुदा नम्बरान में ही अलॉट हुआ है।

(३) कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट कोटा को सूचना दी गई हैं कि इस समिति को अलॉट शुदा रकबे में काश्त करने पर कोई रोक न लगाई जाये न उनकी फसलें नष्ट की जावें क्योंकि यह भूमि गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई है।

Page No. 16

श्री जुझारसिंह : जगजीवनराम समिति का आपने फरमाया २०० बीघा अलॉट की है उसके अगेन्स्ट में कितनी जमीन काश्त कर ली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कितनी भूमि पर काश्त की है इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अब तक काश्त नहीं करने के कारण क्या हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया था कि कुछ भूमि पर जंगलात विभाग ने अपना अधिकार होना बताया है। इस वजह से उस भूमि पर वे अब तक काश्त नहीं कर पाये थे। लेकिन आज की परिस्थिति जैसी है उसके अनुसार पता लगा है कि उस जमीन पर भी काश्त कर ली है। जंगलात विभाग ने रोक की इस सम्बन्ध में ५-३-६४ को कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को लिखा जा चुका है कि यदि समिति वाले फसलें आगे बोयें तो कोई दखल न करें क्योंकि वह रेवेन्यू की जमीन है और रेवेन्यू विभाग ने उनको अलॉट की है। ५-३-६४ के बाद इन आदेशों के बाद उनकी कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए जो आज स्थिति है, वह मैंने आपको बताई है।

श्री जुझारसिंह : फॉरेस्ट की डिफिकल्टी सब जगह होती है, इसलिए यह प्रश्न है। क्या आपने फाइनली इसको डिमार्केट करके कह दिया है ?, फॉरेस्ट विभाग वाले उस लैंड का क्लेम करते हैं। आपके कहने के बावजूद भी डिमार्केशन उनके और फोरेस्ट सैटलमेंन्ट डिपार्टमेन्ट के बीच नहीं हो जाता है तो दिक्कत खड़ी होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खसरे के अनुसार कब्जा दिया जा चुका है और रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार यह रेवन्यू की जमीन है। इसलिए फारेस्ट डिपार्टमेन्ट को लिखा है कि वे दखल न दें और पत्थर गड़ी जिसे एक्चुअल सीमांकन कहते हैं वह भी कराने की कार्यवाही की जारही है जिससे हमेशा का झगड़ा खत्म हो जायेगा।

श्री जुझारसिंह : जो खसरा नम्बर रेवेन्यू रिकार्ड में हैं वह ही खसरा नम्बर फॉरेस्ट सैटलमेन्ट डिपार्टमेंट में भी है इसलिए क्या यह सही है कि यह एक ही रिकार्ड है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है कि उनके रिकार्ड में भी यही खसरा नम्बर दर्ज हो लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड मे खसरा नम्बर दर्ज है और उसी के अनुसार यह भूमि अलॉट की गई है तो उनके बेदखल करने का सवाल पैदा नहीं होता है और अगर जंगलात विभाग उसको अपनी मानता है तो उसको वहां से विथड्रा कर ली जायगी दुरुस्ती के तौर पर लेकिन जमीन का अलॉटमेंट कैंसल नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

राजस्थान कैनाल को पानी की सप्लाई

७४. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : Will the Rajasthan Canal Minister please reply:-

(श्री केदारनाथ)

(1) Is it true that the Punjab Government agreed to release 10 thousand cusecs of water to Rajasthan Canal on ad hoc basis?

(2) Is it also true that Rajasthan Government has not availed of it? If yes, what are its reasons ?

उप-मन्त्री : सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदारनाथ : लास्ट इयर कितना पानी रिलीज हुआ था राजस्थान केनाल में ?

श्री दौलतराम सारण : लास्ट इयर करीब ६०० कुसेक हुआ।

श्री केदारनाथ : यह एडहाक बेसिस पर हुआ या फाइनली ?

श्री दौलतराम सारण : फीडर नहर तैयार नहीं थी इसलिए भाखरा में से लिया गया।

श्री केदारनाथ : भाखरा का हिस्सा था या अलग से दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : भाखरा में से लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : इस साल कितना कुसेक पानी दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : इस साल एक हजार से लेकर १५०० कुसेक तक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस साल ३॥ हजार कुसेक पानी रिलीज करने की घोषणा राजस्थान केनाल बोर्ड के द्वारा की गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : जितना पानी चल रहा है उतने की घोषणा की थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपको यह निश्चित जानकारी है कि राजस्थान केनाल बोर्ड के सैक्रेटरी ने ३॥ हजार कुसेक पानी रिलीज़ करने की घोषणा की थी कि एक जुलाई को ३॥ हजार कुसेक पानी रिलीज़ कर दिया जायगा। उन्होंने इसकी क्या घोषणा बाकायदा पत्रों में की थी ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी के अनुसार जो प्रोग्राम था वह इसी प्रकार का था जैसी कि मैंने आपको सूचना दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सही जानकारी प्राप्त कर लें कि आपने ३॥ हजार कुसेक पानी देने की घोषणा की थी और एक हजार ही आ रहा है। दस हजार कुसेक पानी पंजाब ने देने की घोषणा की थी क्या यह सही है क्या आपको यह नहीं लिखा गया था कि तलवाड़ा का जो रेगुलेटर है उसमें दस हजार कुसेक पानी निकलता नहीं हैं, यह क्रेक

Page No. 18

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो चुका है ? माननीय राष्ट्रपतिजी जो उस समय उप राष्ट्रपतिजी थे ने उसका उद्घाटन किया था और एस. डी. ओ. बहादुर सिंहजी ने घोषणा कर दी थी कि यह रेगुलेटर एज शिडयूल्ड नहीं बना था और कान्ट्रेक्टर का फाइनल पेमेन्ट कर दिया गया, दस लाख का पेमेन्ट कर दिया गया। एक महीने पहले इन्चार्ज एस. डी. ओ. परसराम ने यह लिख कर दिया था कि यह रेगुलेटर क्रेक हो गया और यह १० हजार क्युसेक बरदाश्त नहीं कर सकता और इसलिए आपने उतना पानी नहीं दिया ? मैं चेलेन्ज करता हूं। यह जो मैंने बताया है ।वह तथ्यपूर्ण है और इसकी इन्क्वायरी करायी जानी चाहिये।

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ बातें कह रहे हैं वे निराधार हैं। माननीय सदस्य की तो ऐसा कहने की आदत हो गई है, हमेशा ऐसी ही निराधार बातें कहते रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I object to it, Sir. I challenge it.

श्री नाथूराम मिर्धाः You may object and you may challenge. When you say we hear and now when I am speaking you must hear.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I challenge.

श्री नाथूराम मिर्धा : नोट कर लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मेरे को चेलेन्ज करते हैं, मैं आपको चेलेन्ज करके कहता हूं आप चलिये मेरे साथ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बिलकुल निराधार बाते कह रहे है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। सुनिये तो सही, वह कैसे निराधार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो ३॥ हजार क्युसेक पानी लेने की बाते सेक्रेटरी ने कही और न दस हजार क्युसेक पानी देने की बात पंजाब ने कही। न पंजाब को राइट है। बरसात में रावी और व्यास का पानी चलता हैं। १८ हजार क्युसेक पानी चल सकता है। ले सकते हैं लेकिन वह उस हालत में जब कि उससे ५० लाख एकड़ का इर्रीगेशन होगा। आज इर्रीगेशन के लिए जितनी तीन चार लाख एकड़ बंजर जमीन है, जितनी अवेलेबल है उतने के लिए ही तो जरूरत है और उतना ही चलाया जा सकता है। दस हजार की बात कही है वह निराधार है और न ही पंजाब को देने का राइट है। सन् ५५ का एग्रीमेन्ट है वह स्थायी न बने तब तक नदियों का पानी हम ले सकते हैं। पंजाब के देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

अब जब हमने शुरू में चलाया तो ५०० क्युसेक्स किया और यह १००० और फिर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१५०० तक पहुंच गया और फिर इसके बाद में गंगानगर में बरसात हो गई और पानी की जरूरत नहीं रही और कैनाल बन्द करनी पड़ी। अभी १००० और १५०० के बीच में पानी चलता है और जितना किसानों को पानी की जरूरत है उतना ही हम चलाते हैं। अब हमें चाहे ४००० क्यूसेक्स चलाना चाहिए, २००० चलाना चाहिए या ३००० चलाना चाहिए वह तो जितनी किसानों की रिक्वायरमेन्ट है उसको हम पूरा करेंगे और जिस टेकनिकल डिफेक्ट की आप बात कह रहे है वह बिलकुल निराधार है। उसकी वजह से कैनाल की कैपेसिटी पर कोई असर नहीं है। जितना पानी छोड़ना चाहिए वह छोड़ सकते हैं लेकिन पानी कितना और कहां लिया जाये यह दूसरी बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में और भारतवर्ष में अखबारों में १ जुलाई को ३००० क्यूसेक्स पानी रिलीज करने की बात के लिए एक स्टेटमेन्ट इश्यू किया गया। यह मैं चैलेन्ज करके कहता हूं और इर्रीगेशन कैनाल बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है और आप चलकर जनसम्पर्क विभाग की प्रदर्शनी देख लें। उसमें दिखाया गया है कि ४ लाख एकड़ जमीन सिंचित की जायगी और १ जुलाई के बाद वह ४ लाख एकड़ जमीन सिंचित बता रहे हैं, और अखबारों में बयान हैं और मंत्री महोदय इससे इन्कार कर रहे हैं। रेगुलेटर के क्रेक होने की बात श्री परसराम जी जो वहां पर एस०डी०ओ० हैं उन्होंने रिटन में चीफ इन्जीनियर को और सारे विभाग के लोगों को दी है। मैं मंत्री महोदय को चैलेन्ज करता हूं और सदन में से ५ सदस्यों को वहीं ले चलें अगर वाकयात सही नहीं हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप सदन में से ५ सदस्य चुन लें और वहां चलकर देख लें तलवाड़ा रेगुलेटर की क्रेक दीवार को।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब इस प्रकार हमारे एम०एल०ए० चैलेन्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रेगुलेटर क्रेक हो गया है। यह बात सुनकर मुझे भी दुख होता है कि इतना बड़ा रेगुलेटर जिसका लाखों रुपया दिया है वह क्रेक हो गया है। उसके लिए वहां के एस० डी० ओ० ने रिपोर्ट भी दी है और इर्रीगेशन विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनके रिश्तेदार वहां पर ठेकेदार हैं और उनको पेमेन्ट किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह राजस्थान का बहुत बड़ा मसला है और हमारे मिनिस्टर साहब गलत बात कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब हमारे मेम्बर चैलेन्ज कर रहे हैं आप क्यों नहीं उनको स्वीकार करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई रिश्तेदार नहीं है और किसी को मैंने पेमेंन्ट नहीं कराया इसका कोई सवाल ही नहीं है। सब गलत बातें है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Does the Minister deny this fact that Shri Parasuram, S. D. O. has sent such a communication to the Government ? I want to know this fact. Do you deny this fact that the S. D. O. has sent such a communication ?

Page No. 20

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि एस०डी०ओ० ने कब किया नहीं मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर आप जो भी कहें वह पूरी जानकारी के साथ कहें। आप बिना जानकारी के फिर कैसे कहते हैं! आपको जानकारी नहीं है और आप मुझको कहते हैं। लिसाड़ा ड्रेन के संबंध में मैंने कहा कि केदारजी के सामने, मौजूदगी में और मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में चीफ इन्जीनियर रामनारायण के हस्ताक्षर प्रतापसिंह कैरों ने सुखाड़िया को दिखाये और आपने उनको इन्कार कर दिया। यह बैठे हैं केदारजी। पूछ लीजिए की इनके सामने हस्ताक्षर किये या नहीं। चीफ इन्जीनियर रामनारायण ने हस्ताक्षर किये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस रेगुलेटर की बात कह रहे हैं....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप मेरी हर बात को गलत बात कहते हैं। आप फिर बिना जानकारी के कैसे कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास निश्चित सूचना है कि वह रेगुलेटर बिलकुल ठीक है। It is capable of taking full capacity of all the canal. और यह मैं जोर के साथ कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने जो पूछा कि क्या एस०डी०ओ० ने उस प्रकार की कोई रिपोर्ट की रिपोर्ट भेजी है डिपार्टमेन्ट को उसकी जानकारी आपको है या नहीं ? आप उस बेसिस को एस० डी० ओ० की रिपोर्ट को डिनाई करते हैं यह क्या बात है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे कहता हूं कि रेगुलेटर बिलकुल ठीक है कोई डिफेक्ट नहीं है। It is capable of taking the full discharge...

श्री रामानन्द अग्रवाल : What is the fact that is a question of opinion. But whether the S. D. O. has made such a report to your department or not ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं एक प्रश्न और पूछता हूं अध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह भी सूचना दे दूं कि एस० डी० ओ० ने इसकी शिकायत की थी and the matter was enquired into and it was found baseless. आप ठहरिये। That was found baseless.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Then why did you try to conceal this fact ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I gave you the fact that the Regulator is com-

Page No. 21

(श्री नाथूराम मिर्धा)

pletely alright and is capable of taking full capacity. It is not necessary for me to tell you what is the report & whether the report is correct or not, until you ask a specific question.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: I am asking you a specific question.

श्री नाथूराम मिर्धा : I am also giving you the specific 'khabar'.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय; मैं यह पूछना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति उस समय सन् ६१ के अन्दर उद्घाटन के लिए आये थे....

श्री अध्यक्ष : उसका इससे कोई संबंध नहीं है। आप चाहें तो इसके लिए जुदा प्रश्न पूछ लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने इसका उद्घाटन किया....

श्री अध्यक्ष : सिर्फ १० हजार क्यूसेक्स पानी का प्रश्न था।

श्री केदारनाथ : हरिका पत्तन से १ जुलाई, १९६४ को कितना वाटर रिलीज़ किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५०० क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

पीने के पानी के कुओं की खुदाई-पंचायत समिति, भीम

७५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, भीम द्वारा जिला परिषद्, उदयपुर की बैठक में पीने के पानी के कुओं की खुदाई की दरें बदलवाने हेतु प्रस्ताव रखा गया और उसे जिला परिषद् द्वारा संबन्धित अधिकारियों को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई।

(२) क्या यह सच है कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा जिस पचास फीट गहरे कुए की खुदाई के लिए २५५०) रु० लिया जाता है उसी काम के लिए बेसिक शिड्यूल रेट, निर्माण विभाग के अनुसार ८३०) रु० दिये जाने चाहिए ?

(३) यदि हां, तो ऐसा क्यों है और क्या यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों की पंचायत समितियों में सैंकड़ों कुओं के काम वर्षों से अधूरे पड़े हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) कृषि विभाग के पास इस सम्बंध में ज़िला परिषद् का कोई उल्लेख अभी तक आया नहीं, मालूम होता है।

(श्री भीमसिंह)

(२) अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की निर्धारित दरों के अनुसार ७५) रुपये प्रति फुट के हिसाब से नल–कूप का खर्चा लिया जाता है। कृषि के लिए बनाए गये कुओं के खर्चे में राज्य सरकार २५) रुपये की रियायत करती है। इस प्रकार ५० फीट गहरे कुए के लिए २६००) रुपये अग्रिम राशि के रूप में लिए जाते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० की दरें नल कूप की नहीं हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माईक की खराबी के कारण, अश्रव्य)

श्री भीमसिंह : २६००) रुपये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : निर्माण विभाग के अनुसार ८३०) रुपये दिये जाने के चाहिए उसी काम के लिए उसका नहीं आया है।

श्री भीमसिंह : मैंने आपसे जवाब में कहा है कि पी० डब्ल्यू० डी० की रेट्स ट्यूब वैल्स के लिए नही हैं। उसका काम है अर्थ वर्क और एक्सकेवेशन ऑफ वैल्स, फॉर सोइल विद कंकर और फॉर सोइल विद हार्ड रॉक कंकर। रॉक ड्रिलिंग का काम और ब्लास्टिंग का काम पी० डब्ल्यू डी० का नहीं है। यही रेट सिर्फ अर्थ वर्क की ही है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : जो पंचायत समिति का काम होता है उसमें भी ८३०) रुपये मांगे जाते हैं।

श्री भीमसिंह : मेरा निवेदन यह है कि यह काम राजस्थान अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : रॉक को ब्लास्ट भी करते हैं ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह राइट नहीं है।

श्री भीमसिंह : है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जहां जहां पहाड़ी स्थान हैं वहां कुयें खोदे थे उनमें हर प्रकार की रॉक्स पाई जाती है, लेकिन उनका असेसमेंट पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा होता है। उनसे कोई भी कुआ पूरा नहीं हो पाया है और जब तक रेट्स रिवाइज नहीं की जायें तब तक यह काम पूरी तरह से नहीं चल सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय यह सोचने की बात है कि मशीनों से जो कुए खुदवाये जाते हैं ५० फीट गहरा करने के लिए २६००) रुपया है और पंचायत समिति से कराया जाये तो उसकी रेट्स ८३०) रु० में कैसे कुए बन सकते हैं ?

श्री भीमसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० १०० फीट तक करती है। पी० डब्ल्यू० डी० की

(श्री भीमसिंह)

रेट्स अर्थ वर्क फोर एक्सकेवेशन ऑफ वैल्स के लिए है, फॉर सॉइल विद कंकर के लिए है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ट्यूबवैल का जिक्र है। पत्थर तोड़े जाते हैं। जरूरत होती है तो अन्दर चुनाई की जाती है। आप जांच करें आपको पता नहीं है।

श्री भीमसिंह : जो अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड है वह ड्रिलिंग करता है, बोरिंग करता है और डीपनिंग का काम करते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड का जो कम्प्रेशर है, जो गवर्नमेंट ने रेट्स वसूल की हैं उस रेट को पी० डब्ल्यू० डी० के पास ले जाया गया तो भी उन्होंने उसे नामन्जूर कर किया है कि हम इसको पास नहीं करते। जबकि अन्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कम्प्रेशर हैं, उनके बिल्स दिए हुए हैं उनको भी सरकार ने पंचायत समितियों के कुओं के लिए पास नहीं किया।

श्री भीमसिंह : यह पी० डब्ल्यू० डी० का है इसलिए पी० डब्ल्यू० डी० वाले हीं बता सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वह ८३०) रु० ही कैसे मन्जूर करते हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने कहा कि ट्यूबवैल के बोरिंग को टेक-अप नहीं करते। वह अर्थ-वर्क को ही करते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बिना कम्प्रेशर के कुए नहीं खुदते हैं क्या आप जांच करके बतायें ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या सरकार उत्तर देगी कि हार्ड रॉक्स को खुदवाने के लिए रेट्स रिवाइज नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

गिरदावरी स्लिपें नही बांटने के आदेश

७६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या सरकार ने इस प्रकार के कोई आदेश जारी किए हैं कि गिरदावरी स्लिप न बांटी जांये और खसरा गिरदावरी में वास्तविक काश्त करने वाले के खाते में नई तब्दीलियों का इन्दराज न किया जावे ? यदि हो, तो इस सम्बन्ध में जो जो आदेश जारी किये गये हैं । उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इस आदेश के कारण बहुत से वास्तविक काश्तकार अपनी काश्त की जमीन पर अपना नाम इन्दराज कराने से वंचित हो गये हैं और उन लोगों को जो अपनी जमीनें दूसरों को काश्त करने के लिए गैर कानूनी तरीके से बताते हैं और भारी लगान या बंटाई वसूल करते हैं उनको संरक्षण मिला है ?

Page No. 24

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(३) क्या सरकार इस आदेश को रद्द करेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां जो आदेश इस सम्बन्ध में प्रचलित किये गये हैं हर एक की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) अभी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कदम प्रयोगात्मक है। कुछ समय के अनुभव के बाद इस पर पुनः विचार किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह आदेश निकालने से पहले सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो इस सम्बन्ध में रूल्स बने हुए हैं उनमें कोई एमेन्डमेंट नहीं किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सवाल ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भी रेवेन्यू रेकार्ड्स तैयार करने के सम्बन्ध में रूल्स हैं उन रूल्स में जो प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है उसी के आधार पर गिरदावरी स्लिप तैयार करने और उनको इश्यू करने और खसराटीप तैयार करने के नियम बनाये हुए हैं। उन नियमों की पूर्ति करना यह तमाम रूल्स का हिस्सा है। उन रूल्स के एक्जिस्ट रहते हुए उनको बिना अमेन्ड करते हुए गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर्स जारी किये हैं, क्या यह बात सही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसे कोई रूल्स नहीं हैं। आप बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में भी और सदन के बाहर भी इस सम्बन्ध में कई बार शिकायतें आई हैं कि पटवारी जिस आदमी के नाम पर जो जमीन है, वास्तव में जो आदमी कब्जे में है और खेती कर रहा है उसके नाम पर नहीं दर्ज करके और दूसरे आदमी के नाम पर दर्ज कर देता है, और इसको भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया बताया गया है। चारों तरफ से सदन में आवाज उठाई गई थी और माननीय सदस्य भी उस आवाज में शामिल थे। सदन के माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए यह आदेश दिया है कि खसरे में जो १६, २४, ३२, ४० और ४१ नम्बर के खाने हैं उनके अन्दर पटवारी इन्द्राज नहीं करें। वह गलत इन्द्राज कर देता है, वही एक भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। इसलिए हमने केवल पटवारी के द्वारा उन जमीनों का इन्द्राज करने की मुमानियत की है। कम्पीटेन्ट कोर्ट, तहसीलदार या दूसरे अधिकारी हैं उनके ऑर्डर्स के आधार पर या जजमेंट्स के आधार पर या डिक्लेरेशन्स के आधार पर कोई एन्ट्री करना हो तो उस एन्ट्री को या उसके आधार पर वह पटवारी कर सकता है, मुझे मोदी अपनी स्वीट विल के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आधार पर नहीं कर सकता है। इस तरह के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इसका रिएक्शन जानने के लिए हमने केवल टिल फर्दर ऑर्डर्स इसको जारी किया है। इस पर जितने रिएक्शन्स आज तक आये हैं कलेक्टर्स और नॉन ऑफिशियल एजेन्सीज के उन्होंने सबने इसका स्वागत करते हुए यह बताया है कि इससे करप्शन का मार्ग जो बहुत जोरों से चल रहा था वह बन्द हो गया है। खास तौर से अलवर और भरतपुर की समस्या को ध्यान में रखते हुए जो माननीय सदस्य के पास में दूसरे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन्होंने यह दलील दी थी, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया है। माननीय सदस्य ने एक एतराज और उठाया था कि तहसीलदार और दूसरी ऑथोरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स के आधार पर कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर यह भी आदेश जारी कर दिये हैं पटवारी सुओ मोटो नहीं करेगा बल्कि तहसीलदार, कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी कोई भी हो, पंचायत समिति हो उनके आदेश के अनुसार इन्द्राज में तब्दीली करना है तो वह की जा सकती है। सुओ मोटो पटवारी नहीं करेगा। यह ऐसे आदेश बाद में प्रसारित कर दिये हैं। इसके प्रेक्टिस में आने पर जो रिएक्शन्स हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अलवर जिले में अभी तक तहसीलदार इस प्रकार के इन्द्राजात में जो लीगली चेन्जेज हुए हैं उन इन्द्रजात को नहीं कर रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तहकीकात से सम्बन्धित है। कोई तहसीलदार इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं नहीं कह सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एज ए होल ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारा आदेश स्पष्ट है १० फरवरी, १९६४ का जिसके पैरा नं० ५ में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार की जो कम्पीटेन्ट ऑथोरिटीज हैं उन्होंने इस सम्बन्ध में जो ऑर्डर्स दिये हैं उसकी तामील में उसके अनुसार रद्दोबदल किया जा सकता है पटवारी के द्वारा सुओ मोटो नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आप आर्डर्स का एक्जीक्यूशन करवाइये।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : यह जो सर्क्यूलर निकाला गया है वह केवल अलवर और भरतपुर के लिए ही है या और भी जगह गिरदावरी स्लिप नहीं बांटी जाय उसके लिए भी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह बात शुरू शुरू में स्टार्ट हुई थी अलवर और भरतपुर के लिए। इसलिए पहला आदेश अलवर और भरतपुर के लिए था। उसके बाद में सारे राजस्थान में एक ही सिस्टम कर दिया गया है। इसलिए अलवर और भरतपुर का सवाल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार महसूस नहीं करती है कि पटवारी गड़-

Page No. 26

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बड़ नहीं करता है और यह आर्डर उसको रोकने में किस हद तक सही होगा ? लेकिन इसका दूसरा आस्पेक्ट भी है कि जो सब-टेनेन्ट अभी तक रेकार्ड में अपनी काश्त नहीं बता पाये थे, जो अपने हकूक को रेकार्ड नहीं करा पाये थे उनमें अब कान्शसनेस पैदा हुई है, वह अपनी पुरानी काश्त को रेकार्ड कराना चाहते हैं, वह अब कराने से महरूम हो गए हैं और जो पोजीशन गलत दर्ज कर दी गई है वह क्या इन तरीकों से दुरुस्त हो जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में गलतफहमी यह हो रही है कि जो खाने जिनमें पटवारी को इन्द्राज नहीं करना चाहिए, वे खाने हैं १६, २४, ३२, ४० और ४१ और जो आप एतराज उठा रहे हैं वह खाना नं० ६ है सब-टेनेन्ट का। उसके अन्दर जो एग्जिस्टिंग इंद्राज है वह जमाबन्दी के आधार पर किया हुआ है या किया जायगा। ६ की मुमानियत नहीं की है। उसके बाद में अगर कोई आदमी जो एग्जिस्टिंग में सब-टेनेन्ट है या नहीं और कोई कहता है कि मैं हूं सब टीनेन्ट तो उस इन्द्राज को नहीं करेगा जो पटवारी के लिए नहीं करने के बारे में रोक है। अगर वह सब-टीनेन्ट है तो तहसीलदार के ऑर्डर से या कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के ऑर्डर से अपने नाम का इन्द्राज करवा सकता है। इस तरह का मतलब है जो मैंने पैरा नं० ५ या ६ कहा है उसका। सरकार ने खाना नं० ६ जो कि सब-टीनेन्ट का होता है उसकी रोक नहीं की है। कोई आदमी अपने आपको सबटेनेन्ट समझता है और उसमें दर्ज नहीं है तो तहसीलदार के ऑर्डर से रेकार्ड में दर्ज करवा सकता है। सब-टेनेन्ट के हक को खत्म करने की मन्शा इस सरकार की नहीं है।

कुमारी उमा माथुर : यह जमाबन्दी किस आधार पर कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमाबन्दी का वही आधार है जो अभी तक था। वह नहीं बदल रहे हैं।

कुमारी उमा माथुर : इन्द्राज नहीं कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्द्राज केवल पटवारी नहीं कर रहा है। पटवारी भ्रष्टाचार करता था उसको रोकने के लिए किया है। इन्द्राज कम्पीटेन्ट कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर्स वगैरह से होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फेक्चुअल पोजीशन यह है कि तहसीलदार एन्टरटेन नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन्स। वह चेन्ज नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

चेचक निरोधक कार्य के लिए उठाए गए कदम-जिला जालोर

७७. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(१) क्या यह सच है कि जिला जालोर व बाड़मेर में अलग चेचक निरोधक कार्य के लिए डाक्टर अभी तक नहीं लगाया गया है जब कि ऐसे डाक्टर की नियुक्ति के लिए जगह मौजूद है ? अगर हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं जब कि दोनों जिलों में कार्य बहुत अधिक है ? क्या सरकार निकट भविष्य में अलग चेचक निरोधक कार्य के लिए एक डाक्टर नियुक्त करने का विचार रखती है ? अगर हां तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सच है कि अभी चेचक निरोधक कार्य डी० एम० एण्ड एच० ओ० को ही दिया हुआ है ? अगर हां तो क्या डी० एम० एण्ड एच० ओ० अपने कार्यों को देखते हुए उस कार्य को सन्तोषपूर्ण ढंग से करने में समर्थ हैं ?

(३) जिला जालोर मे चेचक निरोधक कार्य के लिए इस साल क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) डाक्टर की नियुक्ति की जा चुकी है ।

(२) जी हां, स्थाई डाक्टर की नियुक्ति न होने तक चेचक निरोधक कार्य डी० एम० एण्ड एच० ओ० ही देखते थे । ऐसा प्रबन्ध जब तक कोई पद खाली होता है तब तक किया जाना वांछनीय है ।

(३) अप्रेल १९६४ से २६ वेक्सीनेटर एन्यूमरेटर, ६ स्वास्थ्य निरीक्षक व एक स्वास्थ्य शिक्षक और बढ़ा दिये गये हैं । इस समय जालोर, बाड़मेर जिले में इस कार्य के लिए ११ स्वास्थ्य निरीक्षक, १ स्वास्थ्य शिक्षक व ९६ वेक्सीनेटर एन्यूमरेटर हैं । १५ जुलाई, १९६४ तक जालोर जिले में २१,१२८ प्राथमिक व १,५३,८५२ पुनः टीके लग चुके हैं ।

(९. ०० म० पू०)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय काम तो सेटिस्फेक्ट्री हो रहा है यह कहा गया है लेकिन वहां पर डाक्टर तो कोई नहीं है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह तो मैंने स्वयं माना है लेकिन डाक्टर की नियुक्ति की गई है । पहले जिस डाक्टर की नियुक्ति की गई थी वह नहीं पहुंचा । अब दूसरे डाक्टर को नियुक्त किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

डेवलपमेन्ट फन्ड की रकम

७८. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार के आदेशानुसार जमीन के विक्रय की रकम को डेवलपमेंट फण्ड के नाम से नगरपालिका को जमा कराना चाहिए वह रकम नगर विकास कार्यों में ही खर्च की जानी चाहिये ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) यदि हां, तो जोधपुर डिविजन में किन किन नगरपालिकाओं ने सरकार की उक्त आज्ञा का पालन किया है व कौन कौन सी नगरपालिका ने उक्त आज्ञा का पालन नहीं किया ?

(३) जिन नगरपालिकाओं ने सरकार की उक्त आज्ञा का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध सरकार ने ३१. १. ६४ तक क्या कार्यवाही की और जिनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की उसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) डेवलपमेंट फण्ड कायम न होने की दशा में भूमि विक्रय की आय को डेवलपमेंट फण्ड में जमा नहीं कराया जा सका ।

(३) नियमों के अभाव में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है । डेवलपमेंट फण्ड निर्माण के नियम विचाराधीन हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने पहले के उत्तर में 'जी हां' कहा है और दूसरे के उत्तर में आपने बताया कि डेवलपमेंट फण्ड कायम नहीं होने की दशा में भूमि विक्रय की आय को डेवलपमेंट फण्ड में जमा नहीं कराया जा सका । माननीय मंत्री महोदय यह स्पेसिफिकली बतावें कि ऐसा नहीं करने से जो नियम बनाये गये हैं उसकी अवहेलना म्युनिसिपेलिटी ने की या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने ३' में कहा है कि नियम नहीं बने और डेवलपमेंट फण्ड नहीं बन सका । इसलिये म्युनिसिपेलिटी फन्ड में पैसा जमा नहीं करा सकी ।

श्री तेजाराम गहलोत : नियम बनें हुए हैं उसके अनुसार म्युनिसिपेलिटी ने नियमों की अवहेलना की या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : इस जगह पर डेवलपमेंट फण्ड का ताल्लुक है, नियमों का पालन नहीं हुआ यह मान कर चलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री रामकिशन

७६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कामां तहसील के अन्तर्गत अभी भी कुछ उपजाऊ भूमि पानी में डूबी पड़ी है ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

(२) क्या उन किसानों से जिनकी भूमि पानी में डूबी पड़ी है, लगान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वसूली को उचित समझती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं ।

(२) कोई भूमि इस समय पानी में डूबी नहीं पड़ी है ।

श्री रामकिशन : यही आप हर साल जवाब दे देते हैं, यही मुश्किल आ रही है क्या यह बना बनाया जवाब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस प्रकार आपका बना बनाया प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार जवाब है ।

श्री रामकिशन : यह बात सही है कि हर साल कामा तहसील के कई गांव पानी में डूबे रहते हैं और पिछले तीन सालों से पानी में डूबे रहे हैं और हर साल उनसे लगान वसूल हुआ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने पूछा है कि अभी भी क्या वहां भूमि पानी में डूबी पड़ी है और उसका मैंने उत्तर दिया है ।

श्री रामकिशन : आप मेरे साथ चलिये आपको तकलीफ तो होगी । किराया मैं दूंगा आपको मालूम हो जावेगा । यह जवाब आपने ६ महीने पहले मंगाया होगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी जवाब मंगाया गया है ।

श्री रामकिशन : आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी । आप मेरे साथ चलें, आपकी हालत खराब है तो किराया मैं आपको दे दूंगा । आप वहां पर अपने इन्जीनियरों से पूछिये कि वहां के गांव पानी में डूबे या नहीं और तीन साल से बराबर उन लोगों से लगान वसूल हो रहा है । आपको थोड़ी बहुत तकलीफ तो करनी पड़ेगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका शायद इस साल से मतलब नहीं था । आपका मतलब गये साल से हो सकता है । गुजिश्ता साल ५०३०.६४ नये पैसे डूबी हुई जमीन की लगान वसूल कर लिया गया था । जब हमारे सामने मामला आया तो हमने उस लगान को जो वसूल किया गया था उसको रिफन्ड करने का आदेश दे दिया और यह रकम जल्दी ही उनको रिफन्ड कर दी जावेगी या अगले लगान में बाद दे दी जावेगी ।

श्री रामकिशन : आयन्दा के लिए आपने क्या किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आयन्दा के लिए भी हमने ऐसा ही करने के आदेश कर दिए हैं ।

श्री रामकिशन : आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद । मेरा किराया भी बच गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

एक प्रश्न श्री शंकरलाल का रह गया है ।

नगरपालिका बड़ी सादड़ी के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

८०. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में नगरपालिका बड़ी सादड़ी के चेयरमैन

(श्री शंकरलाल)

ने नगरपालिका कार्यालय के निजी ताले लगा दिये जिससे कार्यालय बीस दिन तक बन्द रहा? क्या ताले एस०डी०ओ०, चित्तोड़गढ़ द्वारा खुलवाये गये थे? यदि हां, तो चेयरमैन नगरपालिका के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं,तो क्यों नहीं? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्धी शिकायत नगरपालिका के सदस्यों द्वारा की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों?

(२) क्या यह भी सही है कि इस कारण अध्यक्ष को एक बार निलम्बित भी किया गया था और बाद में निलम्बन की आज्ञा को वियड्रा कर लिया गया?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सचिव व अध्यक्ष, दोनों ने अलग अलग ताले लगा दिये थे। जांच पर अध्यक्ष, सचिव व एक लेखक को निलम्बित कर दिया गया था।

(२) जी हां।

श्री शंकरलाल : इसमें और भी कोई शामिल था? (अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण: इसमें एक लेखक भी शामिल था। इसलिए तीनों को निलम्बित किया गया।

श्री शंकरलाल : पहले निलम्बित किया और अब उनको बहाल क्यों किया गया?

श्री दौलतराम सारण : पहले एस० डी० एम० के मोशन पर उनको निलम्बित किया फिर डाइरेक्टर के द्वारा जांच की गई। उसके बाद उनको बहाल कर दिया गया। और सेक्रेटरी को सस्पेन्शन के समय का वेतन जब्त करके उसको सजा दी गई।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार ने उनको कसूरवार माना है?

श्री दौलतराम सारण : लेखक और सेक्रेटरी को ऐसा मानकर ही सजा दी गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही—सूरतगढ़

६१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पुलिस विभाग सूरतगढ़ ने वहां के सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर के खिलाफ ४०६की कोई कार्यवाही कर रखी है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई?

Page No. 31

उत्तर

जी हां। कार्यवाही की गई थी। मुकदमा दर्ज कर, तफतीश पहले स्थानीय पुलिस ने, एवं पश्चात सी०आई०डी० ने की जिससे कोई गबन नहीं होना पाये जाने से, अदम बकुआ में अन्तिम निर्णय उस मामले में दिया गया।

जयपुर शहर में पानी के कारण बीमारी की रोक थाम

६४. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में बच्चों और वयस्कों के पेट की बीमारी आम हो गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इसका मुख्य कारण जयपुर शहर में सप्लाई होने वाले पानी की बुराइयां हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नालियां बनाने के लिए स्वीकृत धनराशि—भरतपुर

६७. श्री सांवलिया राम (रूपवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर में नल लगाने से पहले पानी के निकास के लिये नालियां बनाया जाना जरूरी नहीं था ?

(२) नालियां बनाने के लिये कोई राशि स्वीकृत की गई थी या इस कार्य को नगरपालिका द्वारा किये जाने के लिये छोड़ दिया गया था ?

(३) यदि नालियों के लिये आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया था तो यह कार्य क्यों नहीं किया गया ?

(४) क्या सरकार भरतपुर में नालियां बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां

(२) इसकी जानकारी की जा रही है

(३) इसकी जानकारी की जा रही है

(४) विचाराधीन है

Page No. 32

चीनी की चोर बाजारी के मामले

६८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में चीनी की चोर बाजारी सम्बन्धी कितने मामले पकड़े गये हैं ? उनमें क्या क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

(२) जिन मामलों में कार्यवाही की गई उनके क्या परिणाम रहे ?

(३) चीनी की चोर बाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

राज्य चीनी की चोर बाजारी सम्बन्धी कुल ८३ मामले पकड़े गये जिनमें से ४६ मामले पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। १६ मामल में पुलिस की तसतीक जारी है। २२ मामलों में विभागीय जांच की जा रही है : पुलिस या विभागीय तसतीक होने पर आगे अदालती कार्यवाही की जाती हैं। जिन मामलों में अदालती कार्यवाही की गई उनमें से ७ मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों पर जुर्माने की सजायें हुई। कुछ मामलों में २०००) रुपये तक का जुर्माना हुआ है।

सुगर कन्ट्रोल आॅर्डर और सुगर लाइसेंसिग आर्डर, के अन्तर्गत चोर बाजारी को रोकने के लिए, पुलिस एक्साइज टैक्सेशन व इन्डस्ट्रीज विभाग के इन्सपेक्टरान आदि का विशेष अधिकार राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत जिलाधीशों द्वारा दिये गये हैं। उनके द्वारा समय समय पर चेंकिंग किया जाता रहा है। दोषी पाये जाने पर भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत खिलाफ कार्यवाही की जाती है व आई०पी०सी० के तहत भी कार्यवाही की जाती है।

चीनी की चोर बाजारी को रोकने के लिए चीनी के वितरण पर भी पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है। स्टॉक की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर पुरानें राशन-कार्डो को बदलाकर नये राशनकार्ड बाद जांच दिये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

आवारा गायों की नीलामी

६६. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर पुलिस ने सन् १६६३ में खेड़ली सैयद के इर्दगिर्द से कुछ गायें जो आवारा थीं, पकड़ी थीं? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी थी?

(२) ये गायें अब कहां है? क्या इन्हें नीलाम किया गया है? यदि हां, तो कितने रुपयों में और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी नहीं। पुलिस ने कोई गाय नहीं पकड़ी किन्तु पुलिस ने पंचायत समिति रामगढ एवं जनता को जंगली आवारा गायें पकड़ने में मदद दी थी। ये मय बछड़ों के कुल पेंतालीस गायें थी?

(२) उक्त पंचायत समिति ने ही कुछ गायें उन व्यक्तियों को देदीं जिन्होंने इनको पकड़ने में मदद दी थी, करीब दस गायें बाड़े में से जहां उन्हें समिति द्वारा रखा गया था भाग निकलीं और शेष को सिरसका जंगल में छोड़ दी गई। समिति ने कोई गाय नीलाम नहीं की।

नारी चिकित्सक की नियुक्ति-बाड़मेर

७०. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर अस्पताल में नारी चिकित्सक की स्वीकृति हो चुकी है?

(२) अगर हां, तो वह स्थान रिक्त क्यों है और इसकी पूर्ति कब तक हो जायेगी?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पी. एन. आर. सी. की. ट्रेनिंग

७२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नर्सिंग कॉलेज में पुरुष विद्यार्थियों को लोकल ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत समय तक पी० एन० आर० सी० ट्रेनिंग के लिये सलेक्ट नहीं किया जाता?

(२) यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या अब भविष्य में लोकल ट्रेनिंग के बाद मेगजीमम समय सलेक्शन के लिये १ माह से अधिक नहीं हो, उसके लिये नियम बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक यह नियम बन जायेंगे?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(चिकित्सा मंत्री)

(२) प्रश्न नहीं उठता है।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नाजायज काश्त सम्बन्धी दर्ज मामले कोलोनाइजेशन तहसील नोहर भादरा

१३. श्री रामकिशन (वैर)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री कल्याण सिंह, तहसीलदार कोलोनाइजेशन, नोहर (गंगानगर) में किस तारीख से किस तारीख तक अपने पद पर कार्य करते रहे हैं ?

(२) कोलोनाइजेशन तहसील नोहर व भादरा में नाजायज काश्त (अनऑथोराइज्ड कल्टीवेशन) सम्बन्धी कितने मामले वर्ष १७-५८-५९ में दर्ज रजिस्टर हुए हैं ?

(३) नाजायज काश्त सम्बन्धी कितने मामलों में डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन द्वारा वर्ष ५७-५८-५९ में कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा २२,२३ व २४ के तहत कार्यवाही किये जाने का हुक्म हुआ है ? तहसील वाइज तथा सन् वार बताने की कृपा करें।

(४) डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन द्वारा धारा २२,२३ व २४ की कार्यवाही करने के लिये मंजूर की गई कितनी फाइलों में से कितनी फाइलों पर कार्यवाही की गई है और कितनी फाइलों को बिना किसी कार्यवाही के ही तहसीलदार श्री कल्याण सिंह द्वारा दाखिल दफ्तर कर दिया गया है ?

(५) क्या दफा २२, २३ व २४ की कार्यवाही नहीं होने के कारण सरकार को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो किस तरह और कितना ?

उत्तर

(१) श्री कल्याणसिंह तहसीलदार नोहर में १. ४. ५७ से २. २. ६० तक तहसीलदार रहे।

(२) इन तहसीलात में जो नाजायज काश्त सम्बन्धी मामले दर्ज हुए वह इस प्रकार हैं :

तहसील	५७	५८	५९
नोहर		६३	६०
भादरा	....	....	१
		६३	६१

(३) इन मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है :

तहसील	५७	५८	५९
नोहर		६१	१७
भादरा	...	....	....

(राजस्व मंत्री)

(४) डाइरेक्टर कालोनाइजेशन द्वारा कुल ८० मिसलों में धारा २२ व २४ की कार्यवाही किये जाने का मंजूरी हुई जिनके अनुसार नाजायत काश्त शुदा रकबे पर कब्जा वहक सरकार ले लिया गया धारा २३ की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब कि उपरोक्त नाजायत काश्तकारों ने सहकारी भूमि पर अपना कब्जा ही छोड़ दिया धारा २४ की कार्यवाही बाबत कुर्की फसल की गई इस प्रकार कोई भी फाईल बिना किसी कार्यवाही के दाखिल दफ्तर नहीं की गई ।

(५) जब कि कुल केसेज में नाजायत काश्त शुदा रकबे पर कब्जा वहक सरकार लिया जाकर फसल कुर्की आदि का जुर्माना वसूल कर लिया गया तो सरकार को आर्थिक नुकसान होने का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है।

मवेशियों की चोरी के दर्ज मामले जिला झालावाड

१४. श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६०-६१, ६१-६२, ६२-६३, में पुलिस स्टेशन भवानी मंडी, सुनेल, पिडावा व रायपुर जिला झालावाड़ में मवेशियों की चोरी के कितने कितने केस दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) प्रश्न के भाग नं० १ में उल्लिखित चोरी गये मवेशियों में से कितने मवेशी मय मुल्जिम के बरामद किए ? व कितने मवेशी बिना मुल्जिम के बरामद हुए ? पुलिस स्टेशन-वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) बिना मुल्जिम के मवेशी बरामद हो जाने का क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि मवेशी चोरी हो जाने की रिपोर्ट ७५ प्रतिशत केसेज में पुलिस स्टेशनों पर दर्ज ही नहीं की जाती है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) उपरोक्त सूची में दर्ज है ।

(३) प्रायः ऐसा होता है कि जब अपराधियों का पीछा किया जाता है तब ये चुराये हुए मवेशियों को छोड़ कर भाग निकलते हैं ।

(४) जी नहीं । पुलिस थानों में दी जाने वाली समस्त रिपोर्टें दर्ज की जाती हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

गंगानगर परिषद् जल विभाग

१५. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर परिषद् में जल विभाग (वाटर-वर्क्स) में:—

(१) कितना स्टाफ है ?

Page No. 36

(श्री केदारनाथ)

(२) इसमें कितने कर्मचारी स्थाई हैं ?

(३) स्थाई बनाने का आधार क्या है ?

उत्तर

(१) कुल ४६ कर्मचारी हैं ।

(२व३) स्थायी कोई कर्मचारी नहीं हैं । राजस्थानम्युनिसिपल सबोर्डीनेट व मिनिस्ट्रीयल सर्विस रूल्स १९६३ स्थायी बनाने का आधार है।

डूब में आई भूमि का मुआवजा

१६. श्री जुझार सिंह (चेचट)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल राइट मेन केनाल में छोड़े गये पानी को नवल बाग व धाकड खेड़ी के नाले में डालने के कारण कितने ही व्यक्तियों का रकबा हर साल डूब में आया है ?

(२) डूब में आने वाले व्यक्तियों को तकावी वसूल करने, माल हासिल छोड़ने व खराब हुई फसल का मुआवला देने की दिशा में सरकार द्वारा कब व क्या कदम उठाये गये हैं ?

(३) फसल की औसत पैदावार किस आधार पर और कितनी आंकी गई है और क्या इस आंक से काश्तकार रजामन्द है ?

(४) हमेशा डूब में आने वाली इस जमीन के मुआवजे में काश्तकारों ने क्या दूसरी सरकारी जमीन की मांग की है और यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) फसल का मुआवजा देने की दिशा में ९५९१ रु० २० पैसे का मुआवजा आंका गया है और ३१८६ रु० ६०.पैसे चुकाया जा चुका है बाकी ६४०४ रु० ६० पैसे चुकाने की कार्यवाही चालू है । ५८५७ रु० १० पैसे के ऐस्टीमेट सरकार के पास मंजूरी के लिये जून ६४ में गया है । इसकी मंजूरी आते ही शेष मुआवजा चुका दिया जावेगा । डूब में आने वाले इन व्यक्तियों को तकावी वसूल करने माल हासिल छोड़ने की कार्यवाही राजस्व विभाग के अधिकार में है ।

(३) फसल की औसत पैदावार राजस्व विभाग द्वारा किस्म जमीन के आधार पर आंकी गई है चाही व बारानी में गेहूं क्रमशः १० मन व ४ मन प्रति बीघा तथा चना क्रमशः ६ मन व २ प्रति मन बीघा आंका गया है मटर का प्रति बीघा १५०) आंका गया है व गेहूं व चने की औसत पर १८) मन आंकी गई है जिसे काश्तकारों ने पूरी रजामन्दी के साथ स्वीकार किया है ।

(४) जी हां, धाकड खेडी के एक कास्तकार ने ऐसी मांग की थी । उसको इस विषय में सम्बन्धित विभाग को निवेदन करने के लिये कहा गया क्योंकि वह उन्हीं के अधिकार की बात है ।

Page No. 37

चीनी का अलॉटमेन्ट, गंगापुर

१७. वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगापुर सब-डिविजन को दिसम्बर ६३ से ३१ अप्रेल, १९६४ तक कुल कितनी बोरी चीनी जिलाधीश द्वारा दी गई ?

(२) इस सब-डिविजन में स्पेशल परमिटों द्वारा कितनी बोरी चीनी बेची गई तथा स्पेशल परमिट किन आधारों पर दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

२६६० बोरी

उक्त अवधि में स्पेशल परमिटों द्वारा ३११ बोरी चीनी वितरित की गई। जिसका विवरण निम्न है :—

१-तहसील गंगापुर	१०७
२-तहसील नादौती	५३
३-तहसील वामनवास	४७
४-नगरपालिका क्षेत्र गंगापुर	१०४
कुल	३११

स्पेशल परमिट जिले की एडवाइजरी कमेटी के आदेशानुसार व्यक्तियों की विशेष निजी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए जारी किये गये। स्पेशल परमिटों की चीनी खासतौर से उसी दशा में दी गई जबकि प्रार्थना-पत्र पर सरपंच, बार्ड सदस्य नगरपालिका तथा एम०एल०ए० की तसदीक मौजूद थी।

मिल्कवान्स पर वार्षिक व्यय, जयपुर

१८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में कितने पशुपालन विभाग के मिल्क-वान है और उनमे सालाना कहां कहां पर, कितना कितना दूध वितरण किया जाता है ?सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन पर सालाना कुल कितना खर्चा किया जाता है ?

(३) कुल खर्च में से कितना कर्मचारियों पर कितना पेट्रोल पर तथा कितना अन्य खर्च होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या इन मिल्क-वान्स के सरकार को कोई आमदनी भी होती है ? यदि हां, तो वार्षिक कितनी ?

उत्तर

(१) जयपुर में पशु पालन विभाग के छः मिल्कवान हैं और उनसे जितना भी दूध वितरित किया गया उसकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) खर्चा सन् १९६३-६४ का कुल खर्चा २९७२१) रु० है।

(३) कुल खर्च में से कर्मचारियों पर ५,५९९)रु०, पेट्रोल व आयल पर १५,६४३) रु० तथा अन्य खर्चा में ८,४७९) रु० खर्च हुए हैं।

(४) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(९.०५ म० पू०)

धौलपुर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के संबंध में उपमन्त्री, गृह द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : धौलपुर में कुछ दिन पूर्व घटनाए हुई उसके संबंध में कृपया मंत्री महोदय प्रकाश डालें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : दिनांक ३० जुलाई, १९६४ को म्यूनि-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सिविल सदस्य श्री छक्कूरामने १० : १२ व्यक्तियों के साथ अधिकारियों के द्वारा उनकी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के विरोध स्वरूप भूख हड़ताल करने के विचार से गांधी चबूतरी धौलपुर पहुंचे, यद्यपि उन्हें एस. डी. एम. के द्वारा पहले ही आश्वासन दिया जा चुका था कि धौलपुर में इम्पोरटेड गेहूं का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है तथा दूसरे दिन आटे के १५० बोरे भी उपलब्ध कर दिये जावेंगे। लगभग दिन के १२·३० बजे कुछ व्यक्ति वहां एकत्र हुये और उस भीड़ के अवैधानिक होने के लक्षण प्रगट होने लगे। श्री छक्कूराम इस अवसर पर वहां से चले गये किन्तु यह भीड़ जिसमें मिडिल स्कूल के कुछ छात्र भी सम्मिलित थे, बढ़ती चली गई। इस भीड़ ने अवैधानिक रूप में परिणत हो फल की कुछ दुकानों की लूट-खसोट करना प्रारम्भ कर दिया परन्तु फल विक्रेताओं को जो हानि हुई वह मामूली थी। भीड़ में संख्या और भी बढ़ी और वह श्री प्रतापसिंह एम. एल. ए. के मकान की ओर चल पड़ी। इस समय तक भीड़ में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या लगभग १५०० के हो गई थी। भीड़ श्री प्रताप सिंह एम. एल. ए. के किरायेदार की दुकान में और साथ ही उनके मकान में अवैधानिक रूप से घुस गई। किरायेदार की दुकान से सरसों की तीन चार बोरियां लूटी गई। एस. डी.एम. पुलिस दल को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे, किन्तु भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। अवैधानिक भीड़ कोठी बाजार स्थित खाद्यान्न विक्रेताओं की दुकान पर पुनः एकत्र हुई और श्री बाबूलाल तथा सुमतिराम की दुकानों को उसने लूटा। उसने सरसों एवं अरहर की कुछ बोरियां जबरन छीन लीं। ज्यों ही एस· डी. एम. तथा पुलिस दल वहां पहुंचा, भीड़ पुनः तितर बितर हो गई। कुछ समय बाद अवैधानिक भीड़ निहाल गंज पुलिस चौकी के समक्ष फिर से प्रकट हुई। एस. डी. एम. तथा पुलिस अधिकारी चौकी के भीतर थे। व्यवस्थाविहीन भीड़ ने कानून को अपने हाथों में ले लिया और उसने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंके, सरकारी वाहनों को क्षति पहुंचाई एवं पुलिस के कुछ कर्मचारियों को चोटे पहुंचाई। इस भीड़ को व्यवस्थाविहीन एवं अवैधानिक देखकर एस. डी. एम. ने उसे जाब्ता फौजदारी की तहत (अनलॉ फुल एसेम्बली) Unlawful Assembly घोषित कर दिया और उन्हें तितर बितर हो जाने के लिए चेतावनी दे दी किन्तु भीड़ ने उस चेतावनी की किंचित भी परवाह न कर पत्थर फेंकना जारी रखा। स्थिति को अनियंत्रित देखकर एस. डी. एम. को अंतिम प्रयास स्वरूप एस. एच. ओ. को उत्तेजित भीड़ के तितर बितर करने के हेतु मामूली बल प्रयोग करने के लिये आदेश देना पड़ा। पुलिस ने हल्का लाठी प्रहार किया और भीड़ बिखर गई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जाब्ता फौजदारी की धारा ११४ के अन्तर्गत तीन दिन की अवधि तक के लिये धौलपुर की म्यूनिसिपल सीमा में प्रातः ८ बजे से सायं ६ तक ५ अथवा ५ से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी सभा को न करने तथा एस. डी. एम. कोर्ट के दो चपरासियों को जब कि वे अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे इस भीड़ द्वारा चोटे पहुंचाई गई।

पुलिस को चोट पहुंचाने तथा ३ दुकानो को लूटने से सम्बन्धित विभिन्न घटनाओं में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हुये चार केसों में कुल मिला कर १६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं १४९ १४८, ३३२, ४५२ तथा ३६५ के अन्तर्गत केस रजिस्टर किये जा चुके हैं। भीड़ के १० व्यक्तियों को भी चोटें आई हैं। उनमें से दो व्यक्तियों को सख्त चोटें आई हैं जिनकी हालत अब ठीक है।

दिनांक ३१ जुलाई, ६४ को जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ के अन्तर्गत दी गई आज्ञा यथावत् जारी रही। जनता द्वारा ६ बजे के बाद जुलूस निकाला गया किंतु पुलिस की सतर्कता से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिसमें पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी हो।

दिनांक १ अगस्त, १६६४ को कुछ समाज विरोधी तत्वों ने विद्यार्थी समाज को जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ के अन्तर्गत दी गई आज्ञा के विरोध में जुलूस निकालने के लिए भड़काया। परिणामतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाएं छोड़ दीं और दूसरों को भी ऐसा अनुकरण करने के लिए बाध्य किया अतः कालेज और स्कूल इस कारण इस दिन बन्द रखने पड़े। विद्यार्थियों ने इस १४४ जा० फौ० के नियन्त्रण के विरोध में एक जुलूस निकाला। एस. पी. तथा एस.डी. एम.पुलिस फोर्स सहित वहां पहुंचे और उनके पहुंचने पर विद्यार्थी तितर बितर हो गये। इस समय एक रिक्शा जो स्थिति को अस्त व्यस्त करने का प्रचार करने वाले माइक्रोफोन को ले जाने के लिए इस अवैधानिक भीड़ के उपयोग मे लाया जा रहा था, भीड़ की इधर उधर भाग दौड़ के कारण, उलट गया जिससे कुछ विद्यार्थियों को खरोंचें आ गईं। चार विद्यार्थी पकड़े गए किंतु उनके द्वारा जमानत देने पर उन्हें छोड़ दिया गया इस समय कोई लाठी प्रहार नहीं किया गया। कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा स्थिति को और भी खराब किये जाने के विचार से यह मिथ्या समाचार फैलाया गया कि पुलिस ने इस समय भी विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार किया किंतु पुलिस ने बिना किसी बल प्रयोग के स्थिति को अत्यन्त कुशलता से काबू में रखा।

दिनांक १ अगस्त, १६६४ को सायंकाल श्री मुकुटबिहारीलाल (समाजवादी) विधान सभा सदस्य धौलपुर पहुंचे। उन्होंने तथा अन्य समाजवादी एम. एल. ए. श्री हरिशंकर ने धारा १४४ के उल्लंघन में एक सभा आयोजित की जिसमें लगभग १००व्यक्ति उपस्थित थे। एस. डी. एम. तथा एस. पी. वहां पहुंचे और उन्होंने चेतावनी दी कि वे कानून का विरोध कर रहे हैं और इस प्रकार एक अपराध कर रहे हैं किंतु कुछ ही व्यक्ति बिखर सके और शेष ने एक जुलूस निकाला। इन परिस्थितियों में अवशिष्ट व्यक्ति जिनकी संख्या २ विधान सभा सदस्यों सहित १८ थी, को उक्त अपराध में गिरफ्तार करना पड़ा और कोतवाली ले जाना पड़ा। उनसे मुचलके एवं जमानत देने के लिये कहा गया किंतु ऐसा करने से उन्होंने इन्कार कर दिया। बाद में वे मय दोनों विधान सभा सदस्यों के मुचलकों पर छोड़ दिये गये। इसी अनुक्रम में

सायंकाल लगभग २००० व्यक्तियों का समूह कोतवाली धौलपुर के बाहर एकत्र हुआ एवं उसने नारे लगाये तथा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस समय भी लाठी प्रहार तथा पुलिस कार्यवाही जैसी कोई घटना नहीं घटी। जन समुदाय भी धीरे धीरे तितर बितर हो गया।

इस तीन चार दिन की सम्पूर्ण अवधि में केवल ३० जुलाई, १९६४ को दोपहर ही ऐसा अवसर रहा जब कि पुलिस को, ऊपर बताई गई परिस्थितियों के कारण हमलावर एवं अवैधानिक भीड़ जो अत्यन्त उत्तेजित हो चुकी थी, को तितर बितर करने के हेतु लाठी प्रहार करने को बाध्य होना पड़ा। पुलिस द्वारा सारी परिस्थिति काफी सतर्कता से सम्भाली गई।

श्री हरिशंकर (धौलपुर) : माननीय मन्त्री जी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक बार और निवेदन करनी रह गई।

दिनांक ३-४-६४ को श्री मुकुटबिहारीलाल एम. एल. ए. के इल्तजा करने पर श्री प्रतापसिंह एम. एल. ए. को सर्च किया गया कि उसमें सिर्फ १८ क्विन्टल धान डिक्लेयर्ड स्टॉक से ज्यादा मिला।

श्री मुकुटबिहारी लाल : ज्यादा मिला १८ क्विन्टल केवल ?

श्री रामकिशन : १८ क्विंटल या १८ किलो ?

श्री हरिशंकर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो सूचना सदन के सामने रखी है उसमें बताया है कि ३० तारीख को प्रदर्शन कारियों को जिसमें १९ व्यक्तियों के नाम हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उनको धारा ३४९ के तहत गिरफ्तार किया गया इसमें मैं एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं श्री छक्कीराम म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर है और श्री भैरोसिंह जो कि म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर है उनको भी गिरफ्तार किया गया जब कि वे दोनों लोग उस समय एस. डी. एम. की कोर्ट में मीटिंग में मोजूद थे। मंत्री जी कहते है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, बल्कि मैं यह कहूंगा कि जिस समय ३० तारीख को भीड़ ने प्रदर्शन किया उससे पहले उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया पुलिस के मना करने पर उन्होंने श्री बहादुरसिंह जो धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके घर जाकर उनसे कहा कि आप साथ दीजिये। श्री बहादुरसिंह जी ने भीड़ को उकसाया और कहा कि मेरे घर में गल्ला नहीं है श्री प्रतापसिंह जी के घर जाओ वहां पर गल्ला है। १९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तो क्यों नहीं उनके साथ बहादुरसिंहजी को भी गिरफ्तार किया ? उनको इसलिये गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको पुलिस में बुलाया तक नहीं। उन्होंने भीड़ को उकसा कर खतरा पैदा किया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस समय भीड़ प्रतापसिंहजी के घर पर गई थी तब वे प्रदर्शनकारी शान्त प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन कुछ कांग्रेसी तत्व बहादुर सिंह ने इसलिये भेजे कि वे भीड़ को उकसा

कर उनके मकान को लूटें। उन तत्वों ने जाकर भीड़ को उकसाया लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे तब उन तत्वों ने स्वयं कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाये और मकान लुटवाया।

१ तारीख के बारे में मंत्री जी ने कहा कि बच्चों ने जो प्रदर्शन किया था उसमें किसी का हाथ था। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें किसी का हाथ नहीं था बच्चों ने स्वयं ने प्रदर्शन किया था। उन पर जो लाठी चार्ज हुआ है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। चार विद्यार्थियों को गिरफ्तार करना मंत्रीजी ने स्वीकार किया है। कुछ विद्यार्थियों को चोटें इसलिये नहीं आईं कि माइक की गाड़ी उलट गई थी बल्कि उनको चोटें लाठी चार्ज के कारण आई है। एस. डी. एम. साहब उनको कोतवाली न ले जाकर अपने घर लाये हैं और उसके बाद सूबेदारसिंह जी जो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं धौलपुर में, वे स्वयं उन बच्चों को छुड़ा कर लाये हैं। इसमें गलती उन बच्चों की थीं या एस. डी. एम. की थी? उन्होंने कोई रिवोल्युशनरी कदम नहीं उठाया था, केवल नारे लगाये थे। एस. डी. ओ. ने आवेश में आकर उन पर लाठी चार्ज कराया और बच्चों को गिरफ्तार करवाया उसके फलस्वरूप उसके विरोध में हम लोगों ने जलूस निकालना चाहा था और यह भी चाहा था कि गल्ले कि स्थिति धौलपुर में सुधारी जाय। हमने यह कभी नहीं चाहा कि ऊधम मचावें। जून के अंतिम सप्ताह में मैं स्वयं ए. डी. एम. के घर पर मिल कर आया और उनसे मैंने कहा कि धौलपुर में गल्ले की स्थिति बहुत खराब हो रही है इसे सुधारा जाय। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वहां पर गल्ला भेजेंगे आप वितरण की स्थिति को संभालिये। मैं तब घर पहुंचा। प्रतापसिंह जी ने १५ जुलाई को टेलिग्राम और पत्र कलेक्टर और ए. डी. एम. को देकर सूचित किया था कि वहां पर गल्ले की स्थिति ठीक नहीं है इसलिये गल्ले का वहां पर प्रबन्ध करना चाहिये। इसलिये यह कहना कि एस. डी. एम. ने कहा था कि गल्ला पर्याप्त मौजूद है, सही नहीं है, गलत है। जब कि वहां का ए. डी. एम. और डी. एम. यह कहते हैं कि गल्ला भेजने को तैयार हैं तब भी मन्त्री जी कहते हैं कि गल्ला पर्याप्त मौजूद था। दूसरी बात कि २०० बोरी आटा स्टॉक में गवर्नमेन्ट के पास थी उसको गवर्नमेन्ट वितरित नहीं कर सकी केवल इसलिये कि १ तारीख आनी चाहिये थी, उन्होंने कायदा कानून से चलाना चाहा। पब्लिक भूखों मर रही थी २९ और ३० तारीख को, औरतों और बच्चों ने जाकर मांग की थी कि घर में खाने के लिये आटा नहीं है तब एस. डी. एम. ने कहा कि आज जुलाई है पहली अगस्त को आटा बाटेंगे। उन लोगों ने उनसे कहा था कि हमें पहले गल्ला नहीं मिल पाया था क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिये आज दिला दिया जाय इस पर भी ए. डी. एम. ने कहा कि पहली तारीख से पहले नहीं देंगे। यही तो कारण था प्रदर्शन का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने जान बूझ कर किया हो। इतना अफसोस मुझे है कि इस सरकार द्वारा हम लोगों को, १९ व्यक्तियों को, गिरफ्तार किया गया ३९५ के तहत वहां और व्यक्तियों

को, श्री बहादुर सिंह जी को, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, और उनके साथियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जब कि वे वहां थे और उकसाने में उनका हाथ था। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मन्त्री प्रवर ने अपना एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है। इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि आखिर समस्या पैदा कैसे हुई? आखिर सरकार समाज-विरोधी तत्व कहती किसे है? सरकार ने यह नहीं बताया कि जिन लोगों के पास अवैधानिक तरीके का बीसियों हजार मन गल्ला भरा हुआ है उन लोगों के खिलाफ आखिर क्या कार्यवाही की?

मैं निवेदन करूं, शुरुआत इस तरह से हुई। अभी अभी कहा, किसी पार्टी ने उकसाया और समाज-विरोधी तत्वों ने उकसाया-यह बात बिल्कुल गलत है। यह सवाल शुरू होने के पहले वहां एस. डी. ओ. ने और तहसीलदार ने मार्केट में दस बोरी गल्ले पर सील करना शुरू किया, दस बोरी दुकान पर मिली तो उनको सील लगा दी। मैं कहूंगा कि कि हमने यह बात कलेक्टर के सामने रखी और पब्लिक मीटिंग में भी लोगों ने कहा कि उन्होंने पांच सौ रुपये दिये तब जाकर सील खोली गई। जब यह हालत हो गई तो मार्केट में गल्ला आना बन्द हो गया, खुले बाजार में किसी दाम पर गल्ला मिलना बन्द हो गया। यह जो हालत हो गई इसका मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। वहां तो डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज हैं उनकी अदालत के पी. पी., पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं उनके गले में दर्द हो गया विदेशी अनाज खाने से। किसी ने उनको बताया कि मुकामी गेंहू है उसको मंगा लो और उसका दलिया वगैरह ले लो तो ठीक हो जायगा। उन्होंने पांच सेर गल्ला प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाया, अपने वकील साथियों का सहयोग लिया, खुद अपना इन्फ्लूएन्स भी यूज किया लेकिन उनको पांच सेर गल्ला नहीं मिला। यह हालत कैसे पैदा हुई जब कि दूसरी तरफ बीसियों हजार मन गल्ला भरा पड़ा हुआ है? यह हालत चल पड़ी, मैं आपको निहायत नम्रता के साथ निवेदन करूं, तो यह हालत हुई कि लेबर लोग भूख से छटपटाने लगते हैं, चांवल खाकर गुजर करने लगते हैं, सब्जी खाकर गुजर करने लगते हैं। उससे भी पेट नहीं भरा तो वे एस. डी. ओ. की कोठी पर पहुंचे। आखिर पेट की ज्वाला को वे कब तक तक सहन करते। अब तक किसी भी पार्टी का सामने आने का सवाल पैदा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, वे लोग वहां रोने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। एस.डी.ओ. ने यह तरीका अपनाया कि उनको किक मार कर और धक्के देकर कोठी से निकलवाना चाहा। (शेम, शेम) तो लोगों ने अपने पेट दिखाये, रोते बिलखते बच्चों को उनके सामने किया, एस. डी. ओ. के पैर पकड़ लिये और कहा—हम यहां से भाग जायेंगे, यू. पी. के इलाके में चले जायेंगे। सिर्फ रात भर हमें निकालने के लिये थोड़ा आटा दिलवा दीजिये, आपकी कस्टडी में आटा पड़ा है। वे घिघियाये तो उन्होंने कहा—कल देखेंगे।

Page No. 43

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

कल आना। मैं खुद स्पोट पर गया हूँ और मैंने लोगों से बात की है। आप जांच कर लीजिये। उन लोगों ने किसी तरह से रात भर करवट बदलते हुये रात बिताई। उस दिन रात इतनी लम्बी हो गई थी कि लोग सोचते थे, सूरज भगवान आज उदय ही नहीं होने को हैं। किसी तरह दिन निकला। वे एस.डी. ओ. के यहां पहुंचे। उन्होंने बहुत निहायत नम्रता के साथ निवेदन किया लेकिन उनको कोठी में नहीं घुसने दिया। यह हालत हो गई तो वहां साठ, सत्तर आदमी थे, उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ अपनी अर्ज की, अपनी तमन्ना जाहिर की तब एस. डी. ओ. ने कहा—शाम को देखेंगे। अभी भाग जाओ। उनके पास और सहारा क्या था और भूखा आदमी क्या कर सकता है; वह लोग कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचे, उनके दरबार में पहुंचे क्योंकि वे अपना पेट और अपने परिवार और बच्चों का पेट भरना चाहते थे। उनके पास एक सहारा था जो उनके इलाके के एम. एल. ए. साहब हैं, प्रतापसिंह जी। उनके दरबार में भी पहुंचे। उनकी कोठी पर जाकर कहा—हम पैसा देने को तैयार हैं। आपके पास गल्ला मोजूद है। हमें थोड़ा दे दीजिये। दो दो सेर अन्न दे दीजिये ताकि अपना और बच्चों का पेट भर सकें और फिर पैदल-पैदल चले जायं। वे बहुत जहालत से पेश आये। फिर उन्होंने अर्ज की कि आप समझ लीजिये हम भिखमंगे हैं और हमारे लिये एक एक सेर अन्न भीख डाल दीजिये। हम इस इलाके को छोड़ कर चले जायेंगे। आज का दिन और दूसरा दिन निकाल दें। नतीजा यह हुआ कि सेठ जोश में था। सेठ के पीछे बहुत बड़ी शक्ति है जो उस इलाके को भूखों मारने को तुली हुई है। उसका लड़का बन्दूक निकाल लाया और उन्होंने एस. डी. ओ. को टेलीफोन कर दिया कि मेरी कोठी लुटने वाली है, कोठी पर हमला होने वाला है। जब कि वहां पर कोई हमला नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। आखिर बेचारा भूखा आदमी क्या दंगा करता, औरतें क्या दंगा करतीं; बच्चे क्या दंगा करते। कोई इस तरह की बात नहीं हुई। उसका लड़का जब बन्दूक निकाल लाया, तो—मैं यह जरूर कहूंगा, जैसे ही वह बन्दूक तान कर गोली भरकर चलाने लगा तो उसे सेठ जी ने रोक दिया और धक्का देकर कोठी में धकेल दिया। यह सत्य बात मैं स्वीकार करूंगा। फिर क्या हुआ क्योंकि एस. डी. ओ. को टेलीफोन किया जा चुका था—कि मेरा घर लुट रहा है. डाका पड़ रहा है। तो उन्होंने आकर न कोई डिक्लेरेशन दिया और न चुनौती दी और बेतहाशा लाठी बरसवाना शुरू कर दीं। बच्चों के सिर फोड़े और धरती को खून से लाल कर दिया। (शेम शेम) मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा जब यह हालत हो रही थी तो फिर क्या था—कुछ लोग वहां कोठी में बैठे थे और कुछ मनचले लोग वहां पर थे। अब तक कोई पार्टी सामने नहीं आई थी और न ही किसी पार्टी का आने का सवाल पैदा हुआ था—यह जनता का जन उभार था और वह केवल अन्न मांगने के लिए गई थी रोटी, नाज मांगने के लिये गई थी। लेकिन उसको केवल पत्थर और लाठी मिली। एस. डी. ओ. की मोजूदगी में—एक आदमी मैं जिसका नाम बता दूं सिपाही हरनाम—वह तलवार लेकर लोगों पर टूट पड़ा और तलवार

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

से बुरी तरह वार करना शुरू कर दिया। मुन्ना नाम के आदमी के ६ चोटें आईं। उसका सिर फूट गया। लोगों के दांत टूट गये वे अस्पताल में पड़े हैं। ये बेचारे वहां पर रोटी मांगने गये थे।

उसके बाद क्या हुआ ? यहां कहा जाता है, जैसे मुख्यमन्त्री जी ने शायद किसी गलत सूचना के अधार पर कहा होगा, वैसे उनको मन्शा नहीं हो सकती है, कि किसी विधान सभाई के मकान को लूट लिया गया, डकैती डाल दी गई। मैं आपको निवेदन करता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। वहा से थोड़ी दूर जाकर एक दो बोरी रखी थीं। वहां जो लोग थे उनमें से कुछ बच्चे थे। क्योंकि इधर मार-पिट रही थी, इधर लाठियां चल रही थी तो उन्होंने समझा यह नाज है। उन्होंने उन बोरियों के टांके तोड़े और झोलियों में सरसों भर ली। तभी एक लाठी चार्ज का प्रहार आया। वे, अध्यक्ष महोदय, बेतहासा तरीके से गिरते पड़ते भागे और सरसों मैदान में बिखर गई। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अपनी झोली में भरकर कोई भी लड़का सरसों ले जाने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसी हालत है, इसको आप कुछ भी रूप दे दीजिये।

फिर क्या था, चूंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ था, लोगों पर जुल्म होने लगा और इधर घर पर बुलाकर पुलिस अधिकारी बैठाए गए इस तरह से सवाल पैदा हुआ क्योंकि कांग्रेस में फूट है इसलिए चाहे किसी पर वे मामला थोपें वह भगवान जाने हमें मालूम नहीं है और न मतलब है। लेकिन उसके बाद यह हुआ कि एफ. आई. आर. तैयार की गई कि मेरा घर लूटा गया। इसमें तमाम जोर लगा दिया कि उनके जो विरोधी लोग हैं उनको जेल के सींकचों के अन्दर कर दिया। जाय आज मुझे इसमें शक नहीं है कि कांग्रेस के कई वर्कर्स हैं, कई युवक कांग्रेस के अच्छे वर्कर्स हैं उनको जेल के सींकचों में घेर चुके हैं और उन पर अन्याय हो रहा है (शेम, शेम) यह बुरा लगता है। जो गरीब लड़के हैं....

श्री रामकिशन : गरीब कांग्रेसी लड़के !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कांग्रेस के गरीब कार्यकर्त्ता लड़के हैं। दिग्गज लड़ाई लड़ें, जरूर लड़ें, यह उनको मुबारक हो। लेकिन उन्होंने क्या बिगाड़ा है।

फिर क्या हुआ कि जनता ने अपना रोष प्रदर्शित करने को सोचा। तो अपना विरोध प्रदर्शित करने का शांत तरीका होता है कि हड़ताल करें। तो स्कूल के बच्चे छुट्टी स्कूल से करके आ रहे थे। उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। ठीक ठीक नारे लगाने शुरू किये। तभी एस. डी. ओ. वहां पहुंच गए, और एस. डी. एम. पहुंच गए और बगैर चेतावनी दिए बगैर किसी उत्तेजना के विद्यार्थियों पर निर्मम प्रहार लाठियों से करना शुरू कर दिया। मासूम बच्चे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कौनसा जुल्म ढा रहे थे। आखिर लाठी चार्ज का कानून है ? दुनिया

(श्री कुमुट बिहारीलाल गोयल)

के पटल पर लाठी चार्ज का कौन सा कानून है ? मैं प्रेक्टिस करता हूं, मैं क्रिमिनल प्रेक्टिस करता हूं छोटी मोटी । लाठी चार्ज कौन से कानून के अन्तर्गत करते हैं यह समझ नहीं पाता । लाठी चार्ज का एक ग्रॉफ सूट हो सकता है—सैल्फ–डिफेन्स, सैल्फ प्रापर्टी का डिफेन्स ! लेकिन मासूम बच्चे कौन सा जुल्म ढा रहे थे, कौन सी जिन्दगी ले रहे थे, कौन सी प्रापर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, कौन सा क्योस ला रहे थे, कौन सा डिसास्टर कर रहे थे । उन पर निर्मम तरीके से एस. डी. ओ. ने लाठी चार्ज कराया । शायद उस एस. डी. ओ. के बच्चे नही होंगे । वह इस बात को नहीं जानता होगा कि मां बाप की क्या हालत हुई होगी । पीछे हमारे हरिशंकर विधान सभाई ने उन्हें इस बात के लिए विफल कर दिया । जब कि उनको धर्मपत्नी अस्पताल में रोग शैय्या पर थी, वह मृत्यु के नजदीक हो सकती थी अचेतना अवस्था में हो सकती थी लेकिन उन्होंने अपने आपको ढकेल दिया जनता की भावनाओं के साथ में ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत विनम्रता के साथ निवेदन करू कि जहां २० आदमी इक्ट्ठे हो गये कि लाठी चला दी । यह लाठी चार्ज न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता, जो जलूस शान्त तरीकों से चलना चाहता था, हमने यह सूचना दी कि हम वैधानिक तरीकों से चलना चाहते है । जलूस शान्त तरीकों से चला तो लाठी चलाने की सलाह की गई, गोली चलाने का मशविरा किया गया इसलिये कि आठ, दस हजार आदमियों ने कोतवाली को घेर लिया, जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया तो लोग जमीन पर सो गये और कहा कि हम पर चलाइये गोली, चलाइये लाठी, जिधर निगाह फैलाये विशाल जन समूह सोया पड़ा था । जब किसी कीमत पर लोग वहां से नहीं हटे, सोते पड़े रहे, रात के साढ़े बारह बजे तक लोग वहीं पर पड़े रहे, ऐसी विषम हालत पैदा हो गई तो जो विधान सभा के सदस्य हैं प्रतापसिंह जी, उनको मौका मिल गया, उन्होंने अवैध तरीके से अपनी कोठी से गल्ले को निकालना शुरू किया, ट्रकों में लादना शुरू कर दिया । जब हम लोगों को जेल में पता चला तो हमने चिल्ला कर कहा । सोई पड़ी हुए जनता उठ कर हिम्मत करके कोठी की ओर दौड़ पड़ी और कोठो को घेर लिया, ट्रक को घेर लिया । एस. डी. एम. ने ट्रक को लौटाया, इस तरीके से अनाज अवैध तरीकों से बाहर भेजा गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहताहूं कि जो लाठी चार्ज हुआ उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय कि यह स्थिति किसने पैदा की । हमें शर्म महसूस होती है कि खाद्य जैसी समस्या को लेकर हमारे राजस्थान को बदनाम करने को, शासन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है । मैं निवेदन करू कि विदेशों से इस बात का गलत प्रचार किया जाता है कि हमारे देश में अनाज के अभाव में इतनी भुखमरी फैल गई है कि लोग अनाज लूटते हैं । इस तरह का गलत प्रचार करके हमारे देश को बदनाम किया जाता है जब कि लाखों मन अनाज, लाखों

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

मन जखीरा लोगों के पास भरा पड़ा है। कम से कम लोगों को भूख से तो मत मारिये। मैं निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने गलत तरीकों से लोगों को जेलों में डाला, जिन लोगों ने गलत तरीकों से लाठी चार्ज किया, जिन लोगों ने जनता के खून से होली खेली, लाठी प्रहार किया, इस सब की निष्पक्षता से जांच हो। जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं अनाज के गड़बड़ घोटाले में जो शामिल हैं, जिन्होंने अनाज को बेजा तरीकों से निकलवाया है, आज भी स्टॉक किये हुए हैं उनें लोगों के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये। उस इलाके में अनाज की व्यवस्था कर के शान्ति स्थापित की जानी चाहिये। इस तरीके की कार्यवाही करें कि हम भुखमरी से बचें।

जो रिपोर्ट सरकार की ओर से दी गई है, वह तथ्यपूर्ण नही हैं, उसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में संजीदगी से काम लेना चाहिये, संजीदगी ही देशों को आगे आने वाली भयंकर समस्याओं से बचा सकती है।

यह बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सेठजी को एक नये पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ, न वहां सेठ जी के यहां लूट ही हुई पर आज इतना बड़ा जबरदस्त प्रचार किया जाता है कि सेठजी के मकान को लूट लिया गया। मैं नम्र शब्दों में निवेदन कर दूं कि जनता का उभार किसी तरह से भी शान्त नहीं किया जा सकता जब कि एक तरफ लाखों मन गल्ला लोग दबाये बैठे रहें और दूसरी तरफ जनता भूख से तड़पती रहे। जनता यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक तरफ अनाज सीकचों में बन्द पड़ा रहे, सड़ता रहे और दूसरी तरफ लोग भूखों मरते रहें, चाहे डकेतियां हों, भयंकर रायट्स हों, या और भयंकर परिणाम हों, सरकार को चेतावनी स्वरूप चेत जाना चाहिये। इस तरह के समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये, समाज विरोधी तत्व भूखे बच्चे नहीं है, शान्त प्रदर्शनकारी समाज विरोधी तत्व नहीं हैं, बल्कि समाज विरोधी तत्व वे लोग हैं जो लोगों को भूखों मारना चाहते हैं, इन समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नही की गई तो भूखी जनता को आपके लाठी चार्ज, आपके शस्त्र, आपकी बन्दूकें, आपकी पुलिस नही रोक सकेगी, उसके विप्लव को आपकी कोई ताकत नही रोक सकेगी। आज तकाजा है समय का कि समय रहते आप चेत जावें और जनता को उभारने वाली इस प्रकार की जो लोग हरकतें करते हैं उनके खिलाफ कड़ा कदम उठावें।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : काफी तथ्य सदन के सामने आ चुके हैं !

श्री रामकिशन : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ और तथ्य रखना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, मुझे विशेष तो कुछ नहीं कहना है, जो

Page No. 47

(श्री रामकिशन)

तथ्य दो विधान सभाई सदस्यों से आये हैं, मुख्य मंत्री को उन पर विश्वास करना चाहिये। इस सम्बन्ध में दो चार मुख्य बातें हैं वह मैं निवेदन करना चाहूंगा एक तो यह है कि इसे राजनैतिक विवाद नहीं बनाया जाय, अपने आप भूखी जनता प्रदर्शन को गई। कल मुख्य मंत्रीजी ने चाहे जाने में या अनजाने में ऐसा चेहरा बना कर कहा कि विधान सभाई के यहां डकैती हुई। खुद मुख्य मंत्री वहां जा कर देखें कि कोई डकैती नही हुई।

दूसरी बात यह है कि मुकुटबिहारी लाल जी के पत्र द्वारा जांच हुई, जांच में देर लगी, १८ क्विन्टल हो चाहे ज्यादा हो पर उनका कहना यह था कि ८०० मन का डिक्लेअर किया, पर तीन चार हजार मन स्टॉक कर रखा था, तो क्या मुख्य मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इस सम्बन्ध में जांच की जायगी? मेरा विश्वास है कि इस तरह का साहस उनमें इस जन्म में तो नहीं है, और अगले जन्म में भी नहीं हो सकता। आप अपने दल के लोगों को बचाते हैं। पर यह चीज आप साफ कह दीजिये कि हम हमारे दल के लोगों को बचायेंगे और दूसरे दल के लोगों को फंसायेंगे। पर मैं यह साफ कह दूं, कि वहां पर हमारा कोई दल नहीं था, यह तो कांग्रेस लोगों का ही आपसी विवाद था। दोनों दलों को अगर आप एक नजर से देखते हैं तो कांग्रेस के एक दल के लोगों को पकड़ कर उनका चालान किया है तो सैठ प्रतापसिंह और इनके साथियों का भी चालान इसलिये करें कि इन्होने अनाज अवैधानिक तरीकों में राजस्थान के बाहर निकाला है।

माननीय आचार्यजी ने कहा है कि समाज विरोधी तत्वों ने यह संकट पैदा किया, तो इसमें २२ तो कांगेसी हैं। वैसे कांग्रेस स्वतः देश के लिये संकट है, कांग्रेस और संकट इन दोनों में कोई फर्क नहीं दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कांग्रेस और संकट अलग अलग नहीं, दो शब्द होते हुए भी एक हैं।

जब भीड़ उधर गई तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की, प्रार्थना करने गये थे उसको क्यों नहीं सुना, जवाब क्यों नहीं दिया। बच्चों को क्यों पीटा गया, एस. डी. एम. ने खुद मार पीट क्यों की? मेरी उनसे जान पहचान नहीं, मैं उनको जानता नहीं पर आन्दोलन होते हैं तो बच्चों को नारे लगाने का शौक होता है, जब आप बच्चे थे तो आपने भी नारे लगाये होंगे। वे बच्चे नारे लगा रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया और जीप भर कर पुलिस वाले उनकी किताबें ले गये थे। यह राजनैतिक कारणों से हुआ इसमें पुलिस के विरुद्ध, किसी थानेदार के विरुद्ध जांच से कोई मतलब हल नहीं होता। पुलिस का तो एक ही अपराध है कि बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्व चेतावनी के लाठी चार्ज क्यों कर दिया। एस.डी.एम. ने मारा इसकी जांच होनी चाहिये। १८ क्विन्टल अनाज निकला में मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अलग से बात करें। आप में यह साहस नहीं है कि सदन में वह रख सकें पर आप स्पीकर साहब से कह देना प्रतापसिंहजी से अलग में पूछ कर कि कितना अनाज उनके स्टॉक में था।

चौथी बात यह है कि कांग्रेस में ही दलबन्दी है, उनको ही आप लड़ाते हैं, कभी किसी को भिड़ा देते हैं, कभी किसी को

Page No. 48

(श्री रामकिशन)

लड़ा देते हैं और जनता संकट में पड़ती है। आप एक आउन्स खून किसी का नहीं बना सकते तो किसी का एक पौंड खून बहा कैसे सकते हैं! इलेक्शन जीतने के लिये आप आपस में दलों को लड़ाते हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): हरिशंकरजी कांग्रेस के खिलाफ बोल गये हैं, अब वह चुनाव नहीं होने वाला है।

श्री रामकिशन: दामोदरजी को राजस्थान के हित के लिये लाइये, वे कानून की विभूति और आप सद् प्रशासन की मूर्ति....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): दास कमीशन जल्दी मेकर्रर हो जायगा।

श्री रामकिशन: आप झगड़ें, केवल यही नहीं, दिल्ली में भी झगड़ा करते रहें। दिल्ली में बैठे हैं एक मंत्रीजी, कभी राजीनामा हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): एड्जर्नमेंट मोशन पर स्टेटमेंट देने का होता है। इस प्रकार का वाद विवाद तो उचित नहीं। धौलपुर के मेम्बर से पर्याप्त मात्रा से जानकारी आ चुकी है, साफ बात हो चुकी है। अगर आप कहें तो कुछ बातें कह कर इस एड्जर्नमेंट मोशन को समाप्त किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हम भी कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत और विशेष जानकारी थी, उन्होंने अपनी बातें रख दीं, उनको उत्तर मिल जायगा और दूसरे माननीय सदस्य क्या जानकारी चाहते हैं और क्या जानकारी उन्हें मिल सकेगी, समझ में नहीं आता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यहां जो १८ क्विन्टल वाली बात कही गई है वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब सारी बातें हो चुकी हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): जो लाठी चार्ज हुआ उससे कितने लोगों को चोटें आईं स्टेटमेंट में बयान नहीं है। लाठी चार्ज करने से पहले जो कन्सर्न्ड अथॉरिटीज थे उन्होंने अश्रु गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया?

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह प्रश्न चाहे एक जगह का क्यों नहीं हो लेकिन इतने महत्व का है कि जो सारे प्रांत में हमारी खाद्यान्न की स्थिति है उससे और जगह भी इसी प्रकार की कठिनाइयों के होने की संभावना है। इसलिए मैं समझता हूं कि सारे सदन को और सारे माननीय सदस्यों को इसकी गंभीरता महसूस हो रही है। इसमें जो तथ्य सामने आये हैं, उन्हें समझकर हम अपने विचार कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं....

Page No. 49

श्री अध्यक्ष : यह कहने का समय नहीं है। अगर आपकी जानकारी में कोई बात है तो जैसे अन्य माननीय सदस्यों ने पूछा और बताया है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानकारी के रूप में कहूंगा। हमें जानकारी दी जाय कि प्रदर्शन होने से पहले २९ तारीख को, ३० तारीख को और ३१ तारीख को सरकारी सस्ती दुकानों से कितना गल्ला जनता को वितरण किया गया और किया गया या नहीं किया गया ?

दूसरी बात यह है कि जब भीड़ सेठ प्रतापसिंह जी की कोठी पर इकट्ठी होकर गई तो मैं समझता हूं कि जो कोई भी समझदार ऑफिसर थे वे यह तो जानते ही थे कि जनता अनाज के न मिलने से बहुत परेशान है और उनका सही या गलत तौर पर यह ख्याल है कि सेठ प्रतापसिंह के यहां बहुत ज्यादा गल्ला मौजूद है तो क्या वजह थी कि सेठ प्रतापसिंह के गल्ले की जांच आपने ४ व ३ तारीख को उसी वक्त क्यों नहीं की ? जब हजारों लोग, १५०० लोग वहां पर इकट्ठे हुये बताते हैं, आपने एक प्रिवेन्टिव एक्शन इस रूप में लिया कि उस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की लेकिन जो लोगों के इकट्ठे होने का कारण था उसके लिए आपने यह प्रिवेन्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया कि भीड़ में से पांच आदमियों को लेकर एस. डी. ओ. और पुलिस ऑफिसर को लेकर सेठजी की सारी कोठी और गोदामों की तलाशी लेते ताकि लड़कों और जनता को जो वहम था वह अगर सही निकलता तो सेठजी पकड़ा जाता। मैं समझता हूं कि कानूनी तौर से भी और आज की देश की हालत में सामाजिक तौर पर भी हरएक व्यक्ति और जनता का फर्ज है कि जिसने भी अवैध तौर पर अनाज संग्रह कर रखा हो उसको सरकार को सूचना देनी चाहिए। यदि सरकार को सूचना नहीं देता तो वह अपराधी होता है। इस तरह से अगर हम सारी भीड़ को असामाजिक तत्व कहें तो वे होंगे और जो अधिकारी थे उनको फौरन बजाय प्रोटेक्टिव एक्शन लेने के जो जनता को शक था, उसमें उनके खिलाफ यह आरोप था, वह लाइसेंस होर्डर था, उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए थी। अगर आप यह नहीं करेंगे तो जनता जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपके शासन, आपके पुलिस और आपके पुलिस अधिकारियों में विश्वास खोती जा रही है, इसलिए नहीं कि उनको कोई भड़का देते है लेकिन इसलिए कि तथ्य इस प्रकार के सामने हैं, वह आगे बढ़ेगी। लोग शिकायत करें, आप होल्डर्स के खिलाफ एक्शन न लें, होर्डर्स आपको टेलीफोन करें, आप फौरन पुलिस भेजते हैं। तो ऐसी हालत में जनता को अपने पैरों पर खड़ा हो कर अपने अनाज की रक्षा करनी पड़ेगी। आप इसे कानून को हाथ में लेना कहें, मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी हालत में धौलपुर की ही जनता नहीं राजस्थान की तमाम जनता को इसी तरीके से करना चाहिए। होर्डर्स के के खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो एक्शन लेगी, जनता उसकी जांच करेगी और पकड़ेगी। आपने कुछ राजनैतिक दलों पर आक्षेप लगाया है तो मैं कहूंगा कि राजनैतिक दल केवल वोट लेने के लिए बैठे हैं। जनता वहां पर भूखी मरती रहे, उसको संगठित न करें, उनकी फूड समस्या को हल कराने की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोशिश न करें; यह मुमकिन नहीं हो सकता मैं समझता हूं कि कोई भी राजनैतिक दल अगर जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो वह उसकी जिम्मेदारी है और बावजूद इसके सरकार उसका विरोध करे, आपकी पुलिस विरोध करे; तो यह कहां तक उचित है ? राजनैतिक दल यदि इस तरफ से जनता को इकट्ठा करके और विषम समस्याओं का हल कराएं तो यह उनका फर्ज है।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि..........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

क्या आप चाहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान की जनता भेड़ बन जाय ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं यह कहना चाहता हूं कि........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रकार से प्रोवोकेटिव स्पीचेज दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस सदन के लिए यह उपयुक्त नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बचने की कोशिश करते हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में आप जनता से यह उम्मीद करें कि वह कानून का पूरी तौर से पालन करे और आप इन कुर्सियों पर बैठकर........

(लगातार समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : Order please

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिन्दुस्तान की जनता भेड़ नहीं है वह मुकाबला करेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : मैं जानना चाहता हूं (अमन्य)

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि बहस को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

Order please

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कल के दिन ही कम्यूनस्ट पार्टी ने जनता को भड़काने का काम शुरू कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पास शासन है....

(लगातार समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब जुलूस निकाल रहे थे उस वक्त....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अभी भी कहता हूं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो जनता इकट्ठी हो कर करेगी। आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको मजबूर करेगी कार्यवाही करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : Order please!

Page No. 51

(श्री अध्यक्ष)

(शोरगुल)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट के लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मानिकचंद सुराणा : (कोलायत) अध्यक्ष महोदय.... ...

श्री अध्यक्ष : Order please ! जिन माननीय सदस्यों में प्रस्तावों के नोटिस दिए हैं, उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हरएक बोले। जो तथ्य आने चाहिए थे, आ चुके। आपकी पार्टी ने बहुत ज्यादा तथ्य रखे हैं, इसलिए....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तथ्य बोलने के........

श्री अध्यक्ष : आपको आज्ञा नहीं दी जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाजत लेकर कुछ....

श्री अध्यक्ष : मैं आज्ञा नहीं देता हूं। इस तरह बहस कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : स्थगन प्रस्ताव भी मैंने भेजा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि जिन्होंने भी प्रस्ताव भेजे हैं, तो वह जरूरी नहीं है कि सबको आज्ञा दी जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलत तथ्य सदन में कहे गए हैं, उनके बारे में बोलने का तरीका क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : और तरीका हो सकता है, लेकिन बहस नहीं होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। यह बहुत गलत तरीका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १५० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और सारी परिस्थितियों को....

श्री अध्यक्ष : यह तरीका बिल्कुल गलत है। सदन की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चल रही है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : Order please । मैं बोल रहा हूं, यह कौन सा तरीका है। अगर इस तरह से बहस चलेगी तो न तो सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलेगी और न बहस ही पूरी होगी।

माननीय सदस्यों को संयम रखना चाहिये नियमों का पालन करना चाहिये। अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को पालन करना चाहिये। बार बार व्यवस्थाओं का उल्लघंन करके बहस के लिए खड़े हो जाते हैं। आसन की ओर से रियायत दी जाती है, फिर भी संतोष नहीं

(श्री अध्यक्ष)

रख सकते हैं तो फिर सदन की कार्यवाही कैसे चल सकेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जो संयम रखते हैं उनको समय कम मिलता है और जो संयम नहीं रखते है उनको समय अधिक मिलता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें। किनको ज्यादा मिल जाता है ? आपको पार्टी के आदमी जिनको इसकी जानकारी थी उनको ज्यादा समय दिया है बोलने के लिए। जो गिरफ्तार हो कर आये हैं, जिनको जानकारी है इसके बारे में उनको बोलने के लिए अधिक समय दिया है, पर्याप्त समय दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उनके लिए निवेदन नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह कहना कि जो संयम रखते हैं उनको कम समय दिया गया है और जो संयम नहीं रखते हैं उनको ज्यादा समय दिया गया है यह कहना आपका उचित नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको रखने के लिए और आपकी पार्टी के ही सदस्य जो खुद गिरफ्तार हुये थे और जिनको अधिक जानकारी है, उनको पर्याप्त समय दिया गया उसके बाद भी यह खड़े होकर कहना कि समय नहीं दिया गया उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बेसिक चीजों की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धौलपुर के अन्दर जिस प्रकार का इन्सीडेन्ट हुआ वह राजस्थान में पहला इन्सीडेन्ट हैं। इसकी जानकारी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने दी। उसमें जोड़ने के लिए मेरे पास कोई अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे मोटा प्रश्न है वह यह है कि राजस्थान में अनाज की कमी है, अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान के लोगों की परकेपिटा इनकम गिरती जा रही है और टैक्सेशन के कारण राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उस स्थिति में राजस्थान में अनाज न मिले, मंहगा मिले, मंहगा मिलता है इस कारण लोग खरीद न सकें, लोगों में अनाज खरीदने की स्थिति न हो तो विधान सभा यह तय कर दे कि लोगों को भूखों मरना चाहिये और जिसके पास अनाज पड़ा है उसके पास उनको एप्रोच नहीं करना चाहिए। दो बातें आप तय कर दीजिये। आज राजस्थान की जनता भूखों मर रही है, जिसके पास अनाज भरा है उसके पास वह एप्रोच नहीं कर सकती, उसको एप्रोच करके अनाज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि वह अनाज बाहर निकाल कर अपने गोदामों से उस भूखी जनता को दे। यह प्रदर्शन हो रहे हैं आप उसको चाहे राजनैतिक प्रदर्शन कहें या भूखी जनता मजबूर होकर अपने प्राणों को बचाने के लिए मजबूर होकर प्रदर्शन करती है, उसके लिए प्रदर्शन कर आपके पास पहुंचने के लिए यह स्थिति आई है लेकिन यह यहां तक ही सीमित नही है, यह बढ़ता जा रहा है और जो स्थिति आज धौलपुर में बनी है वह ही स्थिति सारे राजस्थान में भी आ सकती है। इसकी पूरी तरह से सम्भावना है। सरकार इन्जाम नहीं कर सकती। मैं

(भैरोंसिंह)

राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी से विशेष कोई जान कारी नहीं लेना चाहता लेकिन केवल एक जानकारी लेना चाहता हूं और वह यह है कि जिस जनता की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, जिसको अनाज महंगा मिल रहा है और जो महंगे मिलते हुए अनाज को खरीद नहीं सकती, चीजों के और अनाज के भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जनता इस प्रकार की महंगी चीजों को खाकर जिन्दा नहीं रह सकती है, जिनको महंगे भाव में भी उपलब्ध नहीं है लेकिन जहां ढेरों चीजें पड़ी हैं अनाज पड़ा है गोदामों में पड़ा है, बाहर पड़ा है उसको उसे खाने के लिए जाना चाहिये या नहीं ? उसको खाकर उस जनता को अपना पेट भर कर जिंदा रहना चाहिये या नहीं ? या सरकार का आदेश मान कर भूखों मरना चाहिये ? और मरते हुये राजस्थान की सरकार को श्राप देकर ही सन्तोष कर लेना चाहिये ? मुख्य मन्त्री जी आप ये दो बातें स्पष्ट कर दीजिये। आप कहते हैं कि कानून तोड़ने के लिए राजनैतिक दल परामर्श देते हैं । मैं आपको बताऊं कि राजनैतिक दलों को भूखी जनता मजबूर करती है, वोट लिए हैं हमारे, आप हमारी रोटी के लिए इन्तजाम करो, सस्ते अनाज का इन्तजाम करो। जब राजनैतिक दल नहीं कर सकते तो इसको जनता स्वयम् अपने हाथ में लेकर जिन स्थानों पर उसको जाना है वह जाती है, जहां भी अनाज पड़ा है उसको लेने के लिए वह जाती है । यदि सरकार नहीं सुनती है तो उसको डाइरेक्ट जाना पड़ता है। या तो सरकार इस बात को स्पष्ट कर दे कि जनता अनाज के गोदामों पर न जाये, चाहे भूखोंमर जाय लेकिन उसको नहीं जाना चाहिये। एक बार आप इसका फैसला कर दीजिये कि जनता को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिये। यदि नहीं तो सब बातों का समाधान बाकी की परिस्थितियों के अनुसार होता चला जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो ही शब्द कहना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि धौलपुर में अनाज की स्थिति दरअसल में क्या है ? क्या धौलपुर से अनाज बाहर जा रहा है या नहीं ? खाद्य की यह समस्या अन्य जगह हो या न हो इससे अभी हमें मतलब नहीं है हम जिम्मेदार लोग हैं। हमें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिये लेकिन उसके साथ साथ आखें बन्द करके बैठे रहें और लोग भूख के मारे परेशान हों, यह तो मेरे ख्याल में, इस सदन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसको सहन नहीं करेगा । मैं कभी भी यह नहीं कहना चाहूंगा कि नागरिक, कोई भी हो, कानून हाथ में ले। जनतन्त्र की परम्परायें हैं'मैजेस्टी ऑफ लॉ' कानून का महत्व जनतन्त्र के अन्दर विशेषतया सर्वमान्य है, यह निर्विवादित बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी कॉमनसेन्स की बात है, आम बात है 'तंग आयद जंग आयद'। जब लोगों के पास खाने को ही नहीं, जब सरकार खाने के लिए सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से प्रबन्ध नहीं कर पाती, सामान्य ढंग से नहीं कर पाती, मैं समझता हूं इसके लिए सरकार सबसे बड़ी गुनहगार है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को गहन विचार करना चाहिये और मैं यह सरकार को नहीं कहता प्राइमाफेसीमें सन्तुष्ट नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हूं, इस सम्बन्ध में ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो या न हो, लेकिन यह ऐसी समस्या है सरकार को अपने आपकी तसल्ली के लिए ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी के लिए विचार करना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि सरकारी कर्मचारियों को डिमोरेलाइज कर दिया जाय लेकिन मैं अवश्य चाहूंगा कि जो भूखे लोग हैं उनके लिए अनाज की आवश्यक व्यवस्था दी जाय और शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के हाथ मजबूत करने के लिए भी सरकार साथ साथ सोचे कि क्या करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में जो कुछ हुआ वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उसके बारे में चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, कोई भी इस प्रकार की घटाओं का स्वागत नहीं कर सकता है और न उस बात को पसन्द कर सकता है। इस संबंध में मुझे इस बात का दुख होता है कि सारी घटना में एक तरफ कहा जाता है कि राजनीति को जोड़कर न चला जाय और दूसरी तरफ इस पक्ष को खास तौर पर आरोप लगाय गया है जैसे किसी की पैरोकारी करने के लिए उस प्रकार की स्थिति वहां पैदा की गयी हो। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल ही इस सदन में धौलपुर क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात के लिए कहा था कि सेठ प्रतापसिंह के मकान की तलाशी ली जाय, उनके पास स्टॉक कितना है इसका पता लग जायगा और उसके बाद वे मेरे चेम्बर में आकर मुझसे मिले थे, लिखकर दिया था उन्होंने कि वहां की तलाशी ली जाय। हमें उस वक्त यह पता नहीं था कि उनके यहां की तलाशी हो गई है या नहीं। उन्होंने कहा उसके साथ ही मैंने चीफ सेक्रेट्री से कहा कि कलेक्टर और एस. डी. एम. को कान्टेक्ट करके इस बात से इन्फोर्म करें कि एक माननीय सदस्य ने इस बात का आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति के पास में इतना गैर कानूनी गल्ला जमा है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। कुछ ही देर बाद में मेरे पास वापिस सूचना आई कि जब २ तारीख को माननीय सदस्य ने वहां पर लिख कर दिया था तो वहां पर उनकी ३ तारीख को तलाशी ले ली गई थी। १८ क्विंटल गेहूं और चना अधिक मिला। उसके लिए उन्होंने यह कहा कि उसके स्टोर और मकान एक ही है। यह १८ क्विंटल उनके घरू खर्च के लिए है। उन्होंने यह कहा। यह गैर-कानूनी स्टॉक है या उनके घरू खर्च के लिये १८ क्विंटल स्टॉक हो सकता है या नहीं हो सकता है यह कानूनी तौर पर ऑफिसर्स की कार्यवाही करनी चाहिये। जुर्म बनता है तो वे कार्यवाही करें न बनता हो तो उनके देखने की बात है।

मैं समझता हूं कि यहां से एक-एक बात के लिये इन्स्ट्रक्शन्स देना उचित नहीं होगा,

(१०.०० म० पू०)

श्री भैरोंसिंह टोटल : अनाज अधिकृत रूप से कितना रख सकते थे और अनधिकृत अनाज उनके यहां से कितना निकला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ६०० या ८०० मन के फीगर्स थे। इल्लीगल स्टॉक कितना मिला या नहीं मिला उसकी रिपोर्ट नहीं है ? जो पोजीशन थी वह मैंने बतायी।

श्री भैरोंसिंह : आप केवल इतना ही बता दें कि डिक्लेअर्ड स्टॉक कितना है और अनडिक्लेअर्ड कितना है ?

श्री मुकुटबिहारी लाल : ८० बोरी तो वहां से हम ही ले आये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कितना स्टॉक निकला, कितना इल्लीगल था इसके बारे में फूड डिपार्टमेन्ट कार्यवाही कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ऐक्सप्लेनेशन देने खड़े हो गये। उन्होंने यह तो कह दिया कि १८ क्वीन्टल जो ज्यादा निकला वह उनके घर के कन्जम्पशन के लिये है लेकिन यह नहीं बता सकते कि अन-डिक्लेअर्ड कितना था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जो तथ्य हैं उनको रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसमें जुडिशियल नेचर का सवाल नहीं है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि कि माननीय मुख्य मंत्री जब स्टेटमेन्ट देने खड़े हो गये तो उनको यह भी जानकारी रखनी चाहिये थी कि उनके पास डिक्लेअर्ड अनाज कितना था और अन-डिक्लेअर्ड कितना ? इसकी भी जानकारी करके आना चाहिये। अगर आप यह नहीं बता सकते तो यहां पर एक्स्प्लेनेशन देना फिजूल है केवल सेठ को बचाने के लिये आप यह सब कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह नहीं कह सकता कि कितने मन ज्यादा मिल गया ? यह तो वहां के अधिकारियों के देखने की बात है कि जितना अनाज अधिक उनके पास है उससे जुर्म बनता है या नहीं अगर हम उसमें हस्तक्षेप करते है तो यह एक तरह से उनको डिमोरेलाइज करने वाली बात होगी।

श्री रामानंद अग्रवाल : आप साफ ही कह दें कि हम तो सेठ को बचाना चाहते हैं

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां किसी को बचाने का सवाल नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं वहां के अधिकारियों के अधिकार की बात है कि नियमानुसार वे कितना गल्ला रख सकते थे और उनके पास उससे कितना अधिक था। हर चीज के बारे में यहां से इन्स्ट्रक्शन्स देना उचित नहीं होगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस कन्जम्पशन के लिये है यह जानकारी कैसे आ गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो लिख कर भेजा गया है वही मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आपकी टोन से ही जाहिर हो रहा है कि आप उस सेठ को बचाना चाहते हैं।"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक तरफ तो यह बात कहना कि एक एम० एल० ए० द्वारा लिखित में देने पर भी कार्यवाही नहीं की जाती और जब कार्यवाही करते हैं, और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जब कार्यवाही करते हैं और उसके अनुसार सदन को सूचना देते है तो आपको सन्तोष होना चाहिये।

श्री मुकटबिहारीलाल : हमने तो लिख कर दिया था कि हमारे आदमी को साथ ले जाइये हम ट्रक पकड़वायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जो तथ्य रख रहे हैं उनको मानकर चलना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : जिस समय भीड़ गई थी उस वक्त उनके स्टॉक की जांच क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : आप शान्त रहिये कृपया बाधा न डालें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : जो स्टॉक उनके पास है क्या वह नियमानुसार बही खाते में दर्ज है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री जी को बयान देने दीजिये उसके बाद पूछ लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी, प्रतापसिंह के गवाह के रूप पेश हों तो ज्यादा अच्छा हो वहां यह गवाही ज्यादा अच्छी रहेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या कहा आपने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यदि प्रतापसिंह के गवाह के रूप में पेश हों तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे किसी के गवाह के रूप में पेश होने की आवश्यकता नहीं और न किसी के साथ पक्षपात करने का सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी टोन ही इस बात को साफ बता रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर इसमें पक्षपात या और कोई दूसरी बात होती होती तो यहां से हिदायत देने से पहले ही वहां पर इन्क्वायरी नहीं हो जाती........

श्री मुकुटबिहारी लाल : वह तो मेरे कहने पर किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिनके प्रति हम आदर रखते हैं उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वे किसी पर आरोप लगाये तो पहले सारे फेक्ट्स में जाकर फिर किसी बात को रखना चाहिये। बिना तथ्यों की जानकारी किये बात रखते हैं तो उपयुक्त बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, : मैं माननीय सदस्यों को गंभीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आज जिस प्रकार की खाद्य स्थिति है, भावों में वृद्धि की वजह से खाद्यान्न की कमी आ रही है उसके लिये इम्पोर्टेड व्हीट और और स्टेप्स इसके बारे में लिये जा रहे हैं। राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समय समय पर बात चीत करके बराबर कदम उठाती जा रही है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात क है, जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा कहा जाता है, बाजार में अनाज नहीं मिलेगा तो घरों के अन्दर घुस कर लायेंगे, दुकानें लूटेंगे, इससे होगा क्या; उल्टा जो अनाज बाहर से आने वाला है उसमें रूकावट होगी और कन्ज्युमर को ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिये मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, सभी पार्टियों के नेताओं से और अन्य माननीय सदस्यों से, अभी यहां पर भाषण दिये जा रहे थे, जिसके अन्दर इस बात का संकेत किया जा रहा था, दुकानों के ऊपर जाकर के दुकानों से अनाज उठाकर लाने की बात कही, मैं समझता हूं यह उपयुक्त कदम नहीं है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह किसी ने नहीं कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रकार से दैनिक वातावरण क्रिएट करने से स्थिति और खराब होगी। इस प्रकार की उत्तेजना से समस्या का हल होने वाला नहीं। इस प्रकार की भावना व्यक्ति विशेष को भूख से बचाने की न हो कर ज्यादा संकट पैदा करने की हो सकती है, ऐसी भावना प्रतीत होती है। आज जरूरत इस बात की है कि विश्वास लेकर चलना होगा अनाज की कमी है वह पूरी होगी यहां पर अनाज आयगा और जहां कम सहूलियतें मिलने की है उनको बढ़ाया जायगा। पिछली बार भी मैने कहा था हम मेक्जीमम प्राइसेज जल्दी ही भारत सरकार के साथ मिल कर तय करने की कार्यवाही करने की तरफ बढ रहे हैं। जो भी उचित कदम उठाने चाहिये, वे उठाये जा रहे हैं इन्हीं प्रयत्नों के बीच में अगर दुकानों से उठाकर अनाज लाने की बात हो तो उसका परिणाम यह होगा कि शहरों के अन्दर, कस्बों के अन्दर जो बाहर से अनाज आने वाला है वह बन्द हो जायगा और इससे परिस्थिति सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगडेगी।

जहां तक माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की बात है वे ऐसी बात कहने के लिये इसको फोरम नहीं बनाये। यहां से अगर इस प्रकार की बातों का प्रचार हो जिससे उत्तेजना पैदा होने की बात हो तो उसके लिऐ मैं नम्रता पूर्वक आपसे आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से इस प्रोब्लम को सोल्व करने के बजाय इसको ज्यादा उलझायेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को ठीक भाव से अनाज मिल सके, सस्ते अनाज की दुकानों की चलाने की बात करें अनाज के आने में जो दिक्कते हैं उसको दूर करें ये बातें है जिनके बारे में आपकी ओर से सुझाव आने चाहिये।

राजस्थान में गल्ले के बारे में रेड्स करके स्टॉक पकडा गया हैं दिल्ली में पकडा गया है जो बातें अन्य प्रान्तों में हो रही है वे यहां भी कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिये जो भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये वे उठा रहे हैं। भैरोंसिंह जी ने प्रश्न उठाया, जो भूखें जिनके पास अनाज नहीं है क्या वे मांग नहीं कर सकते। मांग कर सकते हैं लेकिन उचित तरीके से मांग कर सकते हैं। हम तो चाहते

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं कि यहां गल्ला ज्यादा आये और सरकारी दुकानों से वह सस्ते भाव में मिल सके। सस्ती दुकानों से अनाज दिलाने का प्रयत्न कर रह हैं जिस रोज धोलपुर में झगड़ा हुआ निश्चित तौर से वहां सरकारों दुकानों में गल्ला उपलब्ध था, दिया भी गया। वहां पर ऐसा कोई कारण नहीं था जिस पर भी इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की गई। फिर भी हमने जानकारी करवाई उस आधार पर जो बातें कही गई वे निराधार मालूम हुई। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां पर अधिकारी हैं उनको अधिकार है इन सब चीजो में हस्तक्षेप करने के। उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने लग जांय तो वहां की परिस्थिति को संभालना उनके लिये मुश्किल हो जायगा। इसलिये जो अफसर वहां पर है उनको परिस्थिति को देखते हुए जो भी उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी वे उठायेंगे नाज वितरण की दृष्टि से हम उनको पूरी आजादी देकर चल रहे हैं।

इस सदन को हम आश्वासन देकर चलते हैं कि उनको पूरी आजादी होगी कि वे जो उचित समझें कदम उठाकर चलें।

जहां तक नीतियों का प्रश्न है सरकार भी स्टेप उठा रही हैं। माननीय सदस्य भी अगर ऐसे सुझाव देंगे कि जिनके द्वारा हम इन प्रश्नों का हल करने में और ज्यादा सफल हों, तो हम उनका स्वागत करेंगे।

पर हम कोई कदम नही उठाना चाहेंगे कि जिसका असर स्थानीय अधिकारियों के डिमोरेलाइजेशन का हो। आज जब आवश्यक है कि एक तरफ से हम व्यवस्था भी कायम रक्खें और यह व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है कि अनाज की स्थिति को सम्भालने के लिये सरकार व उसके अधिकारियों का ध्यान उसी केहल की तरफ लगा रह सके, उससे टलाकर उनका ध्यान दूसरी तरफ व्यवस्था कायम रखने की तरफ ले जाना चाहते हों तो वह ध्यान टलने न दिया जावे और एक चीज पर कन्सेन्ट्रेट करके चलें तो मैं निवेदन करूंगा कि वे इसमें सहयोग देकर चलें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : गल्ला मौजूद होते हुए भी....

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर !

श्री हीराभाई : फिर भी टालें तो उन अधिकारियों को आप क्या सजा •देने के लिय तैयार हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वन स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आप और तरीकों से पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी थी वह उन्होने दे दी। अगर और बाकी रह गई है तो माननीय सदस्य और तरह से पूछ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक पॉलिसी का क्वेश्चन है। जनता कहती है इकट्ठी होकर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि फलां जगह या फलां व्यापारी के पास गल्ला इकट्ठा है तो उस हालत में सरकार की या सरकारी अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिये आप अपने अफसरों को क्या इस्ट्रक्शन देना चाहते हैं ? पहले लाठी चार्ज करके उनको डिसपर्स कर देवें या आप उसके कहने के अनुसार जांच करावेंगे ? इसे थोड़ा आप क्लीयर कर दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि सारी जनता की आवश्यकता नहीं है, अगर एक व्यक्ति भो ठीक जानकारी देता है और कहता है कि यहां पर इस प्रकार की बात है तो अधिकारियों को वहीं पर कार्यवाही करनी चाहिये ?

श्री हीराभाई : अगर अधिकारी नहीं मानें और जांच नहीं करना चाहें तो क्या करना चाहिये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर सेठ प्रतापसिंह के यहां जांच की गई क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह तो कभी बहस समाप्त नहीं होगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज भी आप पकड़ने को तैयार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस समाप्त करें । आगे की कार्यवाही जारी करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : निष्पक्ष अधिकारी से आज भी आप जांच करवा लें । मेरे पास निश्चित रूप से निश्चित प्रमाण है । अगर आपका हुक्म हो तो मैं अभी चल सकता हूं । मैं नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आज भी आप चलने को तैयार हों तो चलकर जांच करलें । मेरे पास निश्चित प्रमाण है कि वहां के अधिकारीगण निकम्मे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ! सारे सरकारी अधिकारियों पर इस तरह से होल सेल तरीके से कहना ठीक नहीं है । अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो ठीक तरीके से करें । एक दो चार के खिलाफ हो सकती है शिकायत सबके खिलाफ कैसे कह सकते हैं । जो भी सरकार नीति निर्धारित करती है, सदन नीति निर्धारित करता है तो पालन तो उसका उनके द्वारा ही होता है । तो इस तरह से नीति संचालन में हम उनकी मदद नहीं कर पावेंगे, उनका मोरल बना नहीं पावेंगे, हमें उनका मोरल बढ़ाना चाहिए । इसके बिना हमारा मकसद पूरा नहीं होगा । बल्कि उल्टे परिणाम हो सकते हैं । तो इसलिये मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि इन आरोपों से बचा जाय ।

श्री भैरोंसिंह : एक बात पूछना चाहता हूं । आप माननीय मुख्यमन्त्री जी को एक कम से कम यह आदेश दे दें कि कितना डिक्लेयर्ड स्टॉक है, कितना अनडिक्लेयर्ड है । इसे ठीक मालूम करके बता दें ।

श्री अध्यक्ष : यह तो मामूली बात है, जानकारी दे देंगे । और भी जानकारी चाहेंगे तो वह भी मिल सकेगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : राजाखेड़ा का दे दिया तो इसके अलावा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करलें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। कितने लोगों पर आपने मुकद्दमे चलाये हैं ? नहीं चलाये तो क्या अब तैयार है चलाने को ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ! अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाई माधोपुर में पुलिस अत्याचारों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में निवेदन कर चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्धमें जो नोटिस दिये हैं उनका अभी उत्तर नहीं मिला है। और फिर उनको पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में नहीं उठाया जावे। ज्यों ज्यों सरकार के पास में जानकारी आती है सदनमें वह दिए जाने की कोशिश की जावेगी तो अगर आप यह प्रश्न सदन में नहीं उठाकर सचिवालय से मालूम कर लेते तो आपका ज्यादा समाधान हो जाता।

दो तीन और भी एसे प्रस्ताव आये हैं वे पूरे मामले ऐसे हैं जिनके तथ्यों के बारे में जानकारी करना आवश्यक है इससे पहले कि उन पर सदन में चर्चा की जावे।

(१०-१५- म० पू०)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(१) राजस्थान मोटर व्हिकल नियम १९६१ के नियम १६ में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना।

उप-मन्त्री (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर व्हिकल एक्ट की अधिसूचना संख्या एफ १२ (१) १२ एच. बी. जी. आर. १। ६० दिनांक ९ जुलाई, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स नियम, १९६१ के नियम १६ में संशोधन किया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा और है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय

(२) राजस्थान मोटर व्हिकल्स नियम १९६१ के नियम ७१ व ७३ में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना।

श्री भीमसिंह : अधिसूचना संख्या एफ १ (२) (२) एच, बी. जी. आर १ (६३) दिनांक २३ जुलाई, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स नियम, १९६१ के नियम ७१ व नियम ७३ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

स्थगित विधेयक

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक १९६४ तथा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९६४ (बहस स्थगित)।

Page No. 61

श्री भीखाभाई : कल कन्सीडरेशन स्टेज पर यहां पर कुछ मुद्दों में माननीय सदस्यों ने लीगल और कांस्टीटयूशनल पॉइन्ट उठाये थे और इसके बारे में हमने हमारे विधि विभाग के अधिकारियों से बात की जबकि उनसे बात करने की बात चली तो इसमें अभी और समय लगने की सम्भावना है, इस लिये अगर सदन के माननीय सदस्य सहमत हों तो दूसरा लेजिस्लेटिव बिजनेस तब तक ले लिया जावे तो अच्छा होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : जब उसे लिया जावेगा तब माननीय सदस्य बोल सकेंगे उस पर।

वित्तमन्त्री जी

(१०.१७. म० पू०)

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ (संकल्प की प्रस्तुति तथा प्रवर समिति को)

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पेसन्जर और गुड्स टैक्सेशन (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरोंसिंह : (अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थि)

श्री राधा कृष्ण गोयल।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है ......

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था इस तरह से है कि पहले माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। फिर मन्त्री महोदय पुनः अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : "यह सदन राजस्थान यात्री तथा माल कर (वैधकरण) अध्यादेश, १९६४ (संख्या ४ सन् १९६४) को, जो राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक १५ मई, १९६४ को प्रख्यापित किया गया, अस्वीकार करता है।"

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रस्तावों पर साथ ही बहस होगी। आप (वित्तमन्त्री) इसे फिर से पेश करें।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पैसेन्जर और गुड्स टैक्सेशन (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के गत सत्र में भी अध्यादेशों के सम्बन्ध में काफी वाद विवाद हो चुका है और इस बारे में सदन में अपनी भावनाएं भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की हैं कि आर्डिनेन्स बहुत ही स्पेयरिंगली और अत्यन्त आवश्यक कारणों से ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

(श्रीं राधाकृष्ण गोयल)

इस सदन का वह सत्र अप्रेल के मध्य तक चला था और उसी अवधि में मुख्य मन्त्री ने घोषणा कर दी थी कि आगामी सत्र ३ अगस्त से चलेगा तो ऐसी स्थिति में -जबकि इस सदन के सेशन में होने की जानकारी सरकार को थी तो यह उसका कर्त्तव्य था कि ऐसा कानून तभी ले आते, या फिर अब तक उसे टाल सकते थे। क्योंकि कोई इतना अत्यावश्यक महत्व का प्रश्न नहीं था। ऐसे प्रश्नों पर अध्यादेश निकालना जनतन्त्र की भावना के अत्यन्त विपरीत है।

संविधान की धारा २१३ में राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार है इसके लिये पर इसी धारा में यह भी बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इसका उपयोग अत्यन्त महत्व के और अत्यावश्यक अनिवार्य परिस्थितियों में ही किया जाय। इमर्जेन्सी की सिचुएशन पैदा हो गई हो तो उस सूरत में किया जाय।

पर इस अध्यादेश के लिये जो कारण मन्त्री महोदय ने बताये हैं वे निश्चित रूप से ऐसे नहीं है जो इस आर्टिकल २१३ के अन्दर दिग्दर्शित हों।

इस कारण से भी इन्होंने आर्डीनेन्स का जो प्रावीज़न है उसको इतना चीप समझ लिया है और उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए उसका दुरुपयोग अब ज्यादा होने लगा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भावना इस सदन ने गत सत्र में व्यक्त की थी और जिनके संबंध में राज्य सरकार ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे कि अध्यादेश अत्यन्त ही कारणों से और अनिवार्य परिस्थितियों में ही जारी किये जायेंगे। उसका फिर उल्लघंन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि किसी प्रकार का अध्यादेश जारी करने की बारबार यह परम्परा बन गई तो यह हमारे जनतंत्र के लिए खतरा बनेगा। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश जारी किया गया है यह मनी बिल की कोटि में आता है। इससे हमारे स्टेट के फाइनेन्स इफेक्ट होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो बिल यह इन्ट्रोड्यूज़ किया गया है वह गवर्नर महोदय की स्वीकृति से ही इन्ट्रोड्यूज़ किया जा सकता हैं क्यों कि यह मनी बिल है और इस पर आर्डीनेन्स को जारी किया गया है वह भी पहले प्रसीडेन्ट की अनुमति से पुरः स्थापित किया जा सकता है। गवर्नर महोदय को यह अधिकार अवश्य है कि वह कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं लेकिन आर्टीकल २१३ की उप-धारा (२) के अन्दर ऐसी अ:र्डीनैन्स जोकि फाईनेन्से को टच करते हैं उन पर प्रेसीडेन्ट की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती हैं। वह स्वीकृति ली गई है या नहीं ऐसी सदन को सूचना नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जो अर्डीनेन्स जारी किया गया है वह संवैधानिक नहीं है और ऐसी स्थिति में मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि मेरा प्रस्ताव है कि इस अर्डीनेन्स को अस्वीकार कर दिया जाये, इसे स्वीकार किया जाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एण्ड वेलीडे-

(श्री भैरोंसिंह)

शन) बिल, १६६४ एक ऑर्डिनेन्स के रूप में इस राजस्थान सरकार ने लागू किया था, उस ऑर्डिनेन्स को आज विधान सभा के द्वारा एक कानून में परिवर्तन कर संशोधन के रूप में उसको लागू किये जाने की व्यवस्था की जा रही है । यह कानून हमारी सरकार ने बजट के साथ फाइनेन्श बिल के रूप में पेश किया है । फाइनेन्स बिल में और फाइनेन्शल मैटर्स में संविधान के अनुसार इन कानूनों के ऊपर राज्य-पाल महोदय की असेन्ट होनी चाहिए । किन मसलों के ऊपर राष्ट्रपति की असैन्ट होनी चाहिए इसका एक विस्तृत उल्लेख संविधान के अन्दर हमको मिलता है । राज्य सरकार ने फाइनेन्शल बिल पेश किया । सदन ने उसको पास किया, राज्य सरकार ने उसे लागू किया और जिन लोगों से टैक्स लेते हैं वह सरकार की इस अनियमित कार्यवाही को लेकर हाई-कोर्ट में एक रिट को लेकर गये । हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि संविधान के अनुसार जिन मामलों के ऊपर राष्ट्रपति की असैन्ट होनी चाहिए और राजस्थान की सर-कार ने असैन्ट नहीं ली और उस असैन्ट के अभाव में, जिन लोगों के ऊपर यह टैक्स आयत किया गया है उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता । एक प्रश्न इस सदन में कई बार उठा है कि आखिर विधान सभा में जो कानून सरकार की तरफ से प्रस्तुत किये जाते हैं वह कानून संविधान की दृष्टि से सरकार ने फाइनेन्शयल मैटर्स के लिए जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था के अनुरूप उचित है या नहीं इस सारे प्रश्न को सरकार को देखे और सरकार भी, हम आज मन्त्री मण्डल के लिये कहें कि मन्त्रीमण्डल के सदस्यों को इन सारी चीजों को देखना चाहिये था । मन्त्री मण्डल के सदस्यों ने नहीं देखा और वह शायद यह महसूस करके चलते हैं कि इन कानूनी बातों की जानकारी हमारे राजस्थान के वित्तमन्त्री जी को है, यह लाजिमी नहीं है । मैं उनकी इस स्थिति को थोड़ी ही देर के लिए स्वीकार करता हूं । लेकिन राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती कि राजस्थान की इसी विधान सभा में राजस्थान की इस सर-कार ने हमारे यहां एक लॉ डिपार्टमेंट बना रखा है । वह लॉ डिपार्टमेंट इन चीजों को जरूरी तौर से देखता है । लॉ डिपार्टमेंट को जरूरी तौर से जिम्मेदारी आती है कि वह इन सारे कानूनी मसलों को देखे और मसलों को देखकर उचित रूप में उन कानूनों को विधान सभा के सामने प्रस्तुत करे । मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकारी व्यवस्था के अनुसार माननीय भूतपूर्व गृह मन्त्री जी के कथन के अनुसार सरकारी अधिकारियों के लिए जिम्मेदारी उसी विभाग के मन्त्री की होती है तो सबसे पहले राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करें कि जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा, उसके अलावा इस बात को स्वीकार करें कि उनके लॉ डिपार्टमेंट की आयोग्यता के कारण, लॉ डिपार्टमेंट की किसी गल्ती के कारण यह सब कुछ मसला रहा । जिस मसले को लेकर लोगों को हाई-कोर्ट के सामने जाना पड़ा । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून में

Page No. 64

(भैरोंसिंह)

गलतियां हो सकती है, कानून के प्रस्तुत करने में गलतियां हो सकती हैं । आखिर मानवीय स्वभाव में गलतियों की भी प्रवृत्ति है लेकिन यह गलतियां बार बार होती रहें इस प्रकार का प्रावधान न तो मैं समझता हूं कि किसी व्यवस्था में है और न किसी कानून में है और इस प्रावधान के अभाव में आज यदि लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस प्रकार की गलतियां की हैं जिस गलतियों के कारण विधान ने जो कानून पास किया था वह कानून लागू नहीं हो सका तो वित्त मन्त्री जी यह मानकर चलें कि उन सरकारी अधिकारियों ने आपकी मार्फत इस विधान सभा की तोहीन की है, इस विधान सभा का अपमान किया है और ऐसे अपमान के लिए यदि आपने कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की तो उसका परिणाम यह होगा कि आये दिन हमारी सरकार इस प्रकार की गलतियां करती जायेंगी और सरकारी अधिकारी उसके लिए चिन्तित नहीं होंगे । विधान सभा जो कानून बनायेगी वह लागू नहीं हो सकेंगे और लोग हाई कोर्ट में जाकर याचिकायें प्रस्तुत करेंगे और उनके द्वारा कानून को लागू करने की दिशा में रोक लगने की व्यवस्था होगी । मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आखिर उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या एक्शन लिया । उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने कि गलतियां की हैं । हमारी सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के लिए वित्त मन्त्री जी ने अपने दोष को स्वीकार करने के लिए किसी सीमा तक प्रायश्चित किया है । लेकिन ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्रीजी उस प्रायश्चित का तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता । उनकी जितनी भी आलोचना की जावे, वह खूब हंसते हैं । और उनकी ऐसी हंसी हैं कि जैसे वह यह समझते हैं कि वह कानून बनाने में निपुण हैं फाइनेन्शयल मैटर्स को कन्ट्रोल करने में निपुण हैं । लेकिन मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हंसी की बात नहीं है । आप जितना ज्यादा हंसते हैं, ऑफिसर्स उतना ही गैरजिम्मेदाराना तरीकों से काम करते हैं । आपकी अयोग्यता का नाजायज लाभ उठाने के लिए वह ऐसा कानून लाते हैं । ऐसे मसले के ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं है । आपको गंभीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए और यदि आपके हंसने की आदत बन गयी है और आप ऐसी जिम्मेदारी की चीजों को जिम्मेदारी से वहन करने की जरूरत नहीं समझते हैं मैं कहूंगा कि वित्त-मन्त्री कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा । ऐसे के ऊपर हंसने से इस सदन के वातावरण को नरम करने का यदि आपका रवैया रहता है तो वित्तमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि मंत्रीमण्डल में वे रहें । मंत्री जी कहते हैं कि लॉ डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों ने गलतियां की हैं । तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हम कोई कभी संविधान की गलती कर जाते हैं, हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार दिये हुए हैं उनका उलघन यदि हमारे से कभी होता है तो सारी ट्रेजरी बेन्चेज एक साथ खड़ी होकर कहती हैं कि संविधान की अमुक धारा में आपको अधिकार नहीं हैं, उसमें आपको यह बोलने का अधिकार नहीं है, रूल्स आफ प्रासीजर में यह कहने का अधिकार नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इस मसले पर रेज़ करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ऐसे मसलों पर ट्रेज़री बेन्चेज विधान सभा में संविधान को लेकर छोटे से छोटे मसलों तक कानूनी बातों का हवाला देते हैं। विधान सभा के सदस्यों के बोलने का और अपने फन्क्शन को पूरा करने का उसके बारे में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब सेक्रेटेरियेट में बैठ कर कानूनों को देखने का सवाल आता है तो हमारे वित्त मंत्रीजी संविधान की धाराओं को जानते हैं या नहीं जानते हैं लेकिन मैं ऐसा आज कह सकता हूं कि यदि वित्त मंत्रीजी ने संविधान पढ़ा होता, और चीजे नहीं पढ़ें विधान सभा के अधिकार क्या हैं, मंत्री-मंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कैसे आता है, इसको नहीं पढ़ें, मंत्री त्याग-पत्र देता है तो उसका त्याग-पत्र कैसे स्वीकार होता है, कैसे जगह खाली होती है उसको नहीं पढ़े, मंत्रियों पर जो चार्जेज लगाये जाते हैं उन चार्जेज से मंत्री कैसे बच सकता है, इस चीज को नहीं पढ़ें, लेकिन आपको एक छोटा सा काम दिया हुआ है। फाइनेन्स से सम्बन्धित संविधान में सम्बन्धित संविधान में कुल मिलाकर १८ धाराएं हैं। इन १८ धाराओं की कमेन्ट्री को निकाल देते हैं तो कुल ६ पेज आते हैं। राजस्थान के वित्त मंत्रीजी मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में और चीजें नहीं चल सकें लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इन १८ धाराओं को आप कण्ठस्थ कर लें। यह प्रयोग करके देखिये और प्रयोग में आप याद नहीं कर सकते हों, आपकी याददाश्त किसी प्रकार से खराब है, आपकी याददाश्त में १८ धाराएं नहीं रहती हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप स्वयं ही स्वीकार करेंगे किजो संविधान की १८ धाराओं को याद नहीं कर सकता है वह राजस्थान के ६५ करोड़ के बजट का संचालन करता है तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस धारा में एसेन्ट मंगाना चाहिए था क्या आपने उसको पढ़ा है ? आपने संविधान की किताब को कभी खोली है ?

एक माननीय सदस्य : आज खोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आज भी नहीं खोलेंगे। कभी खोलने की जरूरत नहीं होगी। खोलते तो यह बात नहीं होती। यदि इस सदन में यह इसको मन्जूर करते चलते तो मे आज माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस याददाश्त को चुनौती देकर कह सकता हूं कि माननीय वित्त मन्त्रीजी आज इस सदन में नहीं बता सकते हैं किस किस कानून पर राष्ट्रपति की एसेन्ट लेना लाजिमी है, किस कानून में एसेन्ट नहीं ली जानी चाहिये, किस किस कानून में राज्यपाल की एसेन्ट होनी चाहिए, फाइनेन्स बिल कैसे पेश होता है, मनी बिल कौन सा होता है, आज वह नहीं बता सकते हैं। आप पूछ लें निरन्जननाथ आचार्य से ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह क्या प्रोफेसर हैं या यह स्कूल है ? आप सवाल कर रहे हैं प्रोफेसर की तरह से।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : टेस्ट कर रहे हैं नॉलेज का।

श्री भैंरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं, ज्वालाप्रसादजी नाराज न हों, यह कह दूं कि ज्वालाप्रसाद जी ! आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री-मंडल में किसी मंत्री को सदस्य बनाने से पहले एक स्कूल खोलें और स्कूल के अन्दर यह सारी बातें बतायें। यदि उस स्कूल में फेल होते हैं तो मंत्री-मंडल में न जायें और पास हो जाते हैं तो प्रोबेशनरी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाय और याददाश्त खराब हो जाती है तो वापिस बेक आउट कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में इस ट्रेनिंग की भी आवश्यकता मुझे महसूस होने लगी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ट्रेनिंग की आवश्यकता से यह (श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा) इन्कार नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उस स्कूल में आपको चपरासी बना दिया जाय ताकि बाहर बैठे हुए ...

श्री भैंरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि जिस आदमी की जैसी भावना होती है, जिस आदमी जैसा स्टेण्डर्ड होता है, जिस आदमी की जैसी योग्यता होती है और जिस आदमी कि जैसी हैसियत होती है वही सब चीजें उसकी जबान से रिफ्लेक्ट होती हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं आपको बहुत बड़ा आदमी समझता था, लेकिन आपका स्टेण्डर्ड चपरासी से ज्यादा नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चपरासी कोई छोटा होता है क्या ?

श्री भैंरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत बड़ा सेवक होता है। यह चपरास पहले मन्त्रियों को लगाना चाहिए क्योंकि ये राजस्थान के सबसे बड़े सेवक हैं, लेकिन वह चपरासी को इतना बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन चपरास वे अपने शरीर पर अड़ने नहीं देंगे।

ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न फिर पैदा होता है कि गलती किस ने की ? पहले गलती की लॉ डिपार्टमेंट ने और फिर गलती की सरकार ने। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं कि सरकार की इस गलती के कारण सरकार ने विधान सभा में जो उनका बहुमत के आधार पर इस गलती को राजस्थान विधान सभा पर भी थोपा। तीन गलतियां उन्होंने की। उन तीन गलतियों के लिए दण्ड देना चाहिए किस को ? जिन्होने गलती की है, लेकिन सरकार दण्ड उनको दे रही हैं जिन्होंने गलती नहीं की। कोई टैक्स की चोरी करना नहीं चाहता सरकार के बनाये हुए कानून के अनुसार टैक्स नहीं दिया जाय इस बात के लिए कोई आपके पास आता नहीं। आपने कानून बनाया है टैक्स लेने का। आपने कानून बनाया उचित टैक्स वसूल करने का। कानून गलत बना दिया तो गलती आपकी। तो उस गलती का दण्ड मिलना चाहिये आपको लेकिन आप दण्ड देना चाहते हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने हाईकोर्ट में वकील करके, हजारों रुपये वकीलों से महनताने का खर्च करके, दुनिया भर की जोधपुर और जयपुर की रेल-यात्रा

(श्री भैरोंसिंह)

करके पैसा खर्च किया है और सरकार की गलती बताई है उन लोगों को दण्ड देने की व्यवस्था सरकार कर रही है ।

ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, इस सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन जिन्होंने गलती की है उनको दण्ड दे । जिन्होंने सरकार की गलती को बताया है— बताया किसने ? लॉ डिपार्टमेंट नहीं बता सका लेकिन वकीलों ने बताया और वकीलों ने क्यों बताया ? निरपराध व्यक्तियों ने वकील करके महनताना दिया, जिन लोगों ने कुछ खर्च करके सरकार की गलती को बताया, उन लोगों को सरकार दण्ड दे रही है । तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार तो गलती करे और उस गलती को यदि कोई आदमी बता देगा तो उस आदमी को दण्ड मिलेगा । यह हमने व्यवस्था भी कर दी तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार गलती करती जायगी और सरकार के इस डर से कि सरकार की गलती को यदि हम बता देंगे तो जुर्माना हम पर होगा । तो गलती बताने का कोई व्यक्ति साहस नहीं करेगा । इस जनतन्त्र में एक व्यक्ति की सरकार नहीं बनती है । जनता अपने प्रतिनिधियों को विधान सभा में बैठाती है । उन प्रनिनिधियों के समक्ष जब यह प्रश्न आता है कि जिन लोगों का हम वोट लेकर आये हैं वे लोग हमारी गलती बताते हैं तो विधान सभा की गलती बताने वालों को दण्ड देने की स्थिति पैदा करें तो यह मानकर चलिये कि उन वोटर्स के साथ में जिन्होंने विधानसभा में आपको पहुंचाया है एक जबरदस्त धोखा होगा । सरकार को कुछ महीनों तक इस कानून के नहीं बनाने से कुछ आर्थिक हानि होगी, लेकिन राजस्थान सरकार एक बार हानि उठाकर उस आर्थिक हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड दे दे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में फिर गलती करने वाला नहीं होगा । आपकी आर्थिक स्थिति इस कानून से सुधरने वाली नहीं है । अगर कुछ पैसा आप वसूल ही ही करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट का पैसेन्जर टैक्स का पैसा उदयपुर डिवीजन में मन्त्रियों के रिश्तेदारों में काफी बकाया है तो, श्रीमान् जी । आप उनसे वसूल कर लें । वहां पर आपकी हिम्मत नहीं होती है । उनको आप नोटिस सर्व नहीं कर सकते । हजारों लाखों रुपया उनमें बकाया रह जाय, उनसे आप वसूल नहीं कर सकते तो गरीब जनता को, जिस गरीब जनता के आप और हम प्रतिनिधि हैं उन्हें दण्ड देना चाहते हैं । मै समझता हूं कि यह व्यवस्था अनुचित है। इसका विरोध करना चाहिये, और इसी आग्रह से इस सारी व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है ।

जहां तक प्रश्न आता है इस आर्डिनेन्स का कि आर्डिनेन्स जारी क्यों किया इसलिए कि यह कानून जिस दिन सरकार को गलती मालूम हुई उसी दिन से सही मान लें, रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, यानी हमने जिस दिन से गलती की उस गलती को उसी दिन से दुरुस्त समझा जाय । अब आप यह मानकर चलिये कि अगर गलती हो जाय, उस गलती को हम सुधार दें हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन उस गलती के कारण जो परिणाम निकल गये हैं, उस परिणाम को बरबाद

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहते हैं। इस दृष्टि से यह विधेयक आपत्तिजनक है।

कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो कई बार ऐसा प्रश्न आताहै जहां जन हित से सम्बन्ध हो, जनहित के सम्बन्ध में कानून में कोई अड़चन पैदा हो जाय, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई हो और उसके कारण जनता का बड़ा भारी नुकसान होने वाला हो तो विधान सभा के सदस्य ऐसे गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते कि आवश्यक सहयोग नहीं दें, हमने सहयोग दिया है लेकिन जहां जनहित का सवाल नहीं आता बल्कि जहां जनहित के विपरीत सवाल आता है, ऐसे विपरीत सवाल में वित्तमन्त्री जी जनता का शोषण करना चाहें जिस जनता ने सरकार को अक्ल दी, जिस जनता ने कानून की स्थिति बताई है, सरकार की गलती का पर्दा फास किया है, उसी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून लागू नहीं होना चाहिये। यदि लागू करना चाहते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का सवाल पैदा नहीं होता। आपने जिस मतलब से ऑर्डिनेन्स लागू किया है वह मतलब पूरा नहीं होता। जनतन्त्र के माफिक नहीं होगा। सरकारी अफसर आप पर हावी होंगे। आपके अज्ञान का नाजायज फायदा उठायेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि वित्तमन्त्री जी एक वार परम्परा डाल दें, सरकार को चाहे दो चार लाख रुपयों का नुकसान भले ही हो जाय उसकी चिंता नहीं लेकिन यदि परम्परा डाल दी तो भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स को वापिस लें और जो गलती हुई है उसको भुगतें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सर्विस रूल्स हैं, सरकारी अधिकारियों के जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें एक प्रावधान है, मेरे पास अभी किताब नहीं है लेकिन वित्त मन्त्री जी चाहें तो मैं कोट कर सकता हूं। सरकारी अधिकारी के किसी काम से यदि राजस्थान सरकार को नुकसान होता है तो सरकार उस पर पिक्युनेरी पेनल्टी इंपोज कर सकती है, उस हद तक जिस हद तक सरकार का घाटा पूरा हो। आपने इस तरह का कानून बना रखा है। राजस्थान में कानून और नियम बने हुए हैं लेकिन लागू नहीं हो सकते। मैं कहूंगा कि कम से कम सरकारी अधिकारी जो दोषी हैं उन पर इस कानून के अन्तर्गत पेनल्टी इंपोज की जा सकती है उससे इसका घाटा पूरा करें जो बाकी रहता है उसको श्रीमानजी आप जेब से दें और घाटा पूरा करें लेकिन इस ऑर्डिनेन्स के जरिये विधान सभा का मखौल न उठावें, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से कानून न लावें। इन शब्दों के साथ में इस ऑर्डिनेन्स का विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

Page No. 69

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) : प्रस्ताव इस प्रकार है :—

'राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को दो माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।'

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री तथा मालकर संशोधन विधेयक को जनमत जानने लिए प्रसारित किया जाय यह मेरा प्रस्ताव है ।

जहां तक कानून की कमियों का सवाल है, वे सरकार के सामने आ चुकी हैं । मुझसे पहले बोलने वाले दो वक्ताओं ने उन्हें साफ कर दिया है । सरकार की इस मामले में बहुत ही असावधानीपूर्ण नीति रही । यह आर्डिनेन्स लागू करना पड़ा यह एक गलती तो सरकार की है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स के मामले में राजस्थान सरकार को कितनी ही बार चेतावनी दी है कि भविष्य में यह आर्डिनेन्स लागू न करे । आर्डिनेन्स लागू करके वाली सरकार दो तरह की होती है, एक तो जनतन्त्रवादी या लोकतन्त्रवादी और दूसरी साम्राज्यवादी । लोकतंत्रवादी सरकार तब आर्डिनेन्स लागू करती है जबकि जनहित का बहुत बड़ा मामला हो । साम्राज्यवादी तब आर्डिनेन्स लगाते हैं जब साम्राज्य की कोई कील-चील ढीली पड़ रही हो, उनका साम्राज्य ढीला पड़ रहा हो । मैं समझता हूं कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार लोकतन्त्रवादी तो है नहीं क्योंकि लोकतन्त्र में जनहित के किसी मामले में उसने आर्डिनेन्स निकाले नहीं । और इसको मैं साम्राज्यवादी इसलिए नहीं कहता कि यह सरकार अपने प्रदेश को भी नहीं बचा सकी दूसरों का साम्राज्य तो क्या लेगी और हमारी घोषित नीति भी यह है कि दूसरों की एक इंच भूमि पर भी कब्जा न किया जाय । लेकिन कांग्रेसी सरकार एक तरह से ऐतिहासिक मूर्खों की सरकार है । ऐतिहासिक मूर्ख दो हुए एक तो रावण और दूसरा नचिकेता का पिता । रावण को कितनी ही चेतावनी दी गई लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया मुस्कराहट के साथ टाल दिया । उसकी पत्नी ने उसको कहा तो उसने कहा कि तुम समझती नहीं । पुत्र ने कहा, साथियों ने कहा, मित्रों ने कहा लेकिन उनसे कहा तुम समझते नहीं हो । वही परम्परा आज दोहराई जा रही है । मौजूदा सरकार को इस विधानसभा में कई अवसरों पर कहा गया, मधुर उलाहना दी गई, कड़वी घूंट पिलाई गई लेकिन इस पर कोई असर होने वाला नहीं है । वित्त मन्त्री जी जो गलती हुई है उसको स्वीकार करते हैं और इसीलिए तो आर्डिनेन्स लाये हैं । इसके लिए भैरोंसिंह जी ने सुझाव दिया कि सर्विस रूल्स के अनुसार सम्बन्धित अफसरों से हर्जाना वसूल किया जा सकता है । मैं समझता हूं हमें यहां मन्त्रियों को गाली देने के अलावा अफसरों को भी कोसना चाहिये, यह जरूरी है । लोकतन्त्र में मन्त्री जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट किसलिए बना रखा है, लाखों रुपये इस पर इसलिए खर्च करते हैं कि सही कानूनी राय मिले । उन्होंने उपेक्षा की है तो निश्चित

तौर से वित्तमन्त्री जी को उन्हें दण्ड देने की घोषणा करनी चाहिये । चाहे वह दण्ड छोटा ही हो ! उनकी तनख्वाह में से कटौती करने का सुझाव तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि उनके बाल बच्चों और बीबियों का सवाल है लेकिन निश्चित सजा उनको मिले इसकी घोषणा वित्तमन्त्री जी को करनी चाहिए । बाकी घाटे की पूर्ति वित्तमन्त्री जी को स्वयं करने के लिए कहा गया है लेकिन मैं उनकी माली हालत के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि वे अपनी उम्र के अनुसार सदन से माफी मांगें गलती हुई है उसके लिए । इस तरह की परम्परा डालें तो शायद बार बार सदन में ध्यान आकर्षित करते हैं, मन्त्री स्वयं स्वीकार भी करते हैं और चेम्बर के बाहर कहते भी हैं कि हम क्या करें अफसर सुनते नहीं । उनकी हालत पर मुझे तरस आता है । कैदी जैसी उनकी हालत हो रही है यहां फटकार सुनें और वहां इनकी कोई सुनता नहीं ।

दूसरी बात मुझे कहनी है वह यह है कि विधानसभा का सत्र चालू हो रहा था उस समय अध्यादेश लाने के कारण इस तरह की लगातार परेशानी आती है उसके बारे में सरकार को अब तो आश्वासन देना चाहिये कि अब कभी आर्डिनेन्स अध्यादेश लागू नहीं करेंगे । जिस तरह की सरकार को आदत पड़ गई है उससे हमको तकलीफ होती है जब मैं मन्त्रियों की आलोचना सुनता हूं व्यक्तिगतरूप से और सामूहिकरूप में तो तकलीफ होती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि वित्तमन्त्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि कम से कम अपने विभाग के लिए सदन से क्षमा मांगें । जुर्माने की बात मैं नहीं कहता क्योंकि यह तो एक गौण बात होगी ।

दूसरी बात यह निवेदन करती है कि जहां तक बतलाया गया न तो राज्यपाल की स्वीकृति ली गई न विधान की मर्यादा का पालन किया उसके लिये विभाग जिम्मेदार है । एक बार, दो बार या चार बार अवहेलना होती है तो केवल मन्त्री पर दोष नहीं आता लेकिन हर बार दलील विधि विभाग की होती है वे कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं चाहे उनमें समझ कुछ न हो लेकिन उनका दावा है और मन्त्रीजी को उन पर विश्वास हो जाता है....

श्री उमरावसिंह ढावरिया : अध्यक्ष महोदय हाउस में कोरम नहीं है ।

श्री रामकिशन : मेरा इतना ही निवेदन है और कुछ नहीं कहना चाहता । कल एक और बहस होगी उस पर कहा जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य का कहना है कि कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कोरम आ रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 90 percent quorum has reached.

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री जी ने जिस आर्डिनेन्स और जिस बिल

(श्री भैरोंसिंह)

को सदन के सामने पेश किया है, मैं उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस आर्डीनेन्स को पास करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की कोई सेंक्शन, जो कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टीकल २१३ के तरह आवश्यक हैं, प्राप्त की गई थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपको जवाब मिल जायगा तो आप बोलेंगे नहीं ?

श्री मानिक चन्द सुराणा : इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर राष्ट्रपति की कोई सेंक्शन इसे इस विधान सभा में पेश करने के लिए नहीं है। यह सारा बिल जो है, पिछले तीन वित्त विधेयकों में जो भी कानूनी खामियां रखी हैं, उन खामियों की पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है। राजस्थान की हाई कोर्ट ने उन वित्त विधेयकों के कुछ क्लाजेज पर यह फैसला दिया कि क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की आर्टीकल ३०४ (बी) के तहत कोई सेंक्शन उन बिलों पर नहीं इसलिए यह सारे बिल, सारे एक्ट किसी प्रकार कानून नहीं कहे जा सकते और उनका क्रियान्वयन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। चूंकि यह फैसला हमारी राजस्थान सरकार के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा हो चुका है, १९६१, १९६२ और १९६३ के वित्त विधेयकों को किसी प्रकार से एक्जीक्यूट नहीं किया जा सकता और वे अल्ट्रा वायर्स हो चुके हैं चूंकि उन पर भारत के प्रेसीडेंट की सेंक्शन नहीं है, इसलिए यह बिल पेश किया जा रहा है। इसमें यह कहा गया है कि चूंकि राष्ट्रपति की कोई सेंक्शन नहीं रही है इसके बावजूद उन पुराने बिल्स, जिनको हमने एक्ट रूप स्वीकार किया था, में जो भी कानूनी खामी भारत के कान्स्टीट्यूशन के आर्टीकल ३०४ (बी) के तहर रह गई है उनको दूर गुजर कर दिया जायगा और स्वीकृति न होते हुए भी कानून का क्रियान्वयन किया जायगा, एक्जीक्यूट किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर मतलब यह है कि हम इसे रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाना चाहते है और कानून भी उन फैसले के बाद बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी हाई कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि भारत के कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टीकल ३०४) (ब) के तहत सेंक्शन के अभाव में, जो भारत के राष्ट्रपति की सेंक्शन होनी चाहिए थी, यह सारे बिल सारे एक्ट अल्ट्रा-वायर्स है। अगर उसका बिल लाना चाहते हैं तो मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम इस वक्त भारत के राष्ट्रपति की सेंक्शन जो भारत के कान्टीट्यूशन के आर्टीकल ३०४ (बी) के तहत आवश्यक है मिलनी चाहिए थी जब तक इस बिल में यह बात साफ तौर पर नहीं कही जाती है कि भारत के राष्ट्रपति की सेंक्शन इस बिल को इन्ट्रोड्यूज करने के लिए मिल चुकी है तब तक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल इस वक्त पेश नहीं किया जा सकता। यह सरकार के बियोन्ड पावर है क्योंकि कॉन्स्टीट्यूशन के तहत राष्ट्रपति की सेंक्शन से सम्बन्धित है। आपने बिल पेश किया है, खुद उसके क्लॉज ४ में लिखा है :

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्थान वित्त अधिनियम, १९६१ की धारा ८, राजस्थान वित्त अधिनियम, १९६२ की धारा ९ तथा राजस्थान वित्त अधिनियम १९६३ की धारा १४, दिनांक ९ मार्च, १९६१ और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान केवल इस तथ्य के कारण ही उपरोक्त अधिनियमों के रूप में अधिनियमित विधेयक संविधान के अनुच्छेद ३०४ (ख) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना राजस्थान विधान सभा में पुर: स्थापित किये गये थे और उन पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी थी, अवैध या किसी भी समय अवैध रहे नहीं समझे जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आर्टीकल ३०४ (ख) का रेफ़रेन्स दिया है लेकिन ३०४ (ख) के तहत कोइ बिल पेश किया जाता है तो पहले उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है वह प्राप्त की जानी चाहिए। साफ तौर से हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया है :

"Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President."

साफ तौर से कहा गया है कि कोई बिल कोई अमेंडमेंट, जो कि धारा 'बी' के तहत पेश किया जायगा उस पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, यह जो पेश किया गया है, यह जो अमेंडमेंट है इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से करना चाहते हैं क्यों कि साफ तौर से जैसा संविधान के अनुच्छेद ३०४ (ख) में है उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति चूंकि नहीं थी इसलिए हाईकोर्ट ने उसे गैर कानूनी घोषित किया था। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है कि जब ३०४ (ख) अनुच्छेद के अनुसार स्वीकृति के अभाव के कारण बिल ला रहे हैं और इस बिल पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृती नही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक भारत के राष्ट्रपति की इस पर स्वीकृति नहीं आ जाती है तब तक इस बिल को इस सदन में पेश नहीं किया जा सकता और न सदन उस बिल पर विचार करने का अधिकारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द इस पर कहना चाहूंगा कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बिल लाने का या आर्डीनेन्स लाने का तरीका सही तरीका नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा के अनुकूल नहीं है। राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक फैसला खान के मालिकों के लिए भी दिया था। वह फैसला दिया उसमें राजस्थान के हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि रायल्टी की जो रकम है वह इन्कम टैक्स से बरी नहीं हो सकती इसलिए इन्कम टैक्स, जो रायल्टी राजस्थान सरकार को खान मालिकों ने दी है, उस पर भी वसूल की जायगी। जब खान मालिकों से रायल्टी पर इन्कम टैक्स वसूल करने का प्रश्न पैदा हुआ तो वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि भारत सरकार को इस तरह के कानून में कुछ रद्दो बदल करनी चाहिए। इस तरह के कानून से खान मालिक बरबाद हो जायेंगे,

खाने चौपट हो जायेंगी। जहां पूंजीपतियों से रायल्टी की रकम पर इन्कम टैक्स वसूल करने का सवाल है वहां तो वित्त मंत्री वक्तव्य देते हैं कि कानून को परिवर्तित कर दिया जाय लेकिन राजस्थान के जो छोटे छोटे पैसेन्जर और गुड्स गाड़ियों के मालिक है उनसे वसूल करने के लिए बिल लाते हैं, ऑर्डीनेन्स पास करते हैं। उनसे टैक्स वसूल किया जायगा जबकि बड़े बड़े पूंजीपतियों, लखपति, करोड़ पति से इन्कम टैक्स वसूल करने का सवाल आया तो कानून को परिवर्तित करने को कहते हैं जिससे वह वसूल नहीं हो सके। इन लोगों के लिए कानून को परिवर्तित किया जायगा और राष्ट्रपति की भारत के संविधान के तहत सेंक्शन की आवश्यकता थी उसको ताख में रखकर उसका तिरस्कार इस सदन से पास करवाया जायगा और राष्ट्रपति की सेंक्शन न रही हो तो भी वसूल किया जायगा। मैं समझता हूं, यह सरकार का तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। आप किस तरीके से जनतंत्र की बात करते हैं। इसमें दो चीजें साफ होती हैं कि यह जनता की सरकार नहीं है बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है और उनके हाथ में खेलती है और भारत के संविधान के प्रति इस सरकार के मन में इज्जत नहीं है। यह साफ हो जाता है। इस हिन्दुस्तान में कौनसी सरकार होगी जो यह कहेगी कि जब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक थी, उस स्वीकृति को प्राप्त नहीं किया गया और इसके बावजूद वित्त मंत्री कहना चाहते हैं कि कोई हर्ज नहीं, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं थी तो भी यह कानून बना दिया जाय। चूंकि यह भारत के संविधान के तहत बिल नहीं है' भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०४ (ख) के भी तहत स्वीकृति नहीं हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि कान्स्टीट्यूशन के आर्टीकल ३०४ (ख) के तहत जब तक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक इस विधान सभा के काम्पीटेंस के बियोन्ड है कि वह इस बिल पर विचार करे। इसलिए निवेदन है कि सरकार इस बिल को वापिस ले और प्रेसीडेंट की सेंक्शन को प्राप्त करे और उसके बाद इस सदन में इसे डिस्कस किया जाय........

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी की ओर से यह सूचना मिली है, विधेयक के साथ आई थी, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति विधेयक को मिल चुकी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: मिल चुकी है ?

श्री मानिक चन्द सुराणा : बिल को इन्ट्रोड्यूस करने के लिए मिल चुकी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह स्वीकृति मिल चुकी है तो भी बिल के द्वारा यह साफ होना चाहिए कि यह स्वीकृति मिल चुकी है अन्यथा कोई भी स्वीकृति मिली हो जब तक इसकी बाडी, ऑन दी फेस आफ दी बाडी में स्पस्ट नहीं हो कि स्वीकृति मिल चुकी है उसको माना नहीं जा सकता। यदि कोई बिल कोर्ट में जायगा और उसमें साफ नहीं है कि स्वीकृति मिली है तो उसे अनकान्स्टीट्यूशनल करार दिया जायगा भले ही आपके कागजों में फाइल में स्वीकृति मिली हुई पड़ी रहे।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह झाला।

(११.०० म० पू०)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को दो माह के लिए जनमत जानने के हेतु परिचालित किया जावे।"

अध्यक्ष महोदय, कल का फर्मान हमारे मन्त्री भीखाभाई का था और जो फटकार उन पर पड़ी उससे वे आज सदन छोड़कर चले गये। आज का फर्मान हमारे वित्तमन्त्री जी का है और मैं समझता हूं कि जो फटकार भीखाभाई पर पड़ी उससे आपको भी शिक्षा मिली होगी अध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे विधानसभा में कोई विधेयक पास हो और हमारे मिनिस्टर की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो और उसमें कोई त्रुटी हो जावे और उसकी वजह से हाईकोर्ट में जाना पड़े और हाईकोर्ट से स्टे हो जावे तो यह मैं कहूंगा कि यह हमारे मिनिस्टरों की बुद्धि का दिवाला है और साथ ही साथ माननीय सदस्य, जो यहां पर बैठते हैं उन पर भी एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हमारे माननीय मन्त्री इस प्रकार की गल्तियां करने के आदी हो गये हैं, उनके दिमाग का दीवाला इस ऑर्डिनेंस से जाहिर होता है। हमारा न्यायलय यदि त्रुटी के कारण स्टे करे तो यह विधानसभा के सदस्यों के लिए जो यहां पर बैठते हैं और कानून बनाते हैं, कोई अच्छी बात नहीं होगी। आर. टी. पी. बसें चलाती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। इन लोगों में कितनी बकाया है इस बारे में एक प्रश्न के जरिये बताया था कि उदयपुर में १ लाख ६२ हजार रुपये बाकी है भीलवाड़ा में १ लाख कुछ हजार रुपये बाकी है और वे रुपये किन लोगों में बाकी है और वे क्यों नहीं वसूल हो रहे हैं यह मैं बता देना चाहता हूं। वे रुपये बाकी थे हमारे मुख्यमन्त्री जी के साले बसन्तकुमार में, और किसमें है गुलाम अब्बास में जिसने होटल बनाया है और मिनिस्टरों का स्वागत जब आप उदयपुर पहुंचते हैं तो वहां पर ठहरते हैं। नाथद्वारा में....

श्री बालकृष्ण कौल : कौन सा होटल है?

श्री विजयसिंह झाला : अजन्ता होटल।

एक माननीय सदस्य : नाम भी बड़ा सुन्दर है।

श्री विजयसिंह झाला : आप मुझसे जनार्दनराय नागर के बंगले के सामने मिले थे और उस समय मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आपने विधानसभा में जो वायदा किया था कि १९६३ की जो बकाया लोगों में है उसे इस सेशन के शुरू होने से पहले पहले वसूल कर लूंगा। मैंने सदन में इसके लिए प्रश्न भी किया था और यह कहा था कि आप सुखाड़िया साहब के साले में जो रुपये हैं उनको वसूल नहीं कर सकेंगे। नाथद्वारा के चौधरी बस सर्विस के मालिक हैं उनसे आप रुपया वसूल नहीं कर सकते हैं। उस समय आपने कहा था

(श्री विजयसिंह झाला)

कि करूंगा। मगर समझ में नहीं आता कि फिर आपको कौन सा लकवा मार गया जिसके कारण आप सदन में आश्वासन देने के बादभी वह रकम उनसे वसूल नही कर पाये।

(११.०२ म. पू.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभानेत्री महोदया, इसका केवल एक ही कारण है। अजन्ता होटल में आप ठहरते हैं और नाथद्वारा में चौधरी बस ट्रांसपोर्ट कं० है वहा पर जब आप पधारते हैं तो प्रसाद बांटा करते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह प्रसाद आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अब आपको मालूम होना चाहिये कि कैरों के बाद में....

श्री बालकृष्ण कौल : यह गलत है कि मैं अजन्ता होटल में ठहरता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने आपको उस होटल से बाहर निकलते देखा है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने चौधरी बस कम्पनीको क्यों छोड़ा ? उनसे रुपये वसूल क्यों नहीं किये ?

श्री बालकृष्ण कौल : उनसे इन्सटालमेंट आ रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : कोई इन्सटालमेंट नही आ रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सही नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : यह बिलकुल सही हैं। आपने जो प्रोमिसेज किये थे कि तीन महीनों में जिनमें रुपये बाकी है वसूल कर लिये जावेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : आप आदतन गलत बोल रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं बिलकुल ठीक कहता हूं। ६२ की बकाया वसूली नही हुई। लेकिन आप नियमानुसार रुपया वसूल करना चाहते हैं। आपके कानून में इस प्रकार का प्रावधान है कि आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केस ला सकते है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके क्या ये पोलिटिकल राइवल्स हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : भीलवाड़ा से कितने व्यक्ति हैं। कौन कौन हैं और आप उनसे रुपया वसूल नहीं कर रहे हैं। सभानेत्री महोदया, जिस समय में भीलवाड़ा में चुनाव हुए उस समय उनकी मोटरें चुनावों के समय फ्री दौड़ी थीं। आप उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते। हम एक कानूनी गलती करें और उससे मोटर मालिकों को मौका मिलनाचाहिये, मौका मिला और वे हाईकोर्ट में जावें और हाईकोर्ट उस कानून को अवैध घोषित करे उसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि मिनिस्टरों की बुद्धि का दीवाला निकला सो निकला ही लेकिन इसके साथ साथ जितने विधानसभा के सदस्य हैं उनके लिए भी यह

Page No. 76

(श्री विजय सिंह झाला)

असर पड़ता है कि वे अपनी बुद्धि को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करके विधेयक बना देते हैं और जिसकी वजह से हाईकोर्ट में स्टे मिल जाता है। और जनता पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है।

यदि आप सुखाड़िया साहब के साले से नहीं डरते हैं तो आप उनसे रुपये वसूल सरकारी बकाया के करिये, यदि चौधरी बस कम्पनी का प्रसाद नहीं मिलता है तो फिर एक लाख ६२ हजार रुपये और भीलवाड़ा में एक लाख ५८ हजार रुपये बाकी हैं वे कब तक आप वसूल कर लेंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे तो प्रोमिस कर चुके हैं कि तीन महीनों में वसूल कर लेंगे। मगर वे आज तक उन रुपयों को वसूल नहीं कर सके हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने प्रोमिस किया उसको पूरा कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और कयामत तक करते रहेंगे।

उमरावसिंह ढाबरिया : ये रिपोर्ट नम्रा साहब को पहुंच गई है।

(शोर-गुल)

एक माननीय सदस्य : सुखाड़िया साहब के साले ने कितना रुपया कमा लिया।

श्री विजयसिंह झाला : क्या जब तक आप मंत्री हैं तब तक वसूल हो जावेंगे या आपके संबन्धों को देखते हुए जब तक आपको यमराज या कामराज का निमंत्रण आ जायगा तब तक वसूल नहीं होंगे । यह तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे जल्दी वसूल कर सकें। मैं यह कहूंगा कि इन साले और मिनिस्टरों के जवाइयों से आज भीलवाड़ा जिला तंग है और यह एक प्रकार का बहुत बड़ा रोग है मिनिस्टरों के साले और जवाइयों का और इसके लिये हमें कोई दवाई नहीं मिली। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा और मदन से पूछूंगा कि ऐसा कौनसा डाक्टर है जो इस मर्ज से छुट्टी दिला सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौनसे आपको डाइरेक्शन हैं जिसके कारण से आप उनसे पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं और उन लोगों को अवैध प्रोत्साहन देने के कारण से लोगों पर कभी झूठे मुकदमें बनाते हैं। जो चोरी करते हैं उनको सजा नहीं मिलती है। जिन मोटर मालिकों की एक एक बस चलती है और उनमे १०० रुपया भी बाकी है तो आप उनसे रुपये जल्दी से वसूल कर लेते है, उनकी मोटर रोक कर वसूल कर लेते हैं क्योंकि वे आपको चुनावों में चन्दा नहीं देते है। उनसे आपको चन्दा नहीं मिलता है चन्दा इन्हीं से आता है । इसके लिये आपको शर्म आनी चाहिये........

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, यह पोइन्ट बिल्कुल अनरिलेवेन्ट है ।

श्री विजयसिंह झाला : यह बिल्कुल रिलेवेन्ट है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : References are irrelevant. Those who are not present here are being discussed here. The expression are mischievous.

यह जो सेन्टेन्स है वह मान हानि करने वाला है । इसलिये मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं ।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : Order please ! Order !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप........

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : Order please Order !

श्री हरिराम चौहान (पाटन) : सभापति महोदय, एक तो चोरी और फिर सीना जोरी है । एक तो आप उनसे बकाया रकम वसूल नहीं करते । आज विधान सभा मे प्रोमिज करते हैं मगर फिर भी वसूल नही करते इसके लिये जनता के सामने इस बात की आपको शर्म नहीं आती । आप वायदा करते हैं कि तीन महीनों में वसूल करेंगे मगर आप एक से भी रकम वसूल नही कर पाये । और फिर, उप मंत्रीजी इस बात के लिये........

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : Order please ! Order !!

(टेबल थपथपाने के साथ-साथ शोरगुल)
Order please ! Order !!

(शोरगुल)

Order please ! Order !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कमिटमेंट किया कि तीन महीनों में वसूल कर लेंगे । यह जनतन्त्र है.... ...

श्रीमती सभानेत्री : (श्री विजयसिंह झाला से) आप अपना भाषण जारी रखें पर सीमा में बोलें ।

श्री विजयसिंह झाला : सभानेत्री महोदया

(शोरगुल)

मैं यह कह रहा था कि मुख्य मन्त्री के साले के विरुद्ध वित्त मन्त्री कार्यवाही नही कर सकते क्योंकि उनका इतना बड़ा दिल नही है । मुख्य मंत्री के साले का नाम देख कर आचार्य जी को गुस्सा आ गया....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये रेफेरेंसेज हो चुके है ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय झाला, आपको कई दफा निवेदन किया जा चुका है कि आप सीमा के अन्दर रहें ।

श्री भैरोंसिंह : चेयरमेन महोदया, एक बात बता दें मन्त्रियों के साले सीमा में आते हैं या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्रियों के जवाई सीमा के अन्दर हैं या बाहर हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : तो हम उस रोग से पीड़ित हैं, दवा हम यह चाहते हैं कि जो असाध्य रोग मंत्रियों के सालों का, जवाइयों का लगा हुआ है उससे मुक्ति कैसे पाई जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नया जवाइयों का स्टॉक आ रहा है, उसका क्या इलाज होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : आपके तो जंवाई या साले कोई होंगे ही नहीं, कुंवारी ही मरती होंगी घर में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हैं, लेकिन दुखदाई नहीं है इनकी तरह ।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ तो टेन्डर्स्ड रखो, कुंआरी किसकी मरती हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : साले-जंवाई सबके होते हैं पर जिसके होते हैं। वे उसी पर होते हैं, जनता पर नहीं होते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे साले, जंवाई सपरिवार अमेरिका नहीं जाते ।

श्री विजय-सिंह झाला : साले का नाम लिया उसके कारण आचार्य जी को गुस्सा नहीं आया, गुस्सा आने का और कारण है कांक-रोली के बस ओपरेटर बिहारीलाल जी हैं, उनमें बकाया हैं....

(विरोधी पक्ष की ओर से "शेम शेम" की ध्वनि)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें शेम शेम क्या, नाम बिहारीलाल जी है मैं आचार्य हूं, शेम शेम क्या शेम ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : आप थोड़ी जानकारी दे दीजिये कि बिहारीलाल जी और आचार्य जी की क्या रिश्तेदारी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका रिश्ता आप जानते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : बिहारीलालजी का आचार्य जी से क्या है, बिहारीलाल जी से वसूली इसलिये नहीं होती कि आचार्य जी के चुनाव में बिहारीलाल जी की मोटरें दौड़ी थीं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गलत । मोटरें चलती हैं तो मेरी, टांगें चलती हैं तो मेरी, दिमाग चलता है तो मेरा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भीलवाड़ा के चुनाव में १०० मोटरें आपके घर की थीं क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बनेड़ा का पूछें, बनेड़ा में अकेला गया था। बनेड़ा का पूछें।

श्री विजयसिंह झाला : अभी तो बहुत बातें बाकी हैं, अभी से गुस्सा मत होइये राजनगर में नगरपालिका के चुनाव हुए....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : चुनाव से और ऑर्डिनेन्स से क्या सम्बन्ध ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जनसंघ के चेयरमेन हैं, इसमें क्या बात हुई ? यह तारीफ की बात है, भैरोसिंह जी से पूछ लीजिये कि कितना सहयोग दिया है ? तारीफ है गवर्नमेंट की कि सहयोग दे रही है। आप लड़ाते हैं हमको और जनसंघ को।

(अनवरत हंसी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, समय बहुत कम रह गया है, बाकी माननीय सदस्य भी बोलने हैं, जल्दी जल्दी समाप्त कर दें वरना दूसरों को समय नहीं रहेगा।

श्री विजयसिंह झाला : मैं साले के टोपिक को यहीं खत्म करता हूं।

मैं यह बता रहा था कि क्यों नहीं वसूली होती है। और भी कई बातें हैं तो मैं प्रस्ताव रखूंगा कि यह ऑफ शूट लगाने से पहले विद्यार्थियों को बस मालिक फ्री ले जाते थे, अब इसलिये नहीं ले जाते कि टैक्स बस मालिक को अपनी जेब से देना पड़ता है। मैं सुझाव दूंगा कि मोटर मालिक विद्यार्थियों को फ्री ले जाते हैं तो उस हालत में पैसेंजर्स टैक्स नहीं लेने का प्रावधान किया जाय ताकि गरीब विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं गांवों से शहर में उनको सुविधा मिले।

इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सम्पतलाल जी बोहरा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा चान्स पहले मिस हो गया था।

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई) : जिनका चान्स मिस हो गया है उनका चान्स गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरोंको चांस दिया है। भैरोंसिंह जी को दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन एक्ट, १९५९ में कुछ प्रोविजन्स और एड किए गए और उसी को एक आर्डिनेन्स की शकल में लागू किया गया है और आज उसे वेलिडेट करने के लिए एक अमेंडमेंट सदन में पेश किया गया है एक बिल के रूप में। क्योंकि कुछ लोग जिनमें पैसेन्जर्स और गुड्स टैक्स का लाखों रुपया बकाया था उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पेश की १९५९ के इस कानून के क्लाज ३ के नं० १ पर हाई-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कोर्ट ने फैसला देदिया कि सरकार ने नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया इसलिये लम सम से वसूल नहीं कर सकती। सभापति महोदया, १९५९ के इस एक्ट की दफा ३ में कंकरीट, सीमेंटेड, टार रोड पर जो मोटर व्हिकल्स चलती है उनसे सरकार फ्रेट या फेयर का १।८ वसूल कर सकती थी, उसमें नोटिफिकेशन इश्यू करने का प्रॉविजन है। लगातार ३ साल तक जो फाइनेन्शियल बिल सदन में पेश होते रहे हैं जिनकी सेंक्शन प्रेसिडेंट से कान्सीट्यूशन की धारा ३०४ बी के तहत लेनी आवश्यक थी उसे सरकार ने नहीं ली, जिसके सम्बन्ध में बहुत से लोगों में डाउट थी वे हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट में सरकार के विरुद्ध फैसला हुआ। अब भी इस बिल के सम्बन्ध में डाउट था, इसके सम्बन्ध में सदन में एक के बाद अनेक माननीय सदस्योंने डाउट पेश किया कि क्या इस बिल के सम्बन्ध में प्रेसीडेंट से कन्सेन्ट ली गई है तो अभी मन्त्री महोदय द्वारा बताया गया कि कन्सेन्ट ले ली गई है। पर कन्सेन्ट का कमिटमेंट इस बिल के अन्दर नहीं है। लगातार सरकार की इस गैर जिम्मेदारी कानून विभाग की इस गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही से कॉन्स्टीट्यूशन की एक निश्चित चीज ३०४ बी धारा की अवहेलना के कारण, एक वर्ष नहीं दो वर्ष नहीं लगातार तीन वर्ष तक अवहेलना के कारण सरकार का करोड़ों रुपया लोगों में पैसेन्जर्स टैक्स, गुड्स टैक्स के तौर पर बकाया पड़ा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिकवरी भी हो चुकी है।

श्री मथुरादास माथुर : I fail to understand the words used by the Hon'ble 'Member- incompetence of Law depit.', Will you please point out to me any such fact ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I could not understand what you told ?

श्री मथुरादास माथुर : I could not understand the incompetence of Law Department as you just told.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It was very clear that the High Court has given a definite ruling that the consent must have been obtained and the Law Department should have seen that the consent must have been obtained.

This Article 304 of the Consrtitution of India is very clear in this respect.

This Article says- Notwithstanding anything in article 301 orarticle 303 the Legislature of a State may by law-

(a) impose on goods imported from other States any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are

subject, so however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and

(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public Interest.

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.,

So such consent is very necessary, This is there in the Constitution and is in Article 304

और हर वर्ष इसकी लगातार अवहेलना की गई है।

श्री मथुरादास माथुर : सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उदयपुर में पैसेंजर टैक्स की बकाया थी। वित्तमन्त्री ने पिछले अधिवेशन में बड़ी धीरता से घोषणा की थी कि चाहे किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी का कोई संबंधी हो, रिकवरी की जायगी लेकिन इस घोषणा की कोई चिंता नहीं की गई। यह कहा गया था कि दो तीन महीने के अन्दर अन्दर रिकवरी कर ली जायगी। एक वर्ष गुजर गया, उन टैक्सों की रिकवरी नहीं हुई। एक माननीय सदस्य ने इस बात पर आपत्ति की थी तो उपमन्त्री महोदय गरम हो गए कि कान्टेम्प्ट ऑफ दी हाऊस हो रहा है। सभानेत्री महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि वित्तमन्त्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति एक घोषणा कर देते हैं कि दो तीन महीने के अन्दर अन्दर इस व्यक्ति वसन्तकुमार सन ऑफ दीना भाई से हम पैसेंजर टैक्स के ४० हजार बकाया रुपये रिकवर कर लेंगे और आज एक वर्ष के बाद भी यह बकाया रिकवर नहीं होती है तो यह सदन का अपमान नहीं है तो क्या है, सदन को तुच्छ समझना नहीं है तो क्या है ? कोई भी डिक्लेरेशन वित्त मन्त्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति करे तो उनको सोच समझ कर करना चाहिए। और तो और राजस्थान के अन्दर ३० करोड़ टैक्स के पैसेन्जर टैक्स के बकाया है। सरकार की ३०० बसें चलती हैं और वहां कलेक्शन होता है २५ लाख का और ३६,००० प्राइवेट बसें चलती हैं उनसे १,२६,००,००० रु० की रिकवरी होती है। बसेस के अन्दर रेशो १:११३ है और टैक्स रिकवरी में १:१४। १४ करोड़ की सीधी टैक्सेज की चोरी है और इस कानून के अन्दर लकुनाज छोड़ जाते हैं, लापरवाही होती हैं। कानूनों की सही कन्सेंट प्रेसीडेंट की ली जाय इस बारे में भी प्रयत्न नहीं किया जाता है और स्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है। दौलतराम बस प्लायर के खिलाफ लाखों रुपए टैक्स के बकाया है। मोरारजी देसाई अपने को सोने मे तुलवाने आए तो गाड़ी ४५ मिनट स्टेशन पर खड़ी रही। दौलतराम के खिलाफ ४० लाख रुपए का टैक्स का बकाया हो, कई सालों से हो और वित्तमन्त्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिकवरी नहीं करे। अगर सारे आंकड़े जोड़ कर बताए जाएं पैसेन्जर टैक्स और गुड्स टैक्स के तो इस बकाया से सरकार को करोड़ों रुपये की इन्टरेस्ट की हानि होती है और आप टैक्स लगाते चले जा रहे हैं अनाज की बिक्री पर टैक्स, सरचार्ज टैक्स, गरीबों को टैक्स के बोझ से लादा जा रहा है। यह जोड़ ४० लाख का टैक्स का बकाया है उसने ८० मरसरिया खरीदी जा सकती हैं वह एक साल के अन्दर अपनी कीमत निकाल सकती हैं। हाई कोर्ट ने सेक्शन १ के की अवहेलना के संबंध में फैसला दे दिया और सरकार से निश्चित रूप से कह दिया कि आप लम्पसम में रिकवरी नहीं करते तो आप ६ जुलाई को ऑर्डिनेन्स के जरिए लाते हैं। आप इसको सीधे सदन में ३ अगस्त को ला सकते थे। केवल २६ दिन के लिए आप इंतजार नहीं कर सके। तीन साल की लापरवाही को आपने सहन किया है लेकिन माननीय सदस्यों का इतना मान नहीं है कि २६ दिन के बाद सीधा इसको सदन में लाते ? यह आपका प्रजातन्त्र है। जब हम कुछ कहते है तो आप हमें विस्फोटकारी शोर मचानेवाले कहते है लेकिन आपकी प्रजातन्त्र प्रणाली का यह एक बहुत बड़ा सबूत है। कितनी कद्र है आपको इस बात की कि गरीबों पर टैक्स न लगाया जाय, गरीबों को भूखा न मारा जाय और दूसरी तरफ यह ३० करोड़ का बकाया। योजना के अन्दर एक और २४ करोड़ टैक्स लगाने की बात है और यदि आप एक अधेला भी टैक्स न लगाएं और केवल यह टैक्स वसूल करें तो भी काफी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यदि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे तो भी हम सुन लेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलने दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बिल के सारे क्लॉजेज में सरकार के द्वारा की गई खामियों को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते है। यह अजीब बीमारी है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की। रिकीजन के अधिकार सरकार ने लिए और अब सरकार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहती है। मुझे आश्चर्य तो उस समय हुआ जब कल पंचायत मन्त्री ने कहा कि फंडामेंटल डिफेक्ट्स हैं। एक पंचायती योजना और फंडामेंटल डिफेक्ट्स पांच साल के अन्दर ट्रेस होता है। कितनी एफिशियेन्ट है सरकार की मशीनरी ? तीन साल तक तक प्रेसीडट की कन्सेंट नहीं ली चौथे साल नींद खुलती है। हाई कोर्ट ने फटकार डाली है तब नींद खुलती है। बसंतकुमार की बस डेढ साल जोधपुर में खड़ी रही और केवल ७५० रु० जुर्माना कर एलाऊ किया जाय, इसी तरह फकीरो एण्ड कम्पनी है। लेकिन राजस्थान की करोड़ों रुपये की रिकवरी है जिसके जिम्मेवार आप हैं उनके प्रति आपकी गहरी अवहेलना है। इसलिए मैं आपको सबक सिखाने के लिए कहता हूं कि इस बिल को मन्जूर नहीं किया जाय बल्कि आपके खिलाफ कार्यवाही की जाय और आप इस लज्जाजनक स्थिति में इस्तीफा दें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री संपत्तिलाल बोहरा।

Page No. 83

(श्रीमती सभानेत्री)

(अनुपस्थित)

श्री राधाकृष्ण गोयल ।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेश विहारी ।

श्री मथुरेश विहारी माथुर (बांदीकुई) : प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक १९६४ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद मे प्रस्तुत करदी जावेगी)।"

इस विधेयक के सम्बन्ध में चल रही चर्चा के विषय में मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। इस विधेयक के ऊपर हुई चर्चा के दौरान में हमारी सरकार के न्याय मन्त्री ने कहा कि इस विधेयक के अन्दर हमारे न्याय के जो ड्राफ्टर्स हैं उनकी क्या अयोग्यता है। मैं उसके जवाब में अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल की लैंगुएज यह बताती है कि विभाग के ड्राफ्टर्स कितने योग्य हैं। विधान सभा द्वारा पास किए गए पेसैंजर एक्ट की गलत धाराओं में जो ड्राफ्टिंग हुआ है, जो राष्ट्रपति की सेंक्शन न लेने की मूलभूत गलती की गई है उसको छिपाने के लिए यह किया गया है।

मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि यह पहला बिल ही नहीं है इस न्याय विभाग की अकलबन्दी को जाहिर करने वाला। लेकिन हमने देखा है कि युनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट बिल आया, कोर्ट ऑफ लॉ में गये, वहां डिक्रियां हुई और गवर्नमेन्ट को डिफेन्ड करने के लिए हजारों रुपये खर्च हुए सरकार के स्वयम् के भी। इसके साथ साथ आप देखिये कि ट्रान्सपोर्ट के कानून में नोटिस की कमी थी, उसका परिणाम क्या हुआ ? उसको सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से डिफेन्ड किया गया और हजारों रुपये वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफेन्ड करने के लिये खर्च किये गये। क्या कारण था ? केवल ड्राफ्ट करने वालों की अयोग्यता थी। उनकी कमी के कारण ही यह स्थिति हुई। ट्रान्सपोर्ट कानून में खामी थी। हाई कोर्ट्स के जजमेन्ट्स से यह प्रकट हो चुका है कि आपका न्याय विभाग कितना योग्य है जिनके दिमाग में पूरी तरह से पहले कोई चीज आती नहीं या मिनिस्टरों के इशारे के ऊपर जल्दी में ड्राफ्ट कर जाते हैं, जिस न्याय विभाग में सेशन जज की ग्रेड के आदमी भरे बैठे हैं वे लोग ड्राफ्ट कर देते है, इस प्रकार से फिर जजमेन्ट होते हैं और विधान सभा के सामने फिर से आते हैं, इस प्रकार से विधान सभा की भी एक प्रकार से मान हानि है बार बार अमेन्डिंग बिल पेश करने पड़ते हैं। अभी भी यह देखें कि ड्राफ्ट की गलती के कारण कितने केसेज लॉ कोर्ट में गये और सरकार का रुपया कितना वकीलों को चुकाना पड़ा यदि उसको देखा जाय तो वह लाखों की तादाद में होता है। एक दफा नहीं दो दफा नही सैंकड़ो दफा इस प्रकार की खामियो

Page No. 84

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

अमेण्डिंग बिल लाकर दुरुस्त करवायी हैं। ड्राफ्ट करने वालों का ब्रेन कितना है, मैं उनकी योग्यता के ऊपर एक आरोप लगाना चाहता हूं, आप पर आरोप लगाये जाते हैं लेकिन मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं। लेजिस्लेचर और एक्जीक्युटिव ये दो अंग है। एक्जीक्युटिव के द्वारा जो मिसयूज ऑफ पावर होता है उसका दिग्दर्शन यहां काफी होता है। लेकिन आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ज्युडिशियरी जैसी पवित्र संस्था में भी हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट की अयोग्यता के कारण, उनकी इन्काम्पिटेन्सी की वजह से इस प्रकार की स्थिति विधान सभा के सामने आती है। उनसे कभी पूछा गया कि आपकी अयोग्यता के कारण ट्रान्सपोर्ट बिल्स, युनिवर्सिटी बिल आदि में कितनी खामियां आयी और उसके कारण कितने लोगों का नुकसान हुआ और ट्रेजरी बेंचेज का भी कितना नुकसान हुआ? क्यों नहीं उनको हटा कर दूसरों को उनके स्थान पर लगाया गया? रोज बिल आते हैं, रोज प्रवर समिति में जाते हैं और वापिस आते हैं यह हमारे यहां के लॉ विभाग के ड्राफटर्स की योग्यता का नमूना है। दुर्भाग्य यह है कि न्याय मंत्री यहां नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी क्या योग्यता है?

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि देश के अन्दर एक्जीक्युटिव और लेजिस्लेचर की सीमा के विषय यू. पी. की समस्या आयी और प्रेसिडेन्ट महोदय ने उसको सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दिया। उसका भी एक प्रमाण इसमें मिलता है। आज ज्युडिशियरी से जो बातें कही जाती है कि अमुक आपने खामी रख दी है तो आपके ड्राफ्ट करने वाले एक मिनिट में दूसरी चीज लाकर वेलिडेट करा लेते है। यह सुप्रीमेसी किसकी रही? इन अयोग्य ड्राफटर्स की सुप्रीमेसी है या कोर्ट्स की? ये अयोग्य ड्राफटर्स किसी चीज को ड्राफ्ट कर देते हैं और पास करा देते है और सरकार को उस बिल के प्रोस एण्ड कोन्स को कभी देखने की फुर्सत ही नही है और शियर मेजोरिटी से उसको पास करा देते हैं और रोज आपको अमेन्डमेन्ट बिल लाने पड़ते हैं। दो वर्षों का यदि हम टोटल देखे तो राजस्थान का कोई एक्ट ऐसा बचा हुआ नहीं है कि जिसमें अमेन्डमेन्ट न आया हो और उसमें एक्सटेन्शन न दिया गया हो। कोई मूलभूत सिद्धान्तों पर नही। छोटी छोटी बातों पर, लिमिटेशन पर भी संशोधन हुए हैं। उनका ब्रेन ड्राफ्ट करने के वक्त में यह नहीं सोचते हैं कि वे क्या ड्राफ्ट कर रहे है। सिविल जज को या ज्यादा से ज्यादा सेशन जज को बना दिया है जो ओवर पावर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट जजेज पर ओवर पावर हो रहे हैं, जो ज्युडिशियरी पर ओवर पावर हो रहे हैं। इस विधान सभा का पूरा मखौल उड़ाने के लिए वे इसके सिर पर हैं और उनकी अयोग्यता का दिग्दर्शन हो जाने के बाद भी वे आज टिके हुए हैं। कोई उनको कुछ नही कहता आप अपनी शियर मेजोरिटी से इसको पास करें या न करें, जिस तरह से दूसरे बिलों को आपने सलेक्ट कमेटी मे दिया है इसको भी दीजिये इससे आपके ड्राफटर्स की योग्यता का प्रमाण भी मिलेगा। यदि आप इस स्थिति को इम्प्रूव करना चाहते हैं, केवल आलोचना से नाराज न हो कर इसको इम्प्रूव करना चाहते

Page No. 85

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

हैं कि आप इन अयोग्य आदमियों को इस जगह से हटाइये और अच्छे ड्राफटर्स लाइये जो इस प्रकार से आलोचना के शिकार न हो और रोज के मखौल न बनें। तो ये हैं आपके ड्राफटर्स जिनकी योग्यता का प्रमाण रोज हमको इन बिलों के द्वारा मिलता है।

साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा जैसे एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की। आज भी यह वेलिडेटिंग बिल आया है। ३०४ आर्टिकल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स की तारीफ में है। यह माना कि आप वेलिडेट कर रहे हैं ? वेलिडेट किसको कर रहे हैं ? टैक्स को ? नोटिफिकेशन निकाला कि टैक्स लम्पसम ले लो। देखिये यहां भी आपके ड्राफटर्स की योग्यता का नमूना। नोटिफिकेशन निकाला। कोई पेसेन्जर १ रु० ४ आना किराया देता है। तो एक पैसे या दो पैसे यह टैक्स के रूप में देगा वे पेसेन्जर्स चले गये, गाड़ियों में सफर करके चले गये, गाड़ी वालों ने टैक्स नहीं लिया। अब गाड़ी वालों से एक लम्बे अर्से के बाद आप कहते हैं कि आपसे सैल्स टैक्स लेते हैं, पेसेन्जर टैक्स हैं वह अलग है, इसलिए आप दो। अब उस गाड़ी वाले ने लिया तो था नहीं, वह कहता है कि मैंने तो गाड़ी का किराया ही वसूल किया था अब आप पेसेन्जर टैक्स लेते हैं जो कि हमने नहीं लिया तो लम्पसम में वह रकम कैसे दे दी जाय। आपने तो मांग लिया। वे हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने कहा कि यह टैक्सेशन की पोलिसी के विरुद्ध है। ओनर से नहीं ले सकते। कल फिर इस तरह से आप सिनेमा के लिए भी कर देंगे कि जहां एन्टरटेनमेन्ट टैक्स टिकटों पर लगाना चाहिये नहीं लगाया तो वसूल होना चाहिये। आपके इन्सपेक्टर और एजेन्सी ने वक्त पर नहीं लगाया तो कल सिनेमा वालों से भी आप कहेंगे कि हमको तो लम्पसम टैक्स दे दो क्या यह टेक्सेशन की पॉलिसी के माफिक है। आप हाई कोर्ट के फैसले की ताईद करते हैं इस तरह के बिल लाकर के। चाहे पांच लाख का लोस हो चाहे दस लाख का हो अपने गलत सलाहकारों से गलत ड्राफ्टरों के कहने पर आप इस तरह का बिल ले आये आपको शर्म नहीं आती। वे तो आपकी अयोग्यता ताने के लिये हमेशा तैयार रहते हैं। आपको इस प्रकार की सलाह दे दी नोटिफिकेशन निकाल दो लम्पसम टैक्स ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया तो वेलीडेटिंग बिल ले आये। आप अपनी जिद्द के ऊपर तुले हुए हैं, आप इसको पोइन्ट ऑफ स्टेज बनाकर चल रहे है। यह जो लम्पसम टैक्स लेने की बात है इसको हाई कोर्ट ने रद्द करार दिया है और इसको टैक्सेशन की पॉलिसीके खिलाफ माना है तो भी आप ड्राफटर्स के गलत इशारों पर चल रहे हैं। जहां ड्राफटर्स ने आपको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न किया है वहां आप विधान सभा को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न न कीजिये। किसी से इस प्रकार के टैक्स लम्पसम के रूप में वसूल हुए हैं, आप उस फैसले के साथ मखौल कर रहे हैं।

No Judement and no deerce Will have any affect and nobody can go to a court of law ...

सारे रास्ते बन्द करते हैं अपनी एक अयोग्यता और गलत बात को ताईद करने के

(श्री मथुरेश विहारी माथुर)

लिये केवल वित्त मंत्री महोदय पांच चार लाख रुपये के लालच से कि राज्य के खजाने में थोड़ा पैसा आ जायेगा तो आप इस प्रकार से अपनी अयोग्यता बताकर इस प्रकार से रुपये निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बजट में डेफीसिट आ गया वे क्या करें। आपके बिल के ड्राफ्टर्स आपके इस रुपये निकलवाने की तहत मे आपसे वैधानिक और कानूनी गलती कराना चाहते हैं। सभानेत्री महोदया, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह बिल इस प्रकार का है कि इस पर दुबारा विचार किया जाना चाहिये और संशोधित रूप मे सदन मे आना चाहिये।

यह फाल्स प्रेस्टिज है कि आर्डिनेन्स निकाल दिया इसको पास करना होगा। सरकार जब किसी काम को जल्दी करना चाहती है गलत रूप में कराना चाहती है, वह समझती है कि सीधे तरीके से तो असेम्बली में पास नही होगा तो पहले आर्डिनेन्स निकालते हैं। अगर आर्डिनेन्स नहीं आयगा तो बिल पास नही हो सकेगा बिल पास नही होता है तो विधान सभा की और गवर्नर की तोहीन होती है। लेकिन प्रेस्टिज गिराने वाले तो ये ड्राफ्टर्स हैं सदन में चाहे जिस प्रकार का बिल रख देते हैं और आप उसको अपनी मेजोरिटी के आधार पर पास करवा लेते हैं। आज ये ड्राफ्टर्स जो बर्षों से इस कुर्सी पर बैठे हैं जिनमें अकल नही एक घन्टे के अन्दर जो बिल को ड्राफ्ट कर ले आते हैं। जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं जिन बिलों का मखौल उड रहा है। चार पांच साल से हम देख रहे हैं ऐसे ड्राफ्टर्स ही विधि विभाग में बैठे हुए हैं जिनको टेलीफोन करने के सिवाय और काम नहीं है जो मुन्सिफ या सेशन्स जज के ग्रेड के आदमी हैं वे एक घन्टे में बिल बनाकर ले आते हैं जिस पर सेक्रेटरी महोदय को दस मिनिट का भी समय विचार करने को नही मिलता।

इसके साथ साथ एक पॉइन्ट और अर्ज करना चाहता हूं। वेलिडिटिंग बिल के जरिये, अध्यक्ष महोदय, के जरिये विधान सभा में बताया गया है कि प्रेसीडेंट की सेंक्शन हो चुकी है, ३०४ डी के तहत कोर्ट का फैसला नहीं है....

श्री बालकृष्ण कौल : यह किसमें लिखा है कि कोर्ट का फैसला नहीं है ?

श्री मथुरेश बिहारी : यह तो कोर्ट का फैसला है कि धारा ३०४ के तहत प्रेसीडेन्ट की मन्जूरी होना आवश्यक है। किसी बिल को लाने के लिए सदन में आप जब तक बिल के जरिये आर्डिनेन्स बिल के अन्दर यह नहीं बतलायेंगे तब तक ३०४ के तहत यह बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। अयोग्य ड्राफ्टर्स के कहने के अनुसार कोर्ट के फैसले नहीं होते....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह ड्राफ्टरों किस भाषा का शब्द है ?

श्री मथुरेशबिहारी : ड्राफ्ट करने वाले जो आदमी हैं उनके लिए ड्राफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया है। वे आदमी कहते हैं कि इसके बारे में कोर्ट का फैसला नहीं है। ३०४

(श्री मथुरेश बिहारी)

की खाना पूर्ति हो गई प्रेसीडेंट की सेक्शन लेकर। वह मन्जूरी अपने कागजों में लेकर नहीं हो सकती सदन को बताना पड़ेगा, बिल में लिखकर देना पड़ेगा । बिना इसके वह इन्ट्रोड्यूस नही हो सकता। आपकी फाइल के अन्दर सेंक्शन लेकर चल नही सकते सलाहकारों से फिर पूछ लीजिए। आप इसको वेलिडेट करने आये हैं। प्रोसीजर के तहत आप लम्ब-सम रूप से वसूल नहीं कर सकते। आप हाईकोर्ट के फैसले को मान कहां रहे हैं उसकी तो आप एक प्रकार से तौहीन करने पर तुले हुए हैं। अवहेलना करके शीयर मजोरिटी के आधार पर गलत सलाहकारों की राय के आधार पर आप कर रहे हैं....

श्री बालकृष्ण कौल : यह आप कैसे कह रहे हैं हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि लम्ब-सम नहीं ले सकते ।

श्री मथुरेश बिहारी : टेक्सेशन की जो पॉलिसी है उसके अन्तर्गत आप लम्ब-सम वसूल नहीं कर सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप नहीं ले सकते इसके आलटरनेटिव सजेशन दिया है टैक्स होना चाहिये। वे यह नहीं कहते कि ले नहीं सकते।

श्री मथुरेश बिहारी: वोइड करार दिया है। इस करार देने की तहत में जो बिल के रीजन्स में आप लाये हैं आप उस फैसले को पढ़ कर बतलाइये। यह किसी कोर्ट का फैसला हो नहीं सकता। सदन में यह बताया नहीं जायगा। ३०४ के अन्दर इनकारपोरेट किए बिना चर्चा नहीं कर सकते। इससे भी इस पर विचार करने के लिए मेरे प्रस्ताव की ताईद होती है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसको रिड्राफ्ट करके फिर से सदन में प्रस्तुत किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : प्रस्ताव इस प्रकार है :—

राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।)

सभानेत्री महोदया, राजस्थान यात्री तथा माल कर संशोधन विधेयक जो सदन में प्रस्तुत हुआ है उसके लिए मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

सभानेत्री महोदया, यह जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है इससे पहले गवर्नर महोदय ने आर्डिनेन्स के जरिये इसको लागू करने की घोषणा की है। इसलिए राज्य सरकार के लिए यह जरूरी हो चुका है कि इस प्रथम चरण में इस बिल को विधानसभा के समक्ष लाया जाय और वहां से पास कराया जाय।

सभानेत्री महोदया, इस बिल के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ

(श्री रघुनाथ विश्नोई

बातें कही। कुछ सदस्यों ने 'यह कानून का उल्लंघन है' इस प्रकार के भी आरोप लगाये। इसके अलावा उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया कि पिछले तीन सालों तक कानून विभाग बिलकुल सोता रहा इस बात की परवाह नहीं की, सरकार को भ्रम में रखा उसके फलस्वरूप इतने अर्से के बाद यह कानून लाने की स्थिति पैदा हुई। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह माननीय सदस्यों की जानकारी में होगा और वे जानबूझकर ऐसी बातें कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा १९६२ तक यह मत प्रगट किया गया था कि ऐसे विधेयकों के लिये प्रेसीडेंट की एसेन्ट लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस चीज को लेकर पहले लॉ डिपार्टमेंट सलाह देता रहा है, हिंदुस्तान के किसी भी हाईकोर्ट ने इस प्रकार के जजमेंट के जरिये यह नहीं बताया कि ३०४ बी के अनुसार प्रीवियस सेंक्शन प्रेसीडेंट की लेने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए लॉ डिपार्टमेंट की इसमें कोई गफलत जाहिर नहीं होती है। गलती तो जब मालूम पड़ती जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इससे पहले होता, उसके डायरेक्शन होते कि असेन्ट जरूरी है और उसके बाद यदि विधि विभाग सोता रहता तो माननीय सदस्य का कहना उचित था। वरना उनकी ओपीनियन के अनुसार जो एक्ट्स पास किये गये हैं। कोई हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर नहीं पहुंचा तो इसके फलस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि लॉ क्लीयर था या लॉ की जानकारी होते हुए लॉ विभाग ने सरकार को भ्रम मे रक्खा।

इसलिए अब यह स्थिति पैदा हुई है। इस बारे मे कानून बिलकुल स्पष्ट है। १९६२ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट था कि ऐसे विधेयक के लिए प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थोड़े अर्से पहले राजस्थान हाईकोर्ट मे रिटें प्रस्तुत हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर....

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो ऐसे विधेयक के लिए प्रेसीडेंट की असेन्ट जरूरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहे हैं। असेन्ट की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खुद वकील हैं खुद को पूरा ध्यान था तो किसी भी पार्टी को लेकर हाई कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचे।

कहा गया कि लॉ विभाग सोता रहा। ऐसी बात नहीं है। हाईकोर्ट के डाइरेक्शन जारी होने के तुरन्त बाद सरकार ने देखा कि टैक्सेशन का उसका लाखों रुपया का लॉस होने वाला है तो लॉ डिपार्टमेंट ने तुरन्त कार्यवाही की और यह चीज सामने आई। तो माननीय सदस्यों का यह कहना कि लॉ विभाग अकर्मण्य होकर बैठा है, सही नहीं है। जहां कम्पलीकेटेड क्वेश्चन आफ लॉ हो और कान्स्टीट्यूशन के इन्टरप्रीटेशन का सवाल हो तो इसमें हाईकोर्ट का भी एक समय में एक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जजमेंट हो जाता है, और फिर वह भी दूसरी बार रवाइज हो जाता है। हजारों जजमेंट हैं। रिवर्स जजमेंट भी होते हैं। पर जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के साफ डाइरेक्शन होते हैं इसके बाद गफलत हो तो कहना जरूरी है। वरना ऐसे कम्पलीकेटेड क्वेश्चन पर लॉ विभाग को दोष नहीं दिया जा सकता। सरकार का लाखों रुपया बचाने के लिये यह बिल लाया गया है। इसको विरोधी पक्ष को चिंता का विषय नहीं बनाना चाहिये।

इसके विपरीत दूसरी दस बातें कही गईं कि लॉ क्लीयर है अगर क्लीयर था तो ५ साल तक ५६ के बाद आज दिन तक चुप क्यों बैठे रहे, हाई कोर्ट में जाते। पर आज तक हाई कोर्ट का रूलिंग नहीं हुआ। होता तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। और फिर जब राय हो जाती है निश्चित तो सरकार को अधिकार है अमेंडमेंटके जरिये कानून के डिफेक्ट को सुधारा जावे। अगर स्टेट का फाइनेन्स का लास होता तो उसे बचाया जाय। इसमें अनुचित बात प्रतीत नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, बिल जो ड्राफ्ट हुआ है और उसमें वेलिडेशन की सेक्शन ८ के जरिये जो फाइनेन्स से आर्डर जारी हुआ और उसको जो हाई कोर्ट के जरिये इनवेलिड करार दिये जाने की सम्भावना है तो उस हालत में इसे वेलिडेट करने के लिए उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिये इसके सिवाय कोई रेमिडी नहीं है। तो इस अमेंडमेंट के जरिये वेलिडेट किया जावे। क्लॉज ३ और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्लॉज २ दोनों जरूरी हैं।

इसके अलावा कुछ और भी डिफेक्ट जल्दबाजी में रह गया हो तो दो तीन दिन के लिये इसे सलेक्ट कमेटी के समक्ष रखा जावे यह मैं चाहता हूं ताकि इस पर और अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया जावे। मेरे ख्याल से यह उचित होगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा भी अमेंडमेंट है।

मैं तो उस पर केवल क्लैरीफिकेशन चाहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आपका अमेंडमेंट तो नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहला मेरा है, दूसरा मन्त्रीजी का है और तीसरा विश्नोई जी का है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं देखती हूं कि आपका है या नहीं। तब तक श्री ज्वालाप्रसाद जी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभानेत्री महोदया, बड़ी देर से बहस चल रही है। कुछ कानूनी बातें यहां उठाई गईं, कुछ और तरह की बातें भी कही गईं और कुछ सरकारी अफसरों की बातें भी यहां उठाई गईं।

लेकिन मैं सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसका

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इम्पलीकेशन क्या है ? इस बजट का ओर इस आर्डिनेन्स का ?

एक तरफ सदन कहता है कि सरकारी ड्यूज क्यों नहीं रिकवर हुये और दूसरी तरफ उसके लिये प्रयत्न किए जाते हैं तो दिक्कत खड़ी करते हैं इसमें मेरा ख्याल है कि दस बीस लाख नहीं तीन साल में कोई एक करोड़ रुपया के करीब बाकी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : ज्यादा है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक करोड़ रुपया तो आज जनता से वसूल किया जा चुका पर वह सरकार के पास नहीं पहुंचा । सरकार ने वसूल करने के लिए बिचौलिये जो कायम किये थे वही खाये बैठे हैं । आज उस बिचौलिये ने जिसकी इतनी मोटर की कीमत नहीं है उससे ज्यादा पैसा जनता से वसूल करके उसे लेकर घर बैठा है । आज वे कहते हैं कि यह रुपया उनसे सरकार नहीं ले सकती ।

अगर वह रुपया सरकार उनसे नहीं ले सकती तो मैं मांग करूंगा सरकार से कि यह रुपया फिर डाका डालकर जनता से उन्होने पैसे लिया । जनता ने तो सरकार को देने के लिये उनको यह रुपया दिया था । सवाल तो असल में यह है ।

इस कानून का बहाना लेकर वे बस चलाने वाले बड़े बड़े लोग जनता को लूटने की चेष्टा तो करते हैं पर उस पैसे को सरकार को लौटाने में कानून का बहाना लेकर कहते हैं कि सरकार नहीं ले सकती ।

(१२ मध्याह्न)

अब दूसरी ओर मैं सदन का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सरकार की बात नही है बल्कि जैसा श्री पटनायक साहब ने कहा कि यह डेमोक्रेसी लिम्पिग डेमोक्रेसी है । सदन के सदस्य जागरूक नही होंगे और क्लर्कों के इशारों पर असेम्बली चलाई जायेगी तब तक वह लोग जिन चीजों के अन्दर लाखों रुपये इनवाल्व्ड हैं वह इसी प्रकार की गलतियां रखेंगे और उन गलतियों को नीचे से लेकर बड़े बड़े और ईमानदारी का दावा करने वाले लोग जो ऊंघ ऊंघ कर इसके ऊपर काम करते हैं उनसे इस तरह गलतियां जानबूझ कर रखवाई जायेंगी और इस असेम्बली को जो जनता के द्वारा चुनी हुई है वह ड्यूज करेंगे । इसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब चीज के लिए जागरूक रहें और सही तौर से जनतंत्र की रक्षा करें और हम इस सब पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर करें ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह पहला ही मौका नहीं है । जितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिनमें पैसों का हिसाब कितना होता है उसमें जितने लोग देने लेने और एग्रीमेन्ट करने वाले होते हैं वह पहले मिनिस्टरों की परवाह नहीं करते । वह पहले जहां ड्राफ्ट होता है वहां की परवाह करते हैं । उसमें ३ लफ्ज इधर कर दिये और कोमा की गलती कर दी और इस सरकार की

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

लाखों रुपये की हानि करवा दी और उसमें कहीं न कहीं सुराक कर दिया। इससे ज्यादा मिशाल इस सरकार की नहीं हो सकती कि पैसेंजर्स से टैक्स वसूल कर लिया जाये और कितना ही उसका ब्याज हो सकता है और उसके बाद कलेक्ट करने वाले, अमानत में खयानत करे आगे हाई कोर्ट का सहारा लेकर जायें। इसलिए मैं इस आर्डीनेंस का पहली मर्तबा स्वागत करता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि इन सब इम्पलीकेशन्स से आप सचेत रहें। मैं कहूंगा कि सरकार के लिए यह हाई-टाइम है कि वह समझ ले कि यह कौनसी चीज है जो घुन की तरह काम कर रही है। उनको डिफेण्ड करने की कोशिश की जाती है ? आपने इस सदन में पिछली बार कहा था कि हम जनवरी में वसूल कर लेंगे। कई बार मंत्री महोदय ने कहा और उसके बाद आज यह अध्यादेश लाया जाता है। लिखा हुआ कानून आपकी डिपार्टमेन्ट नहीं लेते। उसके बाद हाई कोर्ट क्या है हम अपने गिरेबान में मुंह नहीं डालें, अपनी तरफ देखने की कोशिश न करें और हम सोचें कि सदन से चाहे जो कुछ करा लेंगे। मैं कहूंगा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल हुई। जो कानून पास हुए हैं उनका कोई नोटिस नहीं लिया गया है। हम इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं........

श्री अब्दुल जब्बार खां : यह हमें हमें से क्या मतलब है। पूरी असेम्बली के लिए कह रहे हैं या सरकार के लिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी तरफ से कह सकता हूं।

श्री अब्दुल जब्बार खां : गवर्नमेन्ट के लिए कहें। हम नहीं गवर्नमेन्ट कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खैर, जब्बार साहब को तो उल्टी सूझती है।

मैंने भी कहा है कि इसको ३ दिन के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाये। इसलिए नहीं कि इसमें कुछ खामियां हैं वह निकल जायें। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि क्या गारन्टी है कि इसमें भी कोई कौमा वगैरह की गलती नहीं रखी गई हो। फिर आप ३ साल बाद जगे हैं। यह मशीनरी जिसके ऊपर आप रिलाई करते हैं और जिसको आप मानते हैं वह बराबर उल्टे काम करती रही है। लाखों और करोड़ों रुपयों के मामलों के ऊपर क्या स्पेशल सलाह ली कि यह रुपया एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। यहां पर लॉ डिपार्टमेन्ट जितना भी खाता है इस कानून को मनवाने का उसमें सेकुना रख देता है और जिसके कारण लोग फौरन हाई कोर्ट में चले जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि हाई कोर्ट में कितने केसेज सरकार की तरफ से गये। ७० प्रतिशत केसेज के अन्दर जिनमें आपके लॉ डिपार्टमेन्ट ने राय दी उसको हाई कोर्ट ने कन्डेम किया है। अगर ऐसा होता है तो क्या जो लॉ डिपार्टमेन्ट ने राय दी है वह राय रहेगी। बल्कि मैं कहूंगा कि यदि ऐसा है कि ७० परसेन्ट केसेज गवर्नमेन्ट के खिलाफ गये हैं तो यह डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं है। यह बिलकुल

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

विभाग का निकम्मापन है। आप बराबर ७० परसेंट केसेज में हारते हैं। इस तरह के डिपार्टमेन्ट जो हमारे हिमायती बने हुए हैं उनका दस साल का रेकार्ड देख लें और उस रेकार्ड को सदन में मांगना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकार के खिलाफ कितने लोगों की डिक्री हुई और कितने हारे। अगर ७० परसेन्ट केसेज में इनकी राय को नहीं माना गया तो इस डिपार्टमेंट को को स्क्रैप कर दो। पता नहीं आपको दया किस बात की है.... ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : (अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो बैठ जाइये। आपको चोबदार भगवान कायम रखे।

तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि सारी चीजों को लें। जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, जिस जनतंत्र को हम कायम रखने के लिए कानून की बात सोचते हैं, वह हमारी कमजोरी है। यह डिपार्टमेंट चाहता था कि उसके सारे कारनामे सदन के सामने आयें। मैं फिर कहना चाहता हूं दस साल में इस सरकार के खिलाफ कितने केसेज जिनमें इस डिपार्टमेन्ट ने सलाह दी हो उनमें से कितने में सरकार हारी है और यदि ७० प्रतिशत केसेज इनकी सलाह से सरकार हाई कोर्ट में हारी है तो उसके बाद मैं मांग करता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट के ऊपर रहम नहीं किया जाना चाहिए। यह डिपार्टमेन्ट आज जनतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है उसको आप टालना चाहते हैं तो लोगों को शुबहा होता है। मैं कहता हूं कि यहां पर आप ऐसे आदमियों को लाइये, ऐसे इफीशियेन्ट आदमियों को लाइये चाहे उसमें लाखों रुपये लग जायें लेकिन वह राय अच्छी दें और ईमानदारी से राय दें। आप चाहे दस हजार रुपये दे दो लेकिन इनकी राय के ऊपर सलाह के ऊपर मत चलो। इन सलाह से हमारे करोड़ों रुपये अमानत में खयानत करने वाले और मोटर वालों को पनपाने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे हमारी रक्षा की जाये।

इसके साथ मैं और भी कहना चाहूंगा। आज एक स्थिति और भी है कि उन पूंजीपतियों के अन्दर मैं सदन को और सरकार को आज वार्निंग देता हूं कि अभी क्या षडयन्त्र होगा ? इन पैसों वालों का, इन अमानत में खयानत करने वालों का, जनता को लूटकर पैसा इकट्ठा करने वालों का जिनको आपने जमीन से उठाकर केपिटेलिस्ट बना दिया अपनी छत्रछाया में और आप कहते हैं कि यह बात नहीं है। यह तो दो नमूने निकाले हैं। अभी तो दो की बात पर चल रहे हैं दो को कर लेंगे तो तीसरे पर रिट कर लेंगे। यह सबको मालूम है आपको और आपके लोगों को। आपको मालूम नहीं है लेकिन आपके रामसिंह जी को मालूम होगा। पर सवाल यह है कि दो आखें दिखती हैं और दो के बाद पांच आंखें और बाकी हैं उनके पास में। ट्रक वालों ने अभी वह सारा उद्योग नहीं छोड़ा है हाई कोर्ट से। वह असेम्बली के साथ में खेल कर रहे हैं और खेल कर रहे हैं दिल्ली और

(ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चूहे की तरह का। खेल इसलिए कर सकते हैं कि वह समझते हैं कि कहां पानी मरता है। उसके बाद खेल करते हैं। जो दो चीजों पर अध्यादेश लाये हैं। आप तो दो का कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि वह तीसरा उठायेंगे क्योंकि मैं उनके एमाल और उनकी बातों का समझता हूं जो कि वे इस देश के अन्दर कर रहे हैं और किस तरह से वह हमको कमजोर करना चाहते हैं। उसको भी मैं समझता हूं मेरा ऐसा शुबाह है कि इसके अन्दर और तीन रिट आयेंगे। इसलिए जरूरत यह है कि इसको जल्दी में पास नहीं किया जाय। हमेशा के लिए इसके सारे दरवाजे बन्द कर दिये जायं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह दरवाजों को बन्द करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में दे और १०--२० हजार रुपये देकर कम्प्लीट लॉ तीन दिन के अन्दर दिल्ली के माने हुए एक्सपर्टस से इस पर राय लेकर इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया जाय। इसलिए मैने कहा कि एक बात नहीं है। यह कोई गारन्टी करके वह सकते हैं। आज डाक्टरों की तरह कहते हैं। अकबर की बात है कि एक बार उसने बीरबल से कहा कि कव्वे कितने हैं दिल्ली के अन्दर गिनकर बतलाओ। अब कव्वों की गिनती कैसे करें ? वह सुस्त था तो उसकी लड़की ने कहा कि आज सुस्त कैसे बैठे हो। उसने सारी बात कही तो उसने कहा कि कह दो कि ३ लाख ३६५ हैं और कहीं एक ज्यादा निकले या एक कम निकले तो कह दो कि महमानदारी के लिए चला गया होगा या बाहर से महमानदारी के लिए आ गये होंगे। उसने वैसा ही कहा आज आपकी एक राय है वही कल रहेगी इसकी क्या गारन्टी है? यह पता नहीं।

तो सभापति महोदया, मैं सरकार से कहूंगा कि अध्यादेश के लिए हम राजी नहीं हैं। हम अध्यादेश का राज्य नहीं चाहते हैं। यह जो आपका डिक्लेरेशन है तो मैं यह कहूं कि आप राज्य चलाने लायक नहीं हैं। मैं यह कहूं कि हमको कानून बनाना नहीं आता है। हम इस काबिल नहीं। इस एलान को रोकना चाहिए। जितना कम किया जाय उतना कम किया जाना चाहिए अध्यादेश के राज्य को। अगर उसको चलने देते हैं तो यह हमारे लिए गौरव की बात नहीं है बल्कि शर्म की बात है। यही एक कानून है जिसको अध्यादेश के जरिये करके करना चाहते हैं तो उसका जस्टीफिकेशन मानता हूं। इसके अन्दर बड़ी बड़ी मुर्गियां फंसी हुई हैं। एक साल तक नहीं होता रहा दो साल हो गये इकट्ठा कर रहे हैं। आज उनके पास लेने जाओ तो सब रुपया बैंक में चला गया। ब्लेक मार्केट का बड़ा डर दिखाया जाता है ब्लेक मनी इकट्ठा करने के लिए इस असेम्बली को यूज़ किया जाता है तो शर्म आती है। ब्लेक मनी उनका आप ढूंढ लें तो भी वे मस्त रहेंगे। और जगह कितना वसूल हो गया है वह आंकड़े दे सकते हैं। हमको बतलाना चाहिए कि क्या कार्यवाही हुई है? आपको आंकड़े बतलाने चाहिए कि कितना रुपया डिपाजिटेड है और किन किन लोगों में रहा है। डेमोक्रेसी मारल और हमारे आचरण से चलती है। कम से कम दुनिया के सामने, जनता के सामने इन लुटेरों के नाम तो छपवाने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहिए थे अखबारों के अन्दर मैं यह मानता हूं कि कानून नही ले सकते हैं । रुपये के लिए हाईकोर्ट में जाते हैं और वहां पर पैसेंजर चलते हैं । वहां से रिट मिल जाती है । एक आदमी यह मानता है कि यह गैर कानूनी एक्ट है और उसके बाद मे हाई कोर्ट में जाये मैं नहीं कह सकता कि उसके बाद में सरकार के नाम से लोगों का गला काटे और सरकार बैठी हुई टुकर टुकर देखा करे और कुछ नहीं कह सकती । इसलिए मैं इसका सपोर्ट करता हूं और कोई चीज है तो एमेंडमेंट ले आयें, पर इसको कम्पलीट करें और अगर इसको पास कराना है तो सम्मिलित रूप से इस बात की गारन्टी दें कि इन ६ महीनों में इन सब से पैसा वसूल कर लिया जायगा । सब पर डी० आई० आर० के मुकदमें लगाकर उनकी मोटरें, जायदाद जब्त करके पैसा वसूल कर लिया जायगा । कानून बनाया है तो पैसा उनसे लेकर सरकार के एक्सचेकर के अन्दर जमा करा दिया जायगा ।

इन्ही शब्दों के साथ रिजेन्टमेंट के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिवस में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

सभापति महोदया, जहां तक विधेयक या और अध्यादेश का प्रश्न है मैं इसकी स्प्रिट का स्वागत करता हूं । लेकिन प्रश्न पैदा यह होता है कि आज जो अध्यादेश या विधेयक इतने समय के उपरान्त लाया गया और वह राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपयों की सम्पति के साथ खिलवाड़ कर इतने विलम्ब के साथ लाया गया इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? मुझ से पूर्व वक्ताओं ने अभी इस सम्बन्ध में काफी विचार प्रकट किये हैं, मैं उनको किसी प्रकार दुबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लॉ डिपार्टमेंट अपने निकम्मेपन, अपनी निष्क्रियता से किसी प्रकार भी बरी जिम्मा नहीं हो सकता है । आज जो इतने लाखों और हजारों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट के एक्सपर्टस पर वह किस लिए ? आखिर आज कानून के अन्दर खामियां रही हैं उस खामी के लिए पूछा जाय तो कहा जाता है कि एक कानून के कई प्रकार के इन्टरप्रिटेशन होते हैं इसलिए किसी पर जिम्मेदारी नही उतारी जा सकती है । मैं सोचता हूं कि इस प्रकार से एक समय में ही ठीक प्रकार से कानून नहीं बनता है और इसमें बहुत से लूपहोल्स रखे जाते हैं जिसके कारण जो गरीब व्यक्ति नही हैं जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं है पर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूंजीपतियों की श्रेणी में आते हैं, जो भ्रष्टाचार का पोषण करते हैं, करप्शन के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं उस प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार के कानून से प्रोटेक्शन मिले तो मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा और लज्जा की बात सरकार के लिए नही होती है ।

प्रश्न इस प्रकार पैदा होता है कि जैसा अभी बांदीकुई से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो आज तक वसूल नही किया गया है, जो लम्पसम में वसूल किया जाय तो वह गैरकानूनी होगा । मैं इस सब से मतभेद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रश्न पर नसीराबाद से रखता हूं । मैं इस आने वाले माननीय सदस्य को अपना समर्थन देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार का गाड़ी का मालिक नहीं है जिसने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के उपरान्त पैसेन्जर टैक्स लेना बन्द कर दिया हो। हाई कोर्ट से स्टे आगया उसके बाद भी सारी गाड़ी के मालिकों ने पेसेन्जर टेक्स वसूल किया है और थोडा बहुत नहीं यहां तक दृष्टान्त है कि एक एक मोटर मालिक ने एक महीने में पैसेन्जर टैक्स १५-१५, २०-२० हजार रुपये वसूल किये हैं। लेकिन यह १५-२० हजार रुपये उनके पास में अमानत मे रखे हुए है। हाई कोर्ट का स्टे आजाता है लेकिन सरकार आंख और कान बन्द करके चुपचाप बैठी है। गाड़ी के मालिकों १५-२० हजार रुपया एक एक महीने में पैसेन्जर टैक्स का वसूल किया जिसको कि वसूल नहीं करना चाहते लेकिन उस पैसे को अपनी बैंकों में रखा है और सरकार चुप रही हैं। राजस्थान सरकार को इतनी चिन्ता नहीं है कि अगर कोई कानून की अड़चन है तो राजस्थान के रहने वाले राहगीरों को राहत दी जाय और इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाय कि जब तक इस सम्बन्ध में निर्णय कम्पलीट न हो जाय तब तक राजस्थान सरकार अपना स्पष्ट मत जाहिर नहीं कर दे किसी प्रकार का मुसाफिरों से पैसेन्जर टेक्स वसूल नहीं होगा। इस प्रकार का कोई आदेश या नोटि फिकेशन जारी नहीं किया गया।

और इस हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की आड में और राजस्थान सरकार के संरक्षण में, लॉ डिपार्टमेन्ट के संरक्षण में पूंजीपतियों ने जो टैक्स पैसेन्जर्स से वसूल किया उस पर मुनाफा कमाया और हजारों रुपयों का ब्याज कमाया और ब्याज का नुकसान सरकार का हुआ उसको कौन देगा ? आज हजारों रुपयों के ब्याज का नुकसान राजस्थान सरकार को हो रहा है उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? लॉ डिपार्टमेन्ट या विधि विभाग इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार और लॉ डिपार्टमेन्ट का जिसने मोटर मालिकों को संरक्षण दिया है। जबसे पिछला नया चुनाव हुआ है तब से आज तक प्रत्येक सेशन में समय समय पर इस संबंध में प्रश्न रखे हैं और मंत्रियों से उत्तर यह मिलता रहा है कि वे जागरूक हैं पैसेन्जर टैक्स वसूल करने में तत्परता दिखा रहे हैं लेकिन वसूली कुछ नहीं होती।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कंपनी में २ लाख रुपयों के राज्य सरकार के शेयर हैं। पिछले सत्र में मंत्रीजी ने कहा था कि डाइरेक्टर की नियुक्ति की जायगी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक नियुक्ति नहीं की गई। आज तक दो लाख के शेयर पड़े हैं लेकिन राजस्थान सरकार या वित्त मंत्री ने डाइरेक्टर की नियुक्ति नहीं की और सरकार का कोई नुमामन्दा वहां नहीं है और कोटा ट्रान्सपोर्ट वाले शेयर होल्डर्स के पैसों से खिलवाड़ करना चाहते हैं।

कहने को कहते हैं कि हम संरक्षण नहीं देते लेकिन जब यहां पर नाथद्वारा के माननीय सदस्य ने प्रश्न छेड़ा तो मंत्री बौखला गये। बौखलाहट का प्रश्न नहीं है, संरक्षण दिया जाता है। कोटा ट्रान्सपोर्ट में दो लाख की

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बकाया है । पिछले सत्र में भी यह प्रश्न आया था तब कहा कि वसूली की जा रही है लेकिन जिस नाटकीय ढंग से वसूली की जा रही है उसे देख कर मुझे ताज्जुब होता है । यदि किसी किसान में १००) भी बकाया रह जाते हैं तो उसके कपड़ें बेच दिये जाते है, उसका सामान कुर्क किया जाता है । वाह रे समाजवादी सरकार जो किसानों को बर्बाद करने को तैयार होती है और पूंजीपतियों में, मोटरमालिकों में हजारों ही नहीं, लाखों रुपये बकाया हैं उनको वसूल करने का कदम नहीं उठाती है । कोटा ट्रान्सपोर्ट में वसूली करने के लिये कभी एक गाड़ी कुर्क की गई, कभी दो कुर्क की गई लेकिन नीलाम कोई नहीं की गई । उनको पूरा मौका दिया, गैर कानूनी शरण लें, हाई कोर्ट में जायें । तसल्ली से इन्तजार किया गया । वह पैसा, लाखों रुपये खजाने में आने चाहिये थे वे रुक गये । हाई कोर्ट ने स्टे देकर रोक दिया । क्या राजस्थान सरकार एक कानून की आड लेकर दूसरे कानून से गरीबों और किसानों से वसूली नहीं करती है तो फिर मोटर मालिक से हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले वसूली क्यों नहीं की गई ? गरीब और मालदार में इस दृष्टि से अंतर क्यों रखा गया ?

कोटा में कुछ थड़ीवाले थे जो थड़ियों में सामान रख कर बेच कर उससे अपना गुजारा चलाते थे । जब मंडी कमेटी ने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने अपने बचाव के लिये अदालत मुंसफी में दावा किया । उनको मुगालता था कि न्यायालय में शरण ले चुके हैं इसलिये अब कोई खतरा नहीं है । लेकिन राजस्थान सरकार ने उन थड़ीवालों को हटाने का दूसरा रास्ता अपनाया । जो लोग चाय और पान बेच कर अपना पेट भरते थे उन्होंने मंडी कमेटी के खिलाफ अदालत में दावा किया था और मंडी कमेटी पर स्टे कोर्ट ने दिया था इसलिये कलेक्टर ने दूसरा रास्ता निकाला और उनको बेदखल करके बर्बाद कर दिया । इस तरह का रास्ता अपनाया जाता है गरीबों के लिये लेकिन मोटर मालिकों और पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जाता है ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार मोटर मालिकों और पूंजीपतियों को संरक्षण देती है, क्योंकि वे चुनाव के समय काम आते हैं, उनकी मोटरें काम आती हैं इसकी आड़ में वे जो गड़बड़ घोटाले करते हैं, उस पूंजी से मकान और जायदाद बनाते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता और कानून की आड ली जाती है ।

साथ में ताज्जुब की बात यह है कि कहा जाता है कि हमने एडवोकेट जनरल को यह मामला दिया है लेकिन सवाल उठता है कि ये एडवोकेट जनरल कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, क्या उनकी कोई मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी चलती है, क्या कमल एण्ड कम्पनी उनकी है ? आज राजस्थान सरकार को इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि वह कानूनी दृष्टि से किसको संरक्षण दे रही है, कौन वकील बन रहा है, उसका इन्टेरेस्ट इस मुकदमे में कहां तक है, इस बात की राजस्थान सरकार को कोई चिन्ता नहीं है ।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जिस मामले का सम्बन्ध फाइनेन्स से है वह मामला वह उस व्यक्ति को सौंपती है जिसकी खुद की कमल एण्ड कम्पनी मौजूद है। लोगों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि by this way or that way दूसरी स्थिति पैदा न हो जाय। कहीं ऐसा न हो कि लॉ डिपार्टमेन्ट भी षड़यन्त्र का साथ दे।

मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करने में जल्दबाजी न करके थोड़े समय के लिये दुबारा सिलेक्टकमेटी को सुपुर्द किया जाय जो लीगल दृष्टि से देख कर दुबारा सदन के सामने रखे। इसलिये मैं समझता हूं सदन ऐसे विधेयक का स्वागत करेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपके अनुसार कमल एण्ड कम्पनी में एडवोकेट जनरल के शेयर हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदया ...

श्रीमती सभानेत्री : मंत्रीजी को उत्तर देने दें।

श्री बालकृष्ण कौल : I will like to put this before the Select Committe so let them Speak.

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रवर समिति में भेजने का प्रपोजल एक्सेप्ट करने को तैयार हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप उत्तर कितने समय बाद देना पसन्द करेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझे ५ मिनट का समय दे दीजिए।

श्रीमती सभानेत्री : आप प्रारम्भ करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदया, आज यह बिल हाउस में आया है इसको देख कर बहुत बड़ी खुशी हुई। कई माननीय सदस्यों ने इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का कहा लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। इस बिल का इसलिए स्वागत करता हूं कि राजस्थान में कानून १७६ एम. एल. एज. यहां पर बैठ कर बनाते हैं और बिल पेश होने के बाद कभी कभी सलेक्ट कमेटी में जाता है और उसमें जो कमियां होती हैं उनको ठीक किया जाता है। लॉ डिपार्टमेंट के अफसर भी यहां पर मौजूद रहते हैं और विधान सभा के सदस्यों के द्वारा बहस होकर बिल पास किया जाता है और उसके बाद एक्ट बनता है। यदि इसमें कोई गलती रह जाती है, इस पर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो वह अफसरों के साथ साथ अपनी भी गलती माननी चाहिये, मैं यह मानकर चलता हूं। इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो लोग हाईकोर्ट में जाते हैं। राजस्थान सरकार टैक्स के लिए जो कानून बनाती हैं, वह टैक्स देना चाहिये यह मैं मानने को तैयार हूं और जनता भी टैक्स देने को तैयार है। लेकिन टैक्स का पैसा बड़े लोगों में बकाया रह जाता है और अफसर तथा मन्त्री लोग इस बात को देखते रहते हैं। यह धीरे धीरे

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बढ़ कर दस, बीस हजार ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या तक पहुंच जाता है। यह क्यों रह जाता है? फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता रहता है? प्लानिंगवाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि ये प्लानिंगवाले क्या करते रहते हैं, वे क्या प्लानिंग करते हैं जबकि उनको यह भी पता नहीं कि टैक्स लगाया वह आया या नहीं? फिर प्लानिंग मिनिस्टर क्यों रखा है उसको हटा देना चाहिए।

वह हटा देना चाहिए क्योंकि कम से कम पांच लाख या दस लाख उस डिपार्टमेंट पर खर्चा होता है और उस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फाइनेन्स डिपार्टमेंट पर दस लाख या बीस लाख का सालाना का खर्चा है। इसकी भी क्या जरूरत है जब कि उसके अधिकारी आंख मीच कर बैठे रहते हैं दफ्तर के अन्दर और दूसरे टैक्स लगा देते हैं? और जो टैक्स वसूल कर लेते हैं मोटर मालिकों से। दूसरे यह मोटर मालिकों पर टैक्स लगाने की बात ही नहीं है। माननीय सभापतिजी, कम से कम करोड़ों की तादाद में लोगों पर रुपया बाकी है। बहुत से लोगों ने अनाऑथॅराइज्ड काम कर लिये हैं, जैसे एग्रीकल्चर की भूमि पर लोगों ने इन्डस्ट्री लगा ली है और दूसरे दूसरे काम कर लिये हैं लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट सोये हुए हैं। इस तरह लाखों और करोड़ों रुपया बाकी है। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल खोलने के लिए पैसा नहीं है, लोन देने के लिए पैसा नहीं है और दूसरे लोगों से पैसा मांगती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने यहां पर शपथ खाई थी कि गांधीवाद और समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप ईमानदारी और सच्चाई से काम नहीं करते हैं तो आपको असेम्बली की सीट छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको इतने आदमियों के साथ विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार का यदि पांच सौ रुपये का भी नुकसान होता है तो मेरी आत्मा को दुःख पहुंचता है। भले ही दबाव डालने से मैं ढीला पड़ जाऊंगा; नहीं तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का पांच सौ रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह हमारे खून की कमाई का पैसा है। भले ही राजस्थान सरकार के अन्दर बैठनेवाले जो लोग हैं वह उस पैसे को पैसा न समझें। लेकिन वह हमारा पैसा है, यह हमारी सरकार है और वह पैसा हमने इस सरकार को दिया है जो हमारे खून की कमाई का पैसा है। जो सरकार के अन्दर बैठते हैं उनको उस पैसे को खर्च करते समय यह सोचना चाहिए कि पैसा सावधानी के साथ खर्च होता है। लेकिन सरकार के अन्दर बैठ कर वे उस पैसे का हर तरह से दुरुपयोग करते हैं और अच्छी तरह से पैसों को काम में नहीं लाते हैं, जनता की भलाई के कामों में काम नहीं लाते हैं। फिर आप कहते हैं कि समाजवाद लायेंगे। आप समाजवाद क्या लायेंगे? गांधीजी जिस दिन मर गये थे उस दिन ही आपने समाजवाद को खत्म कर दिया था। आप लोग गांधीजी का नाम लेते हैं लेकिन आज जो राज्य है उसको मैं गांधीवाद

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

नहीं कहता हूं बल्कि शहंशाही राज्य कह सकता हूं....

श्री विजयसिंह झाला : Very good.

श्री मुक्तिलाल मोदी : जैसा राजाओं के वक्त में होता था उसी तरह कांग्रेस की हुकूमत में होता है। पहले टैक्स वसूल किया जाता था और राजा लोग शराब पीते थे ....

श्री विजयसिंह झाला : आपका मतलब है कि उसी तरह आज भी शराब पीते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कौल साहब से मतलब नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पीने वाले रोज पीते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं एम. एल.-ए. बन गया, मुझे क्या परवाह, मैं कांग्रेस का एम. एल. ए. हूं--इस तरह से एम. एल. ए. को नहीं सोचना चाहिए। आज जो टैक्स वसूल किया जाता है जनता से तो जो आप और हम लोग चुन कर आते हैं अलग अलग इलाकों से, एक लाख के प्रतिनिधि बन कर आते हैं तो क्या अगर यह गलती करते हैं तो आप भी गलती करेंगे ? आपको यह पूछना चाहिए कि असेम्बली में तीन वर्ष, चार वर्ष पहले जो कानून बनता है, उसके तहत इतना रुपया बाकी कैसे है ? आप तीन चार साल बाद क्यों ला रहे हैं, तीन वर्ष पहले क्या हो गया था ?

दूसरे यह है, सभापतिजी, जो डाका डालते हैं उनको पकड़ते हैं, चोरी करने वाले को पकड़ते हैं, लेकिन जो टैक्स वसूल किया है वह चोरी में शामिल होता है वह डाके में शामिल होता है। तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ सकते जो सरकार में बैठे हैं ? हाईकोर्ट से एक फैसला आ गया, ठीक है। लेकिन कानून के अलावा आप पैसा वसूल करते हैं, वह चोरी है। जैसे. मैं हूं, मेरी जेब में पांच रुपये हैं। बाहर जाकर मुझे लोग पकड़ लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। इसी तरह से यह पैसा जनता से वसूल किया गया है उसके लिए डिपार्टमेंट क्या करता है ? उसका फर्ज था, फाइनेन्स डिपार्टमेंट को यह चाहिए था कि वह होम डिपार्टमेंट को लिखता कि इन इन लोगों ने गलत पैसा वसूल किया है इसलिए इनको गिरफ्तार करना चाहिए था और जेल में भेज देना चाहिए था। हाईकोर्ट से फैसला हो जाने के बाद भी....

श्री बालकृष्ण कौल : पावर दे दीजिये वह भी कर देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप टैक्स लगायें। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। परन्तु आप जनता को सुविधा दीजिए, एजूकेशन की सुविधा बढाइये, मेडीकल की सुविधा बढ़ाइये तब तो आपकी सरकार की उन्नति होगी, नहीं तो टैक्स आप लगाइये और मोटे पेट वालों पर टैक्स लगा कर छोड़ दीजिये और दूसरों पर टैक्स छोड़ दीजिये। तो जो टैक्स आप वसूल करेंगे उससे फायदा नहीं होगा। फिर ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी ? ठीक है, आपको थोड़ी बदनामी हो गई है और थोड़ी और हो जायगी। फिर भी मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि दूसरे लोगों को यहां बैठ कर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

क्यों बदनाम करते हैं । इससे तो आप हट जायें तो अच्छा है ।

एक माननीय सदस्य : अच्छे अच्छे लोग इधर आ जायें ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मान्धाता सिंह !

श्री मान्धातासिंह (महुआ) : सभातिपजी, इस कानून के समर्थकों ने मुख्य कारण यह बतलाया है कि जितना टैक्स वसूल हो गया है वह वापिस लोगों को देना पड़ेगा यदि वेलीडेशन बिल नहीं लाया गया । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि किसकी गलती से यह कानून गलत बनाया गया और तीन साल तक किसकी गलती से चलता रहा ? यह मंत्रियों की या कानूनी राय देने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी गलती से हुआ है । इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा । अतः यह नुकसान उनसे ही वसूल होना चाहिए जिनकी गलती से यह कानून गलत बना । लेकिन अफसोस यह है कि लॉ सैक्रेट्री उदयपुर से आते हैं लिहाजा किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उन पर किसी प्रकार से हाथ डाला जाय या उन पर जिम्मेदारी ठहरावें ।

श्री बालकृष्ण कौल : होम सेक्रेट्री से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री मान्धातासिंह : लॉ सैक्रेट्री ।

दूसरा अर्ज करना है कि हर डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ (Rule of law Supreme) सुप्रीम होता है । जब हाई कोर्ट ने किसी कानून को अवैध करार दिया है तो अमेंडमेंट और वेलीडेशन बिल के द्वारा उसे वेलीडेट करना कहां तक मुनासिब है ? हाई कोर्ट एक सुप्रीम बोडी है और डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ रहता है मैं समझता हूं कि इस तरह के Validation बिल लाकर कानून का मखौल करना है । law का एक Maxim और है "Ignorania legis non exausat" (Ignorance of Law is no excuse) जब कानून बनाने वालों को खुद भी कानून मालूम नहीं था तो उनकी जो गलती है इसको दर गुजर नही किया जा सकता । ऐसीसूरत में उन लोगों की गलती के कारण सरकार को खामियाजा उठाना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि उस गलती को एक वेलीडेशन बिल के द्वारा सही किया जाता है यह कानून के साथ मखौल किया जाता है ।

एक पोइन्ट और अर्ज करना चाहता हूं कि लम्प-सम पेमेन्ट (Lum sum payment) को वेलीडेट करने के लिए यह बिल लाया गया है । जब पैसेन्जर टैक्स हमेशा वसूल नहीं होता है तब लमसम में पेमेन्ट करना पड़ता है । यह पूर्व वक्ताओं ने इस सदन के सामने रखा कि जो पैसेन्जर टैक्स नहीं देने वाले, जिन लोगों में बकाया है वह उस प्रदेश के हैं जहां से हमारे मुख्य मंत्री आते हैं, कोई उनके रिस्तेदार हैं अतः उनसे वसूली नहीं की जा रही है । इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं पैसेन्जर टैक्स इवेड करने वाले कई सरकारी मुलाजिम भी हैं । आम तौर पर पुलिस के ऑफिसर्स बसों

(श्री मान्धातासिंह)

में बगैर टिकट लिये चलते हैं। जब कानून की रक्षा करने वाले, जो हैंड्स ग्राफ लॉ कहलाते हैं कानून का पालन नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे पालन करेंगे ? कई उदाहरण आये हैं, जब सरकारी मुलाजिम बगैर टिकट लिये पकड़े गये हैं। उनसे पूछा जाता है तो जवाब आता है कि उनका प्राइवेट सम्बन्ध है मोटर मालिकों से इस कारण वे बगैर टिकट लिये चल सकते हैं। यह मान भी लिया जाय कि उनके पर्सनल ताल्लुकात मोटर मालिकों से हैं लेकिन फिर भी वे पैसेन्जर टैक्स को इवेड नहीं कर सकते। वह देना उनको लाजिमी है। मैं इस विषय में केवल एक उदाहरण दूंगा। आज से करीब तीन साल पहले सीकर जिले में एक इन्सपेक्टर पुलिस को बगैर टिकट के पकड़ा गया था। पकड़ने वाले वहां के एस. पी. और एस. डी. एम. थे। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके। उसका कारण यह था कि वह इन्सपेक्टर तत्कालीन राजस्व मंत्री का मर्जीदान था। उसके विषय में इस विधान सभा में इस सदन के फ्लोर पर सवाल उठाया गया लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ और मामले पर लीपापोती कर दी गई। जब एस. पी. व एस. डी. एम. एक इन्सपेक्टर को बगैर टिकट के पकड़ लेते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कानून की रक्षा होगी ? वे इस समय मंत्री नहीं हैं मगर दुबारा ऐसे रिश्वत खोरों को पनाह देने वाले मंत्रीजी को सदन में लाने की चेष्टा की जा रही है। यह कहां तक वाजिब है ? यही मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।"

इस विधेयक को हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिया गया है, उसको वैध करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार ने यह टैक्स लगाया और हमारे उच्च न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया....

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसको इस दृष्टि से कि फाइनेन्स मिनिस्टर सिलेक्ट कमेटी मे ले जा रहे हैं तो मुझे इस पर ज्यादा नहीं कहना है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस बात पर विचार करना चाहिये कि वास्तव में जिन लोगों से इस समय टैक्स वसूल नहीं किया उनसे यह टैक्स वसूल किया जावे। इनकी सारी बातों पर विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी मे भेजा जावे।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभानेत्रीजी, इसके तहत अभी अभी प्रस्तावों

(श्री बालकृष्ण कौल)

से इस बिल के काफी अहमियत के सवालों पर कुछ माननीय सदस्यों ने मेरी तवज्जो ऐसे मुद्दों पर दिलाई कि जिसके लिए मैं समझता हूं कि उनके सुझावों की कदर करते हुए यह बिल जो है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे। इसलिए रघुनाथजी का जो एक अमेंडमेंट है इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे, मैं उनको स्वीकार करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट गम्भीर मुद्दों पर गौर करने के बाद आवेगी जिनकी तवज्जो इस हाउस के सामने माननीय सदस्यों ने रखी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव इस सदन में पेश हुए हैं आर्डिनेन्स की मुखालफत में, उनको वे माननीय सदस्य जिन्होंने सदन में रखे हैं उनको वापिस ले लेंगे, क्योंकि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है वह काफी इसी प्रकार से इसमें अभी अपनी राय रखना चाहते हैं उस वक्त रख सकते हैं। माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे हैं वे वापिस ले लेते हैं तो हमारी तरफ से आसानी हो जाती है, नहीं तो हमें वोट डाउन करना पड़ेगा। आपकी भावना की सरकारने कदर की है। मुझे आशा है कि आप भी सरकार की भावना की कदर करते हुए अपने २ प्रस्ताव वापिस ले लेंगे?

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने प्रस्ताव वापिस लेते हैं?

प्रश्न यह है....

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न है स्पष्टीकरण के लिये। स्पष्टीकरण के बाद हम वापिस ले लें।

बकायात हमारे वित्त मन्त्री इसलिये वसूल नहीं करते हैं क्योंकि वे पुलिस के पॉवर्स चाहते हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह जाहिर कर देना चाहता हूं कि जिनमें बकायात हैं वे वसूल हो रही हैं। हम कोई कायदे कानून इस्तेमाल नहीं कर सकते जो पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है। हमें तो एटेचमेंट से वसूल करा सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि जितना रुपया हमारा है वह वसूल हो। हमारा तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है और हम एक एक पैसा वसूल करना चाहते हैं और हमने किया है और करना पड़ता है। अगर हम अटेचमेंट करके रख दें तो हमारा रुपया डूब जावेगा। क्योंकि यदि एक लोरी है वह बिक जावेगी तो उससे हमारी पूरी रकम वसूल नहीं होगी और हमारा ८० हजार रुपया उसमें बकाया है। वह डूब जावेगा।

श्री अब्दुल जब्बार : उनसे भी उसी तरह से वसूल किया जाए जबकि आप किसानों से जिस तरह से रकाबी होती है उसकी वसूली करने के लिये उसके बैल तक सरकार ले जाती है। आप यह तो देखिये। आप कहते हैं कि कॉमर्शियल बेसिस पर चलते हैं। They should not be left at the mercy of the Government.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह कहूंगा कि कोई आदमी ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें बकायात थी और उससे वसूल हमने नहीं किया

(श्री बालकृष्ण कौल)

हो। जैसे तैसे हो सका वसूल किया है। इसलिये हो सकता हैं कि किसी में ८० हजार की बकाया थी और वह ८० हजार की वसूली हो सकती है नहीं हुई। उसमें से २५ हजार वसूल हो गये तो हमने एटेचमेंट को आयन्दा के लिये रोक दिया है। ऐसी कोई मिसाल हो कि जिनकी वसूली नहीं हुई हो तो आप बतायेंगे, मैं देखूंगा और जिसकी ओर आपने इशारा किया है उसको भी मैं देखूंगा। उससे भी वसूली हुई है। मगर आपके तसल्लीबख्श नहीं हुई हो।

श्री विजयसिंह झाला : आपने प्रोमिज किया था सदन में। उसके बाद में कितनी वसूली की और कितनी बाकी है और कितनी छोड़ी गई है?

श्री बालकृष्ण कौल : आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। मेरी जितनी याददाश्ती है उस पर बता देता हूं। आपने कांकरोली का जिक्र किया....

श्री विजयसिंह झाला : आप सुखाड़िया साहब के साले की बताइये?

श्री बालकृष्ण कौल : कांकरोली का तो पूरा पूरा वसूल हो गया।

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो एक व्यक्ति का पूंछना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब के साले में कितनी बाकी थी, गुलामबख्श की कितनी बाकी थी, अजन्ता होटल, चौधरी बस सर्विस की कितनी बाकी है, यह आप बता दें?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न आप प्रश्न के द्वारा करते तो मैं एक एक फैक्ट आपको बता सकता था। यह जनरल डिबेट है इसमें इसको पूछना, मैं समझता हूं कि जनरल डिबेट में रेलेवेन्ट नहीं है। आप प्रश्न में इसको पूछते। मैं आपको बताता....

श्री विजयसिंह झाला : आप कहते हैं कि यह रेलेवेन्ट नहीं है। यह इसलिए रेलेवेन्ट नहीं है कि वह राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का साला है। यह बिल ही बकायात की वसूली के बारे में है और इसके लिये आप कहते हैं कि यह रेलेवेन्ट नहीं है। आप यह कहें कि आपको पूरे पावर्स नहीं हैं। आपको सदन पूरे पॉवर्स देने के लिए तैयार है। पॉवर्स को यूज करने में आपने एक प्रकार की उदातार दिखाई है, रिश्तेदारी के कारण।

अधिक पॉवर्स मिल जावें तो भविष्य में उदारता नहीं दिखायेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इस रिश्तेदारी को नहीं जानता कि किसकी किससे है।

(श्री विजयसिंह झाला बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : आप इन्हें बोलने दें।

श्री विजयसिंह झाला : सुखाड़िया साहब की।

श्री बालकृष्ण कौल : इस रिश्तेदारी का मुझ पर क्या असर है?

श्री विजयसिंह झाला : आप बकाया वसूल नहीं कर सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : जितनी रिश्तेदारी का असर आप पर है उतना ही उनकी रिश्तेदारी का मुझ पर है।

अगर माननीय सदस्य और रिश्तेदारी कायम करना चाहते हों तो फिर अलग बात है।

(शोरगुल)

इसलिए मैं प्रस्ताव कर चुका हूं कि यह बिल जो है इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो स्टेचुटरी संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

श्री विजयसिंह झाला : जनमत जानने के लिए इस बिल को प्रसारित करने का मेरा प्रस्ताव मैं वापिस लेना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्रीमती सभानेत्री : क्या हाउस माननीय सदस्य को उनका प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करता है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विजयसिंह झाला :

I withdraw my motion

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि दी राजस्थान पैसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट एण्ड वेलिडेशन) बिल, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

(विराम

प्रवरसमिति के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

१. श्री बालकृष्ण कौल — चेयरमैन
२. श्री परसराम मदेरणा — सदस्य
३. श्री रघुनाथ बिश्नोई — ,,
४. श्री गिरधारीलाल व्यास — ,,
५. श्री गोविंदसिंह — ,,
६. श्री मोहनराज जैन — ,,
७. श्री मथुरेशबिहारी माथुर — ,,
८. श्री विजयसिंह झाला — ,,
९. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा — ,,

(श्रीमती सभानेत्री)

१०. श्री रामकिशन	सदस्य	
११. श्री केदारनाथ	,,	
१२. श्री बालचन्द डागा	,,	
१३ श्री चतुर्भुज उपाध्याय	,,	
१४. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा	,,	
१५. श्रीसम्पत्तिलाल बोहरा	,,	

रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश की जाय।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर १२.५४ बजे, शुक्रवार दिनांक ७ अगस्त, १६६४ प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर देखिये)

मालवी नस्ल पाई जानेवाली तहसीलों के नाम

जिला	तहसील
कोटा—	चेचट, कानवास, रामगन्जमन्डी, सांगोद, बरोद, देगोद, ईटाव लाड़पुरा, पीपलादा, अन्ता, बारां, किशनगन्ज, मांगरोल, शाहबाद, अटरू, छबड़ा और छिपाबड़ोद ।
बून्दी—	बून्दी, केशवरायपाटन, तालेरा और नैनवा ।
झालावाड़—	अकलेरा, बकानी, खानपुर, मनोहरथाना, डग, गणाधर, झालरापाटन, पचपहार और पिडावा ।
उदयपुर—	देवगढ़, कोटड़ा, फलासिया, आमेट, कुम्भलगढ़ रेलमगरा, राजसमन्द, खेरवाड़ा, सलुम्बर, गिरवा, गोगून्दा, नाथद्वारा, लसाडिया, मावली और वल्लभनगर ।
डूंगरपुर—	आसपुर, डूंगरपुर और सागवाड़ा ।
बांसवाड़ा—	गाढी, बांसवाड़ा, घाटोल, बागीदोरा और कुशलगढ़ ।
भीलवाडा—	भीलवाड़ा, सहारा, रायपुर, कोटड़ी और मांडलगढ़ ।
चित्तौड़गढ़—	बेगून, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, गंगरार, कपासन, राशमी, बड़ीसादड़ी, भदेसर, छोटी सादड़ी, डूंगला, कनेरा, अचनेरा, प्रतापगढ़ और भोपालसागर ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर देखिए)

सन्	........सूची........
१. १९५९-६०	३८६
२. १९६०-६१	४०८
३. १९६१-६२	१४५२
४. १९६२-६३	२६८८
५. १९६३-६४	२१६७

———

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकनेवाले
तारांकित प्रश्नोत्तर)

वार प्रिजनर्स व वार हॉस्पिटल्स का प्रबन्ध

८१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान बनने से पूर्व राजस्थान में वार प्रिजनर्स व वार हॉस्पिटल्स का प्रबन्ध कहां कहां था ?

(२) क्यों इस प्रकार का प्रबन्ध राज्य सरकार ने अब भी कहीं किया है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(३) क्या इस प्रकार का कोई प्रबन्ध बीकानेर में भी करने का निर्णय किया गया है ताकि मेडिकल कॉलेज के छात्रों व वहां के चिकित्सकों को सेवा व अनुभव का लाभ हो सके ?

उत्तर

(१) राजस्थान बनने से पूर्व बीकानेर में वार हॉस्पिटल का प्रबन्ध था।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चीरावा गांव में तालाब निर्माण से सड़कों को क्षति

८२. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)--क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र, उदयपुर डिविजन में चीरावा गांव में अभी २ जो तालाब बनाया गया है उसके कारण गांव वालों का आने जाने का रास्ता टूट कर बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई दूसरा रास्ता बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता ।

दौलत सागर सिंचाई योजना का ठेका

८३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दौलतसागर सिंचाई योजना के काम का ठेका श्री ओमप्रकाश पाठक को सन् ६२ में दिया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार 'सी' क्लास का ठेकेदार है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कार्य सिर्फ 'ए' क्लास ठेकेदार को ही दिया जा सकता था ?

(घ) क्या यह सही है कि इस ठेकेदार ने ठेका मंजूर होने से पूर्व अर्नेस्ट मनी की रकम जमा नहीं कराई ? यदि हां, तो क्यों ? अर्नेस्ट मनी की रकम किस समय जमा होनी चाहिये थी और किस समय जमा कराई गई ?

(ङ) ठेकेदार की फाइनेन्शिल पोजीशन का वेरिफिकेशन किस प्रकार किया गया ?

उत्तर

(क) जी नहीं ।

(ख) विभाग को इसकी जानकारी नहीं।

(ग) जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है।

(घ) उपयुक्त उत्तर (क) के आधार पर इसका प्रश्न नहीं उठता । वैसे नियम के अनुसार अर्नेस्ट मनी टेन्डर देने से पहले जमा करानी होती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि की सीमा का निर्धारण—गंगानगर

८४. श्री केदारनाथ (गंगानगर)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) गंगानगर जिले में २५, ३५ व ३६ एकड़ (एरिया) भूमि की सीमा किस उसूल पर निर्धारित की गई है ?

(२) क्या इस सीमा में ३०० मन गेहूं पैदा हो सकता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(१) गंगानगर ज़िले में २५, ३५ व ३६ एकड़ भूमि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। गंगानगर जिले में राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, १९५५ की धारा ३० ग के उसूल पर नहरी क्षेत्र में नहरी पीवल : गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल, भाखरा, योजना तथा घग्घर नाली द्वारा सिंचित नहरी क्षेत्र : भूमि की सीमा २६, ३५, ३६ एवं ४३ एकड़ निर्धारित की गई है।

उपरोक्त चार सीलिंग ग्रुपों में से प्रत्येक में ऐसे नहरी क्षेत्रों के लिए जिनमें एक मर्त्तबा पानी दिया जाता है अलग अलग सीलिंग नियत की गई है जो क्रमानुसार ४३, ५२, ५६ तथा ६५ एकड़ है।

(२) जी हां, गंगानगर जिले की रेन्ट रेट रिपोर्ट सन् १९४६ के अनुसार नहरी भूमि की पैदावार प्रति बीघा गेहूं ३२० सेर या १२ मन, ३२ सेर प्रति एकड़ है।

पटेलों व नम्बरदारों को रसूम पटेलाई का भुगतान

८५. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा के कई पटेलों या नम्बरदारों को उनकी रसूम पटेलाई काफी अर्से से नहीं मिल रही है ?

(२) पिड़ावा तहसील के समस्त पटेलों या नम्बरदारों को उनकी रसूम पटेलाई कब तक मिल जावेगी ?

उत्तर

(१) तहसील पिडावा के रसूमी मंजूर शुदा पटेलों को रसूम पटेलाई बराबर दी जा रही है और पटेलाई समाप्त होने से पूर्व रकम मंजूरशुदा रसूमी पटेलों को दिलाई जा चुकी है।

(२) मंजूर शुदा रसूमी पटेलों की कोई रसूम पटेलाई उनको देने से बाकी नहीं है इसलिए अब दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

राइफल प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यय

८६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)--क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ६२-६३ में १७६ राइफल केन्द्रों पर केवल १२०० प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

(२) क्या इस संख्या में वृद्धि किया जाना सम्भव था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(३) इन राइफल केन्द्रों पर कुल कितना खर्चा आया ?

उत्तर

(१) जी नहीं। १९६२-६३ में इन केन्द्रों पर ८५८० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) इन केन्द्रों पर उक्त अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों से ३) रु० फीस के वसूल किये जाते थे। जिससे कारतूस इत्यादि उपलब्ध किये जाते थे। राइफलें तथा प्रशिक्षक पुलिस विभाग से उपलब्ध किये जाते थे, अतः ऐसा कोई अतिरिक्त खर्चा इस ट्रेनिंग पर नहीं हुआ।

पुलिस कान्सटेबिलों तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों को वर्दी का वितरण

८७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Home be pleased to reply:—

(1) How many sets of cotton and woollen uniforms are required to be issued to police constables and other Police Staff according to rules every year ?

(2) Is it a fact that Policemen ara not issued requisite number of uniforms as required, with the result that they are mostly shabbily dressed on duly ?

(3) If so, what step the Governmet intend to take to improve this postition in the future ?

उत्तर

(१) संलग्न सूची के आधार पर सूती व ऊनी वर्दी दी जाती है, जिसका निर्धारित समय विभिन्न प्रकार है।

(२) जी नहीं, सन् १९५९ तक आर्थिक कठिनाई व इसके पश्चात् डाईरेक्टर जनरल सप्लाई व डिस्पोजल्स, देहली से पूर्ण सामान प्राप्त नहीं होने से पूरी वस्तुएं नहीं दी जाती सकी। अब कुछ वस्तुओं के पुर्नवितरण कुछ-एक के त्यागने (ड्रोप) के पश्चात् आवश्यक वस्तुएं दे दी गई हैं।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पानी की दरों में अन्तर

८८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या जन--स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर वाटर वर्क्स के पानी के दर क्या क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या इन दरों में अन्तर है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार इन दरों के समानीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो

यह समानीकरण कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां जल के प्राप्त साधनों एवं उसके शुद्धिकरण के व्यय को ध्यान में रखते हुए पानी की दर निर्धारित की जाती है । चूंकि विभिन्न स्थानों पर जल प्राप्ति साधनों में भिन्नता है अतः दरों में भी भिन्नता है।

(३) जी नहीं प्रश्न; नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर देखिये)

सूची चोरी गये मवेशी, जिला झालावाड़

प्रश्न संख्या थाना	माल चोरी शुदा	६०-६१ बरामद मय मुलजिम	बरामद बगैर मुलजिम	६१-६२ चोरी शुदा	बरामद मय मुलजिम	बरामद बगैर मुलजिम	चोरी शुदा	६२-६३ बरामद मय मुलजिम	बरामद बगैर मुलजिम
(१) भवानी मंडी	केसेज १	—	१	६	५	२	८	५	—
	मवेशी १	—	१	१७	७	२	४३	१६	—
(२) सुनेल	केस ५	१	२	३	२	—	५	४	—
	मवेशी १३	४	४	१८	१२	—	३०	२८	—
(३) पिरावा	केस २	२	—	४	३	—	४	२	१
	मवेशी ३४	३४	—	१४	४	—	७	४	२
(४) रायपुर	केस २	१	१	३	३	—	३	१	१
	मवेशी २	१	१	१२	१२	—	२६	१	८
योग :—	६०	४३	१०	८०	४८	४	१२६	६४	१२

❀ शुद्धि–पत्र

(गुरुवार, दिनांक ६ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	११	पाना	पानी
३	३	ढावरिया	ढ़ाबरिया
४	११	श्री उमरावर्सिह	श्री उमरावसिंह
५	१७	(पिड़ावा)	(पिडावा)
१४	१	आचाय	आचार्य
१७ व १९	शीर्ष	(श्री निरंजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
२५	,,	(दौलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
२६	८	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
३३	८, ९	उप-मंत्री : सिचाई (श्री दौलत राम सारण)	उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) :
४०	अन्तिम से २	श्री नाथराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
४१	६	,, ,,	,, ,,
४६	८	श्री अध्यक्ष	————
६१ से ६७ तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर -६ अगस्त, ६४- तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के -६ अगस्त, ६४- तारांकित प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
६१	६	श्री जेठमल बरवड	श्री जेठमल वरवड
६२	१	स्वीकत	स्वीकृत
७६	शीर्ष	————	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
८१ व ८३	,,	————	(श्री हरिशंकर)
८६	,,	(श्री कुमुटबिहारी लाल गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
१००	१०	श्री ज्वालाप्रसाद : शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१०१	५	निनेदन	निवेदन
१०५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१०८	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिंह टोटल :	श्री भैरोंसिंह : टोटल
१०६	५,१४	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१११	४	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारी लाल
११२	२२	अध्यक्ष महोदय : मैं	अध्यक्ष महोदय मैं
११८	२५	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१२१	शीर्षक	राजस्थान यात्री तथा माल- ६ अगस्त, ६४- कर विधेयक, १९६४	स्थगित विधेयक -६ अगस्त, ६४- राजस्थान यात्री तथा माल कर
,,	अन्तिम से २	श्री भैरोंसिंह : (अनुपस्थित)	श्री भैरोंसिंह (अनुपस्थित)
,,	,, ,, १	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुस्थि)	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित)
१२३	शीर्ष	(श्री	(श्री
१२४	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह

१	२	३	४
१२५ व १२७ और १३३	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
१३१	१,२३	श्री भैंरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१३७	शीर्ष	———	(श्री अध्यक्ष)
१३९	,,	———	(श्री रामकिशन)
१४५	,,	———	(श्री माणिकचन्द सुराणा)
१४६	अन्तिम से ४	श्री बालकृष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
,,	,, ,, २	श्री विजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१५१	१३	श्री उमरावसिह ढांबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१५३	१७	श्री हरिराम चौहान (पाटन)	श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
१५८	११	श्री मथुरेश विहारी	श्री मथुरेश बिहारी
१६१	शीर्ष	———	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
१७५	,,	(श्री रघुनाथ विश्नोई	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
१८५	,,	(ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१९३	अन्तिम से ५	श्री मुक्तलाल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
२०६	१९	श्री बालकष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
,,	अन्तिम से ४	श्री बिजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला

१	२	३	४
२०७	३	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
२१५	अन्तिम से ६	श्री गोविन्दसिह	श्री गोविन्दसिंह
२१७	६	duly	duty
,,	८	Postition	Position

❀ नोटः—विस्तृत शुद्धि पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।

———